

174

ज्याप का संघर्ष

८१४.८
यश/न्या

यशपाल

न्याय का संघर्ष



न्याय का संघर्ष

[अठारह लेखों का संग्रह]

यज्ञपाल

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१

NAYAYA KA SANGHRSH BY YAS PAL
Viplava Karyalaya, Shivaji Marg
Lucknow

यह संस्करण
लोकभारती प्रकाशन,
१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद द्वारा
विप्लव कार्यालय की ओर से
प्रकाशित



सातवां संस्करण
१९७९



साथी प्रेस
२१ शिवाजी मार्ग
लखनऊ द्वारा मुद्रित

कापी राइट :
विप्लव कार्यालय, लखनऊ

मूल्य : १० रुपया

विप्लव प्रकाशन सं० २

समर्पण

यह अठारह लेख
हमारे उन सब साथियों को समर्पित हैं
जो
न्याय के संघर्ष को हमारी ही तरह
जीवन में अनुभव कर रहे हैं।

लखनऊ
जुलाई—१९३९

यशपाल

विषय-सूची

लेख			पृष्ठ
१—न्याय का संघर्ष	१३
२—गांधीवाद	१९
३—जीवन का आधार	२६
४—समाज का चौखटा चर्रा रहा है...	३१
५—स्वराज्य और श्रेणी समस्या	४२
६—किसान-मजदूर श्रेणी समस्या, पूँजीपति और मजदूर श्रेणी समस्या	४८
७—मजहब का मुलम्मा	६०
८—सत्याग्रह का ठेका	६५
९—जेल-मुधार	७१
१०—हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक	७७
११—पढ़ी-लिखी लड़की	८५
१२—नींद नहीं आती	९१
१३—मुझे मंजूर नहीं	९६
१४—न्याय	१००
१५—गरीब के भगवान	१०६
१६—नया वर्ष	११३
१७—समाज के शत्रु	११९
१८—चोरी मत कर	१२६

भूमिका

मनुष्य-समाज की आयु और ज्ञान बढ़े और उसकी आवश्यकताय बढ़ने लगीं। इन आवश्यकताओं के बढ़ने और बदलने के साथ ही समाज के क्रम में भी परिवर्तन आता रहा है। मनुष्य-समाज के जीवन को किसी क्रम-विशेष या व्यवस्था के अनुसार संचालित करने के लिये जो परिस्थितियां जिम्मेदार हैं उनमें समाज का अपना अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण है। समाज के संचित अनुभवों के आधार पर खड़ा किया गया तर्क और कल्पना ही हमारा समाज-शास्त्र है। समाज-शास्त्र का उद्देश्य समाज की रक्षा और विकास है।

जब समाज के विकास का मार्ग आगे बन्द होने लगता है तब समाज का शास्त्र गूढ़ चिन्तन और मनन द्वारा अपनी रक्षा के लिये नया कार्यक्रम बनाने के लिये बाधित होता है। बाधित होकर समाज द्वारा नये कार्यक्रम का तैयार किया जाना ही समाज में विचारों की क्रान्ति है।

समाज की जीर्ण अवस्था में परिवर्तन होने से पूर्व विचारों में क्रान्ति होना आवश्यक और प्राकृतिक क्रम है। सामाजिक क्रान्ति के मध्यान्ह के लिये विचारों की क्रान्ति उषा के समान है। हमारा समाज अपनी पुरानी व्यवस्था के शिकंजे में छटपटा रहा है और नवीन व्यवस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहा है। यह विचारों की क्रान्ति का लक्षण है। दूसरे शब्दों में कहना होगा कि हम विचारों की क्रान्ति के युग से गुजर रहे हैं।

‘न्याय’ की धारणा मनुष्य-समाज को क्रम और नियन्त्रण में रखने वाली आन्तरिक श्रृंखला है। समाज की प्रत्येक व्यवस्था और क्रम अपनी एक न्याय की धारणा रखता है। यह धारणा उस सामाजिक

व्यवस्था को पूर्णता के लक्ष और आदर्श की ओर संकेत करती रहती है। विचारों की क्रान्ति का काम हमारी न्याय की धारणा को मार्ग पर लाना है।

इस पुस्तक में हमारी नवीन परिस्थितियों के लिये अनुपयुक्त और जर्जर न्याय की धारणा का विश्लेषण (Vivisection) किया गया है। इस विश्लेषण में हमारी वर्तमान न्याय की धारणा में कदम-कदम पर मौजूद विरोधाभास प्रत्यक्ष हो जाते हैं। एक नवीन सामाजिक व्यवस्था और क्रम की ओर हमारा ध्यान जाता है।

न्याय की धारण और समाज की व्यवस्था के समान रूखे विषय की विवेचना को भी रोचक और मनोरंजक बना देना इन लेखों की सार्थकता है। भाषा प्रवाह के ऊपर तैरते हुए विद्रूप की तह में सिद्धान्तों की शिलायें मौजूद हैं। मनोरंजन और विद्रूप का अभिप्राय रूखे और गम्भीर विषय को रोचक बना देना ही है। इन लेखों को पढ़कर आपके होठों पर जो मुस्कराहट आयेगी वह आत्म-विस्मृत और आनन्दोल्लास की न होकर क्षोभ, परिताप और कष्ट की होगी।

इन लेखों में लेखक ने आत्म-विस्मृत समाज को कलम की नोक से गुदगुदा कर जगाने की चेष्टा की है और समाज को करवट बदलते न देख कर कई जगह उसने कलम की नोक समाज के शरीर में गड़ा दी है।

नरेन्द्र देव

न्याय
का
संघर्ष



न्याय का संघर्ष

हम सभी लोग न्याय की दुहाई देते हैं। न्याय के लिये दूसरों का सिर फोड़ने के लिये तत्पर रहते हैं। हमारे अपने विचार में जो बात न्याय है, उसी के अनुसार हम दूसरों को चलते देखना चाहते हैं। यदि दूसरे लोग हमारे निर्णय की अवहेलना करें या हमारा विरोध करें तो न्याय की रक्षा के लिये उनका सिर फोड़ना जरूरी हो जाता है।

न्याय की धारणा जिस प्रकार हमारे अपने दिमाग में है, उसी प्रकार दूसरे के दिमाग में, हमारे विरोधियों के दिमाग में भी होती है। जैसे हम अपने दृष्टिकोण से जो न्याय है उसे लागू करना चाहते हैं, वैसे ही हमारे विरोधी भी अत्यन्त सद्भाव और सदाशय से अपनी समझ के अनुसार न्याय को लागू करना चाहते हैं। जिस समाज की दृष्टि में जो न्याय है, उस समाज को ईश्वर या उसका ईश्वर वैसे ही व्यवस्था स्थापित करने की आज्ञा देता है।

शेरों और भेड़ियों के न्याय के अनुसार यह आवश्यक है कि हिरन और बकरियां सुबह-शाम स्वयं उनके समीप आ जायं और या भेड़िये को देख कर भागें नहीं। हिरन और बकरियों के न्याय के अनुसार शेरों और भेड़ियों को घास के मैदान या पानी पीने की जगह पर नहीं आना चाहिये बल्कि एक ऐसी बिजली गिरनी चाहिये कि शेरों और भेड़ियों का नामोनिशान मिट जाय।

जमींदारों की बात कितनी न्यायोचित है। जो लोग उनकी मिल्कियत की जमीन को जोते-बोयें, उनकी जमीन से अन्न-धन पैदा करें, उनको क्या अधिकार है कि सब कुछ स्वयं ले जायं ? जिसकी जमीन है उसका अधिकार पैदावार पर होना चाहिये। जिसके पेट से पैदा हुआ, उसी का बच्चा।

किसानों का न्याय कहता है, जिसके हाथ-गोड़ घिसने से जमीन से फल पैदा होता है, फल उसी का है। जमीन से स्वयं तो कुछ पैदा हो नहीं सकता ! फल जमीन का नहीं मेहनत का है।

जमीन तो किसी की नहीं। जमीन को किसने बनाया है ? जमीन को घेर कर अधिकार कर लेने से ही मिल्कियत अगर हो जाय तो कोई भी दस आदमियों को मिलाकर, लाठी बांध कर जमीन घेर सकता है। इसमें झूठ क्या है ? बाबर ने क्या किया था ? पंजाब के शेर रणजीतसिंह ने क्या किया था ? छत्रपति शिवाजी ने क्या किया था ? हैदरअली ने क्या किया था ?

जमाना बदल गया है, अब ऐसा नहीं हो सकता। हाँ कोई चाहे तो बहुत सा रुपया लगा कर जमीन खरीद सकता है। फौज-फाटे का जोर एक साधन था। रुपया भी एक साधन है, लाठी का जोर भी एक साधन है। फर्ज कीजिये सरकार का दिमाग फिर जाय, वह जमींदारों के हक को जैसे आज स्वीकार करती है, स्वीकार करना छोड़ दे तो ऐसी अवस्था में न्याय बदल जायगा। किसानों की ही राय न्याय हो जायगी।*

किसी की सम्पत्ति या मिल्कियत किसी से छीन लेने का दूसरे को

*उपरोक्त लेख १९३५ में लिखा गया था। आज की सरकार जमींदारी उन्मूलन का कानून बना रही है परन्तु जमींदार को मुआविजा देना न्याय समझती है। सम्भव है कोई ऐसी सरकार होती जो जमींदार को उसकी पिछले लूट के मुआविजा में दण्ड देना ही न्याय समझती। (मार्च १९३९)

क्या अधिकार है ? मालिक उसे चाहे जिस मोल बेव सकता है, यह बिलकुल न्याय अनुमोदित है। इस तरह धनी बन जाने से न ईश्वर ही नाराज हो सकता है न यह न्याय के विरुद्ध है, न कचहरी-अदालत को इसमें दखल है। * कहते हैं—हमारे गांव के जमींदार के दस गांव थे। फसल में उन्होंने अनाज के कोठे भरे। ईश्वर की इच्छा हुई, आये साल फसलें खराब हो गयीं, अनाज महंगा बिका। मुनाफा हुआ। सेठ जी ने दो गांव और खरीद लिये।

जरा आंख खोलकर देखने से मालूम होता है कि मेरा या मेरी श्रेणी का जिस तरह से हित हो, मेरे लिये वही न्याय है। यदि मैं अपनी शक्ति से, चाहे वह शारीरिक हो या दिमागी, अपने हित के लिये काम करने के लिये दूसरों को बाधित कर सकता हूं तो वही दूसरों के लिये भी न्याय है।

आजकल जमाना अच्छा है। मनुष्य की शक्ति का अर्क जमा किया जा सकता है। आंख चाहिये देखने के लिये। सेठजी की तिजोरी की तरफ देखिये, उसमें एक लाख रुपये के नोट नहीं; ज्ञानशलाका लगा कर देखिये, तिजोरी में चार लाख आदमी बंद हैं। इन आदमियों की पीठ पर बोझ ढोने की तैयारी है। हाथों में कुल्हाड़ी, फावड़े और मेहनत के औजार हैं। यदि सेठ जी की इच्छा हो तो अभी यह स्थूल प्रत्यक्ष रूप धारण कर काम करने लग सकते हैं। सेठ जी जो चाहें कर डालें, पृथ्वी के एक भाग को पलट डालें। सेठ जी की तिजोरी में शारीरिक बल का अर्क जमा है। यह अर्क सेठ जी के अपने शरीर का नहीं। जहां-तहां से बटोर कर दूसरों का बल खरीद कर अर्क जमा किया गया है।

गरमी की रात है, नींद नहीं आती। मेरी जेब में एक अठन्नी है।

*यह धारणा भी बदल गई है क्योंकि सरकार व्यापारियों की अन्धेरगर्दी से परेशान होकर चोर-बाजार विरोधी कानून बना चुकी है।

यदि मैं लोभ न करूँ तो आराम से सो सकता हूँ। चवन्नी में एक आदमी का श्रम-बल (आदमी) छिपा है। उसके हाथ में एक पंखा है। वह रात भर मुझे पंखा कर सकता है।

मैं पूछता हूँ, किस के मुँह में हाथ भर की जुबान है जो कहे कि यह अन्याय है कि मैं सोऊँ और दूसरा मुझ सा ही आदमी रात भर खड़ा-खड़ा पंखा करे ! क्या उस के जान नहीं ?

मैं पूछता हूँ, क्या मेरे हाथ में चवन्नी नहीं, मैं चवन्नी की मेहनत नहीं लूँगा ? जिसे अठन्नी लेना हो अपना श्रम मेरे लिये खर्च करे।

न्याय है शक्ति में। शक्ति के अनेक रूप हैं। सब से अच्छा रूप शक्ति का है पैसा। यह सम्भाल कर वक्त के लिये रखा जा सकता है, जरूरत पड़ने पर खर्च किया जा सकता है। इस पैसे में से जमीन के जोतने-बोने वाले किसान, सुबह से शाम तक आंखे गड़ाकर दिमाग लड़ाने वाला मुंशी, वरदी पहन कर हुकम मनवाने वाले सिपाही और तोप-तलवार लेकर आतंक छा देने वाले सैनिक सब निकल सकते हैं। पैसा मनुष्य का, उसकी श्रम-शक्ति का संचित अर्क है। यह है न्याय का आधार !

जिस के पास यह शक्ति है उसी की इच्छा न्याय है। मनुष्य की शक्ति का यह सार कोई अपने ही शरीर से खींचना चाहे तो नहीं खींच सकता, मर जायगा कमबख्त। हाँ, दूसरों के शरीर से थोड़ा-थोड़ा कर, उनके श्रम को पैसे के रूप में बदल कर अर्क एकत्र किया जा सकता है। जिस अनुपात में किसी व्यक्ति के पास मनुष्य के संचित श्रम का भण्डार है, उसी अनुपात में वह शक्तिशाली है, न्याय का निर्णायक है।

एक जमाना था जब एक मनुष्य की इच्छा ही न्याय थी। वह राजा कहलाकर जो हुकम दे देता, वही न्याय था। वह चाहता तो उसका मंत्री हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया जाता, शहर-ग्राम फूँक दिये जाते।

वक्त आया, राजा की स्वेच्छाचारिता अन्याय समझी जाने लगी। सरदारों, सामन्तों के हाथ में भी शक्ति आ गया। न्याय में उनकी इच्छा

और राय का दखल हो गया। राजा उनकी सम्मिलित शक्ति के आगे दब गया। वे जो चाहते थे, वही कानून होने लगा।

जमाना पलटा, व्यापार ने जोर पकड़ा। धन का ठेका एकमात्र सरदारों-सामन्तों के हाथों से निकल व्यापारियों, कल-कारखानों के मालिकों के हाथ में पहुंचा। शक्ति आने के साथ उन्हें ही लोग वोट देने लगे। अपने प्रतिनिधियों के जरिये न्याय में उनका भी कुछ-कुछ दखल होने लगा।

ज्यों-ज्यों शासक-समाज की शक्ति क्षीण होने लगती है या उन्हें अपने हाथों से शक्ति निकलने का भय होने लगता है वे अपनी शक्ति बढ़ाने के लिये प्रजा के कुछ अंश को अपना साझी बना, उन्हें न्याय में दखल देने का अधिकार बांटते जाते हैं या प्रजा के किसी अंश के संतोष के लिये न्याय का रूप उन्हें बदलना पड़ता है।

आज भी हमारे देश में न्याय क्या है? अपने प्रतिनिधियों की मार्फत इसमें दखल देने का अधिकार एक हद तक उन्हीं को है जो लगान या टैक्स देते हैं, जिनके पास कुछ सम्पत्ति है। इन लोगों की राय में न्याय वही है, जिससे इनकी सम्पत्ति की बढ़ती हो, वह अक्षुण्ण बनी रहे। सबसे बड़े पूंजीपति ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी शक्ति की रक्षा के लिये छोटे-छोटे पूंजीपतियों को अपने चक्कर में सम्मिलित कर लिया है परन्तु इन दस प्रतिशत * के अलावा जो नब्बे प्रतिशत हैं उनके हक में क्या न्याय है, इसकी चिन्ता किसे है? **

* सन् १९३५ के शासन सुधार के अनुसार वैधानिक सभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार कुल दस प्रतिशत भारतवासियों को था।

**यद्यपि राष्ट्रीय सरकार के हाथ शासन आते ही जनमत के दबाव से विधान परिषद से निर्वाचन में मत देने का अधिकार बालिग उम्र के सभी लोगों को दे दिया है परन्तु यह बात अमल में नहीं लाई जा रही। निर्वाचनों को दिन पर दिन टाला जा रहा है। १९४७ से १९५० या

स्वर्ग अपने ही मरने से मिलता है । नब्बे प्रतिशत के लिये यदि न्याय की चिन्ता किसी को हो सकती है तो इन नब्बे प्रतिशत को ही होनी चाहिये । जब तक न्याय का निर्णय दस प्रतिशत के हाथ में रहेगा तब तक न्याय की कसौटी यही रहेगी कि नब्बे प्रतिशत के श्रम से दस प्रतिशत का काम चलता रहे । दस प्रतिशत का कल्याण इसी में है कि नब्बे प्रतिशत उन्हें 'पिता' * के स्थान पर मानकर 'पुत्र' की तरह उनकी आज्ञा-पालन करते रहें । समाज के शरीर के हाथ-पांव बन समाज के पेट—दस प्रतिशत को भरते रहें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे न्याय, विधान और ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाते हैं, 'रामराज्य' में विघ्न डालते हैं । मुश्किल है तो यह कि नब्बे प्रतिशत यह कैसे मान लें कि ईश्वर की आज्ञा नब्बे प्रतिशत को भूखा ही रखने की है ।

मनुष्य की संचित शक्ति का एक रूप पूंजी है तो दूसरा रूप 'संघ शक्ति' है । नब्बे प्रतिशत के पास यह दूसरी शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में है । अभी तक उन्होंने अपनी इस शक्ति को नहीं पहचाना क्योंकि अब तक ज्यों-त्यों प्राण बच रहे थे परन्तु अब पूंजी की शक्ति का पंजा इतना कड़ा हो गया कि सांस लेना मुश्किल है । यदि नब्बे प्रतिशत अब भी अपनी इसी शक्ति के आधार पर न्याय न मांगे तभी ताज्जुब है ।

न्याय की धारणा में समय-समय पर संघर्ष होता आया है और उस का रूप बदलता रहा है । यदि नब्बे प्रतिशत अपने भाग्य के निर्णय का बोझ स्वयं संभाल कर न्याय के रूप में परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा । यदि हम पूंजी और संघ की शक्ति की टक्कर देखना नहीं चाहते तो हमारे लिये नब्बे प्रतिशत की शक्ति को स्वीकार कर लेने के सिवा और मार्ग नहीं ।



५१ में जब तक निर्वाचन न हो जाये, शासन केवल सम्पत्ति-शालियों के प्रतिनिधियों का ही रहेगा ।

*गांधी जी कहते हैं—'जमींदार-किसान का सम्बन्ध पिता-पुत्र का है ।'

गांधीवाद

नवयुग का प्रतीक या युगान्त का ?

जीवन का उद्देश्य क्या है ? मनुष्यता के बाल्यकाल से ही यह प्रश्न मनुष्य को परेशान किये है । मनुष्य ने मानवता के उषाकाल से ही समय के सागर के किनारे बैठ इस समस्या के समाधान में कितने ही घरोंदे बनाये और फिर सूझ बढ़ने के साथ इन समाधानों की विरूपता से खिन्न हो उसने इन्हें मिटा भी दिया और सुदूर अज्ञेय, अनन्त की ओर देख-देख वह फिर चिन्ता में मग्न हो गया ।

हमारे पूर्व-पुरुषों ने, जिनके अगाध ज्ञान को संसार में फैलाने के लिये हम आज भी व्याकुल हैं, अपनी सम्पूर्ण मानसिक और शारीरिक शक्ति केवल मृत्यु की समस्या को सुलझाने में व्यय कर दी । जीवन के उद्देश्य को मृत्यु की दृष्टि से ही उन्होंने देखा । चिरसत्य मृत्यु मनुष्य के उद्भव से पूर्व ही मुंह फैला कर उसके मार्ग में आ खड़ी हुई और मनुष्य अपनी असंख्य कल्पना-विकल्पना से भी उसे परास्त नहीं कर पाया ।

एक तरह से परास्त कर भी पाया । मृत्यु के भय के कारण ही मृत्यु का सब महत्व मनुष्य की दृष्टि में है । हमारे ऋषियों ने कहा—मृत्यु कुछ नहीं, एक भ्रम है, आत्मा शाश्वत है । दूसरे आप्त पुरुषों ने निर्धारित किया—संसार ही भ्रम है, बन्धन है, इससे मुक्ति ही मृत्यु है । तब मृत्यु से डरना क्यों ? मृत्यु तो सुख है ।

मनुष्य का जीवन व्यक्तिगत रूप से ही पूर्ण है या वह केवल समाज के वृहत् शरीर का अंग-मात्र है ? यह दूसरा प्रश्न है जिसे मनुष्य बोध और संस्कृति के विकास के साथ सोचने लगा है । जैसे स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रतिक्षण सहस्रों जीव-कोष्ठ मरते रहते हैं और उनके स्थान में उनसे अधिक उत्पन्न हो जाते हैं, इसी प्रकार मनुष्य समाज के शरीर में व्यक्ति का मरना-जीना है । यदि इस दृष्टि से व्यक्ति और समाज के जीवन की व्यवस्था करने की बात सोचे तो शायद मृत्यु से परेशान होने की कोई जरूरत न मालूम होगी ।

भारतीय दार्शनिक विचारधारा का आधार सदा व्यक्तिगत रहा है । हमारी आध्यात्मिकता जीवन को व्यक्तिगत दृष्टि से देखकर ही सदा पनपी और विकसित हुई है । जीवन को जीतने का उपाय हमने समझा है जीवन से उपराम हो जाना । जीवन को पूर्ण करने का उपाय हमने समझा है, जीवन को संक्षिप्त करते चले जाना और जीवन में संतोष और समृद्धि प्राप्त करने का उपाय हमने निश्चित किया है—इच्छा न करना, आवश्यकताओं को कम करते चले जाना । आवश्यकताओं को कम करते चले जाइये, ऊंची-ऊंची कल्पना कीजिये (Plain Living and High Thinking), जीवन पूर्ण संतुष्ट और सुखमय हो जायगा ।

हमारे देश की वर्तमान राजनैतिक और सामाजिक तनातनी की परिस्थिति में गांधीवाद उपर्युक्त प्रवृत्ति को ही सब समस्याओं का हल बताता है । हमारे देश और समाज को सदा परलौकाभिमुख ऋषियों की नीति पर चलने का अभिमान रहा है । आज भी हमारा यह अभिमान अक्षुण्ण है । आज दिन भी हमारे राजनैतिक संग्राम के सेनानी हैं हमारे राजनैतिक ऋषि महात्मा गांधी ।* आज तक का इतिहास हमें बताता

* यह लेख १९३८ में लिखा गया था । गांधी जी की मृत्यु के पश्चात् आज भी हमारे शासक-संगठन का दावा है कि देश का शासन गांधीवाद के ही अनुसार चल रहा है ।

है कि धर्म और राजनीति मिलकर अपना-अपना आधिपत्य चलाते रहे हैं बल्कि धर्म को राजनीति के अधीन होना पड़ा। हमारे देश में, हमारे आज दिन के राजनैतिक संघर्ष में, महात्मा जी के नेतृत्व में राजनीति को धर्म की शरण लेना आवश्यक हो रहा है।

धर्म शब्द का व्यवहार हम साधारणतः बहुत व्यापक अर्थों में करते हैं। यहां हम 'मजहब' या 'रिलिजन' के ही अर्थों में इस शब्द को ले रहे हैं। धर्म और राजनीति की तुलना करते समय हमें यह देखना पड़ेगा कि इन दोनों विचार-धाराओं का आधार क्या है ?

साम्प्रदायिक धर्म का आधार है पारलौकिक विश्वास और उस का दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से वैयक्तिक है। व्यक्ति वैराग्य की चरम सीमा तक पहुंच कर भी संसार और समाज की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकता परन्तु मृत्यु के द्वार से हम जिस काल्पनिक लोक में पहुंचते हैं, यहां समाज का दखल नहीं। वहां व्यक्ति अकेला ही जाता है—'धर्मोहि गच्छति केवलम्'। उस लोक की कामना और कल्पना से प्रेरित होकर मनुष्य जिस धर्म का संचय करता है, उस में वह नितान्त रूप से आत्म-हित की ही बात सोचता है। उसके इस आत्म-हित में किसी दूसरे का साझा नहीं रहता। यदि वह 'आत्मवत्सर्वभूतेषु' व्यवहार करने के लिये मजबूर होता है तो वह समाज के कल्याण के प्रति व्याकुल हो कर नहीं, अपितु अपने निस्सर्ग जीवन को समाज में पग-पग पर ठोकर खाने से बचाने के लिये ही ऐसा करता है।

इस के विपरीत राजनीति का उद्देश्य समाज की इहलौकिक सफलता और समृद्धि है। राजनीति का आधार है, सामाजिक संगठन और मानव समूहों का परस्पर संघर्ष। उस का दृष्टिकोण सामाजिक है। धर्म का आधिपत्य राजनीति पर होने से एक विचित्र दोगली नीति का उत्पन्न होना अनिवार्य है, जिसमें राजनीति अवश्यम्भावी रूप में पंगु और निःशक्त हो जायगी क्योंकि पारलौकिक धर्म केवल विश्वास की वस्तु है और राजनीति यथार्थ जीवन का संघर्ष।

गांधीवाद मुख्यतः संकेत करता है अहिंसाव्रत की ओर। मनुष्य-समाज में शायद ही कोई ऐसा विचारक हुआ होगा जिसने हिंसा का समर्थन उस के हेय अर्थों में किया हो। यदि हम भावुकता को किनारे रख यह देखने का यत्न करें कि हिंसा का अर्थ समाज में, राजनीति में और प्रकृति में क्या है तो हम इसे पाप का समानार्थक नहीं पायेंगे। हिंसा का अर्थ कोष में जो हो—व्यवहार में तटस्थ होकर देखने पर हम इसे 'अप्रिय' का ही द्योतक पायेंगे। स्थिरता और स्थापना के लिए किसी भी वस्तु का अपनी परिस्थिति से सम्बद्ध होना जरूरी है। परिवर्तन के समय इन सम्बन्ध-स्थापक तन्तुओं का टूटना आवश्यक है। यदि यह तन्तु न होते तो स्थिरता नहीं हो सकती थी और यदि यह तन्तु न टूटें तो परिवर्तन असंभव हो जायगा। परिवर्तन के अभाव में प्रगति रुक जाने पर समाज का जीवन क्यों कर सम्भव हो सकता है? हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि गति और शक्ति समानार्थक हैं। जब इस गति और शक्ति का प्रयोग हमारे हितों और रुचि के विरुद्ध होता है, अप्रिय होता है; तभी हम हिंसा अनुभव करते हैं। वैयक्तिक दृष्टिकोण से हिंसा की यही कसौटी हमें दिखाई देती है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी इस में अपवाद की गुंजाइश हमें दिखाई नहीं देती। हम यह भी कह सकते हैं कि हिंसा अहिंसा के भेद की नींव हमारी न्याय और अन्याय की धारणा पर है। जो प्रयत्न या शक्ति का प्रयोग हमारी समझ के अनुसार न्याय के समर्थन के लिए किया जाता है, वह अहिंसा है और इसके विपरीत हिंसा। गांधीवाद की दृष्टि में हिंसा या अहिंसा की उपयुक्त व्याख्या ठीक नहीं। बल्कि यही कहना होगा कि गांधीवाद में हिंसा और अहिंसा की निर्णायक कसौटी समाज हित नहीं, व्यक्ति की धर्म अनुभूति या धर्म-बुद्धि है। धर्म-बुद्धि से अभि-प्राय कर्त्तव्य का विवेक नहीं अपितु परलोकाभिमुख वैराग्य बुद्धि है।

(२)

हम यह नहीं कहते कि विशुद्ध राजनीति में केवल मार-काट और रक्त-पात के अतिरिक्त कुछ नहीं। हम यह भी नहीं कहते कि संसार के

सब से बड़े राजनीतिज्ञ नादिरशाह थे। मार-काट की पाशविक हिंस्र प्रवृत्ति बर्बरता का शेष चिन्ह है। मनुष्य न पशु है और न मशीन जो केवल 'हार्स-पावर' से काम लेगा। उस में जो मनुष्य नाम का पदार्थ है, वही उस की सब से बड़ी शक्ति है। युक्ति और प्रेरणा हमारी मौजूदा संस्कृति के सब से अनुरूप साधन हैं। आधुनिक राजनैतिक व्यवस्था का आदर्श प्रजातन्त्र शासन प्रणाली और प्राचीन शासन-नीति के आदर्श शक्ति प्रयोग में आधारभूत भेद है। संस्कृति के विकास के साथ-साथ हम शस्त्र-शक्ति के प्रयोग से दूर हटते जाते हैं। उसे हम बर्बरता या समाज की सूढ़ता का चिन्ह समझते हैं। युक्ति और प्रेरणा की ओर मनुष्य-समाज की उत्तरोत्तर प्रवृत्ति उस के इसी आदर्श की ओर संकेत करती है और उस के विकास का प्रमाण है।

शस्त्र-शक्ति की जो हम बिल्कुल उपेक्षा नहीं कर पाते, वह कुछ अभ्यास दोष से और कुछ पारस्परिक आशंका और अविश्वास के कारण। हम यह दावा नहीं कर सकते कि आज दिन हम संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच गये हैं। हम विकास की एक मंजिल तक पहुंचे हैं, जिसमें हमारा साधन और नीति पूंजीवाद की प्रणाली रही है। पूंजीवाद की प्रणाली पर चल कर इस मंजिल तक पहुंचने के लिये यह आवश्यक था कि समाज भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त रहे। पूंजीवाद की उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी समाज उसे एक तरफ नहीं फेंक दे सका।

श्रेणियों का वह भेद जो एक दिन समाज के विकास के लिये जरूरी था, जो उस की आन्तरिक प्रेरक शक्ति थी, वही उस के मार्ग का अवरोधक हो रहा है। इस भेद के परिणाम-स्वरूप समाज में एक तनातनी और संघर्ष की जलन फैल रही है इसलिये हिंसा और बल-प्रयोग भी दिखायी पड़ रहा है। आज जो हम फ्रांसिज्म और नाज़िज्म का रूप देख रहे हैं, यह समाज में आते परिवर्तन की भयंकर तड़प को दबाने का पूंजीवादी प्रयत्न है।

आचार्य कृपलानी ने अपनी पुस्तक 'हिंसा की पराजय' (The

Conquest of Violence) में इस बात पर जोर दिया है कि समाज में वैयक्तिक आचार का स्तर बहुत ऊंचा उठ गया है, अब उसे हिंसा के दोष से मुक्त हो जाना चाहिये परन्तु अनुभव से हिंसा का अभाव कहीं दीख नहीं पड़ता। ध्यान में रखना चाहिये कि संसार को व्याकुल कर देने वाली हिंसा और तनातनी व्यक्तिगत न होकर श्रेणीगत भी हो सकती है। यदि उसके मूल में व्यक्ति की स्वार्थ-बुद्धि नहीं तो श्रेणियों का वैमनस्य मिट जाने पर वह स्वयं दूर हो जायगी।

श्रेणी-भेद या स्वार्थों का संघर्ष कायम रहते यह हिंसा मिट नहीं सकती। एक सर्वशक्तिमान अमर शक्ति की इच्छा पर संसार का संचालन निर्भर मान लेने पर और श्रेणियों का सृजन भी उसी शक्ति का वरदान समझ लेने पर हम समाज में चिर शान्ति और चिर अहिंसा के लिये सिवाय प्रार्थना करने के और कोई उपाय नहीं कर सकते। महात्मा जी का विश्वास है कि उस देवी परोक्ष शक्ति ने उन्हें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये संसार में भेजा है। भगवान के प्रतिनिधि की हैसियत से भगवान की व्यवस्था में परिवर्तन उन्हें कैसे स्वीकार हो सकता है? परन्तु समाज भगवान को पूछे बिना ही वैमनस्य और तनातनी के कारण श्रेणी भेद को मिटाने की ओर अग्रसर हो रहा है। इस प्रकृति का आधार और दृष्टिकोण है समाज, और उद्देश्य है सामाजिक समृद्धि। इसके विपरीत गांधीवाद की अहिंसा का आधार और दृष्टिकोण है वैयक्तिक और उद्देश्य, व्यक्तिगत चरम शान्ति और निर्वाण।

गांधीवाद परिस्थिति को देखकर या इहलौकिक लक्ष्य को लेकर नहीं चलता। गांधीवाद अपने लक्षणों से नीति (Policy) नहीं; इसे नीति या पालिसी कहना गाली देने के बराबर है। वह एक आदर्श है जो सांसारिकता से परे पारलौकिक ध्येय को लक्ष्य कर चलता है। मई १९३८ में साम्प्रदायिक दंगों के अवसर पर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा राजशक्ति के प्रयोग से आतताइयों के दबाये जाने पर महात्मा जी को अनुभव हुआ था कि कांग्रेस अहिंसा पथ से हटती चली जा रही है। गांधीवाद की दृष्टि

में देश में शासन का प्रयोजन सुव्यवस्था और समृद्धि की अपेक्षा अहिंसा-व्रत को चरितार्थ करना ही है।

इतिहास में ऐसा पहले कभी न हुआ हो सो बात नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी इस अहिंसा का प्रचार किया था। निर्वाण को ही लक्ष्य कर वह अहिंसावाद उस समय खूब फैला परन्तु सामाजिक संघर्ष में कदम न जमा सकने के कारण यह अहिंसा समाज की नीति न बन सकी, केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक और चरम शांति का आश्वासन देकर रह गयी। गांधीवाद भी बुनियादी तौर पर वैयक्तिक साधना की चीज है। इस विज्ञान के युग में, भौतिकवाद के युग में अपाधिब, परोक्ष, दैवी शक्ति से प्रेरणा ग्रहण कर राजनीति कहां तक चलेगी? गांधीवाद का भविष्य क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आज दिन की कांग्रेसी सरकारों का रूप और व्यवहार है।

आज जो गांधीवाद की प्रतिष्ठा शेष है, वह इसके सिद्धान्तों की तर्क संगति के बल पर नहीं, वह है महात्माजी के आकर्षक और मोहक व्यक्तित्व की स्मृति के कारण।

परिस्थितियों ने बुद्ध, ईसा और मुहम्मद को गढ़ कर तैयार किया था। मानव-समाज का मस्तिष्क अपनी अविकसित अवस्था में छटपटाकर, अज्ञेय क्षेत्र में हाथ फैला कर सहारा ढूँढ़ने का प्रयत्न करता रहा है। उसने विश्वास से सहारा पाया परन्तु ज्यों-ज्यों ज्ञान का प्रकाश अज्ञेय के लोक में घुसा और अज्ञेय को संकुचित करने लगा, त्यों-त्यों उसके यह सहारे छायी की तरह बिलीन होने लगे। गांधीवाद भी अपेक्षाकृत विकसित विक्षिप्त आधुनिक संस्कार की कल्पना है, एक आश्रय ढूँढ़ने की छटपटाहट है। अपाधिब लोक में टेक पाने की साध द्रुतगामी युग में कितने दिन फलवती हो पायेगी? आध्यात्मवाद और पूंजीवाद की पुरानी रूढ़ियों और संस्थाओं को जो सहारा गांधीवाद आधुनिक आध्यात्मवाद का रोगन पोत कर दे रहा है, वह कितने दिन टिक सकेगा? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि गांधीवाद नवयुग का प्रतीक है या युगान्त का?

जीवन का आधार

‘MAN DOES NOT LIVE BY BREAD ALONE.’

बाइबिल में कहा है, मनुष्य केवल भोजन से ही जीवित नहीं रह सकता। यह वाक्य आध्यात्मिक उद्देश्य से कहा गया है परन्तु मनुष्य के साधारण सांसारिक जीवन-क्रम में भी यह उतना ही सत्य है जितना कि मसीह की दृष्टि में आध्यात्मिक दृष्टि से था।

आत्मा-परमात्मा की चर्चा मनुष्य अपने आत्मिक या मानसिक विकास के अनुपात से सदा ही करता रहा है और न जाने कब तक करता रहेगा। जो लोग प्राचीन अन्धविश्वास से खीझ कर आत्मा-परमात्मा की धारणा के विरुद्ध जिहाद करते हैं, वे भी केवल खा-पीकर जीवन को परिपूर्ण समझने का दावा नहीं कर सकते। भौतिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त उन्हें भी कुछ और चाहिये। आत्मा-परमात्मा में अन्धविश्वास या मानसिक दासता के विरुद्ध जिहाद करने के लिये वे आतुर क्यों हो उठते हैं? ऐसा न करने से सर में दर्द या पेट में मरोड़ तो उठता नहीं, जोड़ों के दर्द की भी यह दवा नहीं। फिर भी पेट भर खा-पी कर नरम बिस्तर पर उन्हें चैन की नींद क्यों नहीं आती? मानसिक बेचैनी क्यों होती है?

शारीरिक आवश्यकताओं से परे, इस स्थूल जगत से परे कुछ ऐसा है अवश्य जो मोटी नज़र से प्राण-रक्षा के लिये अनिवार्य न जान पड़ने पर भी अनिवार्य है। जीवन के लिये कुछ परमावश्यक भावना है जरूर

और यह जो स्थूल जीवन के परे सूक्ष्म परमावश्यक भावना है, सम्भवतः इसे हम 'मनुष्यता' की एक परिभाषा कह सकते हैं ।

मनुष्य में हंसने की, अपने आपको भूल जाने की इच्छा उसकी मनुष्यता का एक खास अंग है । मनुष्येतर प्राणियों में भी ऐसी भावना है तो जरूर पर वह इतनी कम विकसित है कि हम लोगों को उसका स्पष्ट अनुभव नहीं हो पाता । वह उनके जीवन में अत्यन्त गौण है । उन के जीवन-रक्षा के साधन इतने अविकसित हैं कि जीवन-रक्षा में ही उन की सम्पूर्ण शक्ति व्यय हो जाती है । पशुओं में जीवन की विपुल शक्ति का उच्छ्वास (exuberance of superfluous energy) उतना प्रत्यक्ष और प्रकट नहीं होता जितना कि मनुष्य में ।

जीवन की शक्ति का उच्छ्वास मनुष्य की आदिम अवस्था में भी इतना ही स्पष्ट था जितना की बीसवीं सदी की अत्यन्त सम्य अवस्था में है । निस्सन्देह वह इतना परिष्कृत न था । हमारे जहाँगीर और वाजिद-अलीशाह की रंगसभाएं, ओपेरा, नाशियोनालपारी के तमाशे, अमेरिकन जैज और जुलू तथा स्वाहीली लोगों का सुरा-पान कर अग्नि-स्तूप के चारों ओर नृत्य करना भिन्न-भिन्न चीजें नहीं हैं । जीवन-रक्षा की आवश्यकताएं हमें जितना व्यस्त करती हैं, जीवन-शक्ति के उच्छ्वास को तृप्त या प्रकट करने की आवश्यकताएं हमें उससे कम व्यस्त नहीं करतीं ।

'मद' को सभी धर्म गुरुओं ने धर्म ज्ञान का घातक कहा है परन्तु मद मनुष्य के विकास का उतना ही आदिम अंग है जितना कि धर्म विश्वास । जब मनुष्य ऊषा के बाल सूर्य, सुनील आकाश और भयंकर आंधी के सम्मुख दण्डवत कर अपने कल्याण का बीमा कर लेने का विश्वास कर लेता था तब भी मद उसके साथ था । मालूम होता है मद और धर्म-विश्वास मनुष्य जीवन के एक समान आवश्यक अंग हैं ।

धर्म ज्ञान और धर्म भाव का आविष्कार मनुष्य ने शोक, संताप और भय से बचने के लिये किया है । मद का आविष्कार उसने किया है भय को भुला कर सुख और आह्लाद की अनुभूति के लिये । इसमें अन्तर कुछ

नहीं। अभिप्राय और लक्ष्य है, दुःख की अनुभूति से बचना और सुख की अनुभूति की चाह। धर्म निवारक (Negative) और मद पोषक (Positive) साधन हैं। जिन दो घटनाओं ने पहले-पहल धर्म और मद का आविष्कार किया होगा वे मनुष्य समाज की परम कृतज्ञता के पात्र हैं।

दिवाली या ईस्टर धार्मिक त्योहार हैं परन्तु उसमें भी धर्म तो रह जाता है ओट में और मुख्य रूप से आगे आता है आनन्दोत्साह। यही हाल क्रिसमस का है। ईसाई देशों में क्रिसमस के समय मद के झग का जो प्रवाह बहता है और बाल नाच का जो बवंडर उठता है, उसमें बेचारे मसीह का जन्म बिलकुल डूब जाता है।

मुसलमानों का मुहर्रम सरासर गम और आहोज़ारी का दिन है लेकिन उस दिन भी जीवन-शक्ति का उच्छ्वास कितना विकट और प्रत्यक्ष होता है? उस दिन गम इतना प्रबल नहीं होता जितना जोश! किसी के धर्म-भाव और धर्म-अभिमान को चोट न पहुंचाने के लिये, डरते-डरते कहंगा कि 'हायहुसैन' कह कर पीटने में, छाती से लहू बहाने में भी एक उन्माद का संतोष है।

हिन्दुओं के त्योहारों का कहना ही क्या मानो हमेशा आनन्द में पागल हो जाने का बहाना ढूँढते फिरते हैं। होली को ही लीजिये! होली के दिन तो जो कुछ न हो जाय वही शनीमत। भारत में होली के अवसर पर जीवनशक्ति का जितना उत्कट उच्छ्वास होता है, मेरे विचार में उसे यदि नियमित रूप से संचित कर संसार के बड़े से बड़े साम्राज्य की जड़ में लगा दिया तो वह साम्राज्य की अडिग चट्टान को डाइनामाइट की तरह उड़ा देगा।

मनुष्य आनन्द में पागल होकर अपनी शक्ति का व्यय क्यों करता है? शरीर को पुष्ट करने के लिये व्यायाम करने में भी मनुष्य अपनी शक्ति को व्यय करता है। शारीरिक शक्ति के व्यय से शरीर सशक्त होता है, उसी प्रकार आनन्द में उच्छ्वासित होकर जीवन-शक्ति बहाने से जीवन-शक्ति और जीवन के उच्छ्वास बढ़ते हैं इसीलिये राष्ट्र के स्वास्थ्य

के लिये नाच, गान, मेले, नाटक, दंगल आदि बहुत जरूरी हैं। वे समाज में जीवन-शक्ति उत्पन्न करने वाली ग्रन्थियां हैं। हमारे मन्दिर, मस्जिद और धर्म-स्थान राष्ट्र के शरीर में नासूर हैं जो उसकी स्वाभाविक उन्नति को रोक कर उसे सुस्त और निष्प्रभ बनाने की चेष्टा करते हैं। गाब्रील-द-अनज़ियो ने एक स्थान पर लिखा है : एक विशाल गिर्जाघर की उपेक्षा एक कूड़े-गोबर का ढेर अधिक मूल्यवान है। उससे खेत की शक्ति तो बढ़ेगी।

मतलब यह है कि हमारा आनन्दोच्छ्वास हमारी जीवन शक्ति का एक सहायक स्रोत है। वह हमारे जीवन-प्रवाह में शक्ति को बढ़ाने का एक उपकरण है परन्तु हमारे धर्म-शास्त्र आनन्दोत्लास को नरक का द्वार बताते हैं। नाच, गाना, थियेटर, सिनेमा, दंगल, मेले आदि इनकी दृष्टि में पाप हैं परन्तु मैं समझता हूं और हर एक समझदार आदमी मानेगा कि यह सब जीवन-शक्ति के छोटे-छोटे स्रोत हैं। यह समाज के शरीर में जीवन-शक्ति उत्पादन करने वाली ग्रन्थियां हैं।

आज होली है ! जेल की होली ! आज मेरी जेल की छठी होली है। मैं त्योहारों के दिन प्रायः निष्प्रभ हो जाता हूं और होली के दिन तो खास तौर पर ! वजह क्या है ? ऐसी वजहों को खोल कर जांच लेना, उनके तल-स्तर की पड़ताल कर लेना बहुत कठिन समस्या है।

आज होली के दिन जेल खास देखने की चीज़ है। कैदियों को आज उत्सव मनाने की और आनन्द मनाने की मनाही है। इससे उनके शोक की सीमा नहीं। मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार भी उनसे छीन लिया गया है।

आज जेल पर कैसी विरूपता छा रही है लेकिन इतने पर भी गमक-गमक की आवाज़ आ रही है। कहीं तसला बज रहा है, कहीं मटका खटक रहा है। हंसने, गाने से, आनन्द मनाने से सज़ा मिलेगी लेकिन इस वृत्ति को रोकना कितना कठिन है ? आनन्द का आकर्षण कितना विकट है ?

आनन्द और जीवन में फरक ही कितना है ? आज के दिन यदि

कैदियों का खाना रोक कर उन्हें गाने, बजाने और हंसने की इजाजत दे दी जाय तो वे बहुत खुश होंगे ।

इसीलिये तो कहता हूँ, मनुष्य के जीवन का आधार केवल भोजन ही नहीं ।

होली

१९३६





समाज का चौखटा चर्चा रहा है !

सर्वशक्तिमान भगवान हैं जिनके एक चुटकी बजाने से इस सृष्टि की रचना हो जाती है, दूसरी चुटकी बजाने से विनाश । उन्हीं लीलामय ने एक दिन अंगड़ाई लेकर विनोद की इच्छा से इस जगत की देखभाल करने के लिये, इसका स्वामित्व करने के लिये अपने ही रूप में मनुष्य की रचना कर दी और कहा—वेटा, यह संसार तेरे लिये है !

भगवान ने मनुष्य के लिये एक कार्यक्रम और सिलसिला भी गढ़कर रख दिया है जिसमें भूल-चूक और परिवर्तन की गुञ्जाइश नहीं । इस सृष्टि के विधान में भूल निकाल कर परिवर्तन की तजवीज पेश करे, ऐसी हिम्मत किस मनुष्य में है ?

और भगवान द्वारा अपनी लीला को पूर्ण करने के लिये बनाये हुये यह मनुष्य का समाज ? यह समाज की माला भी उसी बिसाती ने पिरोयी है, जिसने कि इस माला के मनकों को गढ़ा है । इस माला के मनकों में जो क्रम है, वह उसी बिसाती की इच्छानुसार है । कोई बड़ा है तो कोई छोटा; कोई बीच में फबता है तो कोई अगल-बगल । इस व्यवस्था में परिवर्तन करना भगवान की बुद्धि और न्याय का तिरस्कार है ।

यह हैं उपदेश, जो मनुष्य के धर्म-ग्रन्थ और धर्म-गुरु देते आये हैं । धर्म-गुरु आरम्भ से ही समाज को चौखटों में जकड़ता आया है । जब समाज ने किसी एक चौखटे में करवट बदली, चौखटा चर्चाया कि समाज

के रक्षकों ने, धर्मगुरुओं ने दूसरा चौखटा कील-कांटे लगाकर उस पर बैठा दिया ।

इन चौखटों को बदलते देख एक दफ़े मनुष्य सोचने लगता है—वह चौखटा कैसा होगा जो भगवान ने पहले पहल मनुष्य के इस समाज पर जड़ा होगा ?

स्वाभाविक कौतूहल

उस सर्वज्ञ और शक्तिमान की अद्भुत लीला से इस संसार के अजायब घर में हम आज भी मनुष्य के समाज को तरह-तरह के चौखटों में जकड़ा हुआ पाते हैं । एक समाज है इंग्लैण्ड के टापू में रहने वाला, दूसरा है रूस के देश में बसने वाला, तीसरा हमारा अपना ही समाज । फिर देखिये, अफ्रीका के जंगलों में पत्तों से तन ढांप कर, मनुष्य के शव को भून कर खाने वाला और कुल-पति की आज्ञा से बर्छा ले नाचने वाला समाज और फिर देखिये, आस्ट्रेलिया का जंगली पुरुष के पौरुष की उपेक्षा कर 'मां' को ही चारों ओर से घेर कर चलने वाला स्त्री-शासित समाज !

और फिर यह रोज-रोज आंखों के सामने आने वाले परिवर्तन ! एक रोज हम क्या थे ? कौतूहल बुरी चीज है ! इसी कमजोरी से आदम ने अदन के बाग में, फ़रिश्तों के हज़ार समझाने पर भी गेहूं को चख ही तो लिया ! फिर जो मुसीबत उसकी वंश-परम्परा पर पड़ी, वह वही जानती है !

इन्सान का कौतूहल न माना । उसने इतिहास की धुंधली दूरबीन उठाकर भूत की क्षीण पगडण्डी की ओर देखना शुरू किया और क्या देखा ?

आदिम समाज

देखा, एक दिन स्वर्ण-युग था । मनुष्य का समाज सुख और शान्ति से दिन बसर करता था । न कोई बन्धन था न कोई क़ैद । मनुष्य का

समाज हिरनों या हाथियों के गोल की तरह घूमता-फिरता था । जहाँ पके फल देखे, तोड़ खाए । घना वृक्ष देखा, छाया में रात और बरसात गुजारा दी पर मौसम खतम होने पर अड़चन आती थी । उसने फल तोड़ कर दूसरे दिन के लिये रखने शुरू किये । पहिले लट्ठ या पत्थर मार कर जानवर का शिकार कर लेने से गुजारा हो जाता था । शिकार को शिकारी से मुहब्बत नहीं, किसी दिन मिला, किसी दिन न मिला । आदमी को भी अक्ल आयी । उसने जानवर को पालना शुरू किया और उसके बच्चों को खाना । जानवर के बच्चे के साथ जानवर के दूध के प्याले भी उसे मिलने लगे ।

वृक्ष से झड़कर गिरे फल के बीज को उगते देख आदमी ने सोचा; क्यों न बहुत से पेड़ बो दिये जायं ! फलों की कमी न रहे । इससे आरम्भ हुआ खेती का । खेती हुई तो आबादी भी हुई और खानाबदोशी खतम हो गई ।

जब समाज या कबीले खेती के लायक जमीन लेकर बसने लगे तो उससे पहिले ही समाज या कबीले में, जिसके हाथ ताकत होती थी, उस का लोहा थोड़ा-बहुत दूसरों को मानना होता था । एक आदमी या औरत सरदार बन जाता था परन्तु जिसने जितनी मेहनत की उसका उतना फल पाया । बहुत हुआ धमका कर दूसरे से फल तुड़वा लिया । बल था केवल अपने शरीर का या दोस्तों का ।

पर जब खेती शुरू हुई तो नये गुल खिलने लगे । कबीले में संतानें हुर्यीं, कबीले की संख्या बढ़ी । खाने वाले अधिक हो गये परन्तु जमीन उतनी ही रही । अब कबीले में गुजारा होता न देख लोग फूट-फूट अलग-अलग बसने लगे, उन्होंने अपनी-अपनी जमीन अलग-अलग जोती । ऐसे बसने वाले लोगों के गांव बने पर गांव की जमीन से भी जब गांव-वालों का गुजारा चलना मुश्किल हो गया, तब एक गांव दूसरे गांव से छीना-झपटी करने लगा । लड़ाई में जो दल हारा उसके आदमी कैद हो गये । इन कैद हुए आदमियों को मुफ्त में खिला-पिला कर मोटा करने

से क्या फ़ायदा होता ? इससे तो यही अच्छा था कि उन्हें भूनकर दो दिन जश्न मनाया जाय ।

लेकिन एक दिन मुरगी का पुलाव बना लेने की अपेक्षा रोज-रोज अण्डों का नाश्ता करना बेहतर है । एक रोज ही क़ैदियों को खा डालने से यह अच्छा समझा गया कि उन्हें ज़िन्दा रखा जाय और उनसे कस कर मेहनत करायी जाय ।...गुलाम पैदा हो गये ।

दासता का युग

गुलाम क्या हुए, समाज का रूप ही बदल गया । पहले पेट भरने के लिये दूसरे गांव पर हमला होता था, अब गुलाम पकड़ने के लिये ही होने लगा । पहले अपने हाथ से काम करके ही ज़रूरत पूरी होती थी, अब अगर आपके पास गुलाम हैं तो मसनद पर बैठिये, गुलाम आपका सब काम करेंगे । पहले आदमी में जितनी शक्ति थी उससे वह अपना पेट भर-पाल कर थक जाता था । अब उसके थकने का सवाल नहीं रहता इसलिये उसे पहाड़ खोदने और दरिया पाटने की हिकमत सूझने लगी । मीलों से सुन्दर पत्थर ढो-ढोकर ईरान, रोम, मिश्र और भारत में भव्य इमारतें खड़ी होने लगीं और गुलामों के मालिक ज़रूरी काम न होने से आकाश में बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे ।

सितारों की चाल के हिसाब लगाये गये । समय काटने के लिये बांस में तार बांध कर वीणा बनाई गई और उस रूपवती दास स्त्री को—जो ज़मीन खोद और पत्थर तोड़कर उतने आनन्द की सृष्टि न कर सकती थी, जितना आनन्द वह स्वामी के सामने कमर में बल दे-देकर और ठुमक-ठुमक नाच कर, उसकी आंखों को रिश्ताकर दे सकती थी—हुक्म हुआ, तुम नाचो ।

उस सुन्दरी के हाव-भाव ताल पर संगीत चला । इस संगीत ने मालिक के कानों को अमृत से भर दिया । उस संगीत में न केवल कानों

को तृप्त करने वाले बल्कि हृदय को गुदगुदा देने वाले वर्णन, व्याख्या और संकेत पैदा हुये। ऐसे चतुर लोगों को जो स्थूल पदार्थ के बिना शब्दों से ही मोहक चित्र बना दे सकते थे, कवि, महाकवि और पंडित की उपाधि दी गयी।

समाज में कला और विद्या का प्रसार हुआ और फिर पेट भरे ठाली बैठे मनुष्य ने सोचा कि यह अन्धड़, यह बिजली की कड़क, नदी, समुद्र तो मेरे काबू नहीं आ सकते। मेरी रक्षा उसी को रिझाने में है जो इन्हें चलाया करता है।

वह फिर सोचने लगा, इस सुन्दर संसार समाज को छोड़कर हाथ, एक दिन मर जाना होगा।

चतुर पुरुषों ने कहा, हम तुम्हारे धर्म-गुरु हैं! डरने की बात नहीं! एक देश है जो इससे भी सुन्दर है। तुम जिस तरह हमारे कहे अनुसार दान-पूजा कर छोटे-मोटे संकटों से बचते रहे हो, अगर उसी तरह हमारा कहना मानो तो उस देश में हम तुम्हें पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे लिये उस देश के मालिक तक पहुंचने का प्रबन्ध कर देंगे। तुम इस संसार में हमारे लिये छोटी-मोटी जरूरतें पूरी करने का प्रबन्ध किये जाओ!

कुछ के पास धन अधिक था, कुछ के पास कुछ भी नहीं। भूखे मरने वाले जब पुराने क्रायदे के मुताबिक अपनी जरूरत पूरी करने के लिये छीना-झपटी करने लगे तो धनवानों ने कहा, यह पाप है। ऐसा क्रायदा बनाया गया कि गड़बड़ न हो, लड़ाई-झगड़ा न हो। गुलामों से कहा गया—देखो, तुम्हारे मालिक तुम्हारे पिता समान हैं, इनके लिये जान तक दे दो। इन्हें प्रसन्न करोगे तो तुम्हें इस जन्म में न सही, अगले जन्म में सुख मिलेगा और अगर तुमने मालिक की आज्ञा न मानी तो यह जन्म तो तुम्हारा गया ही, अगला भी जायगा। न्याय के अवतार सुकरात ने कहा—दास-प्रथा सभ्यता के विकास के लिये आवश्यक और न्याय है।

परिवार का विकास

युद्ध होते ही रहते थे। इसमें स्त्री के लिये मर्द के समान लड़ सकना कठिन था लेकिन जो मर्द मारे जाते थे उनकी कमी को पूरा स्त्री ही कर सकती थी। वह समाज में ही समाज की उत्पत्ति का स्रोत थी इस लिये निश्चय किया गया कि स्त्री को मार डालना हानिकारक है और पाप है। इसके अलावा जैसे अन्न प्राप्त करने के लिये ज़मीन की जरूरत होती है, उसी प्रकार मनुष्य की खेती उत्पन्न करने के लिये स्त्री रूपी ज़मीन की जरूरत होती है इसलिये धर्मशास्त्रों में स्त्री को 'क्षेत्र' या 'खेती' का आदर सूचक नाम दिया गया।

जब तक व्यक्तियों की निजी सम्पत्ति नहीं होती थी, स्त्रियाँ समाज की या कबीले की साझी सम्पत्ति रहती थीं। कुलों की निजी सम्पत्ति होने लगी तो स्त्रियाँ कुलों की सम्पत्ति होने लगीं और बाद में पति देवता की।

‘ढोल, गंवार, शूद्र, पशु नारी, यह सब ताड़न के अधिकारी !’

अपनी सम्पत्ति को पीटने में कुछ बुराई नहीं। रूस में पुराने समय में जब पिता अपनी लड़की पति को सौंपता था तो एक हंटर भी वक्त-जरूरत के लिये साथ दे देता था।

परन्तु समाज का शरीर बढ़ने से यह चौखटा चरनि लगा। दासों ने बगावतें शुरू कीं। मालिकों ने कहा, काम हो न हो, दासों को ठाले बैठे खिलाते जाओ, यह कौन न्याय है? हम ज़मीन देते हैं, यह हमारी ज़मीन को जोतें-बोयें और अपना पेट भर लें और पैदावार हमें दें। धर्माचार्यों और क़ानून बनाने वालों ने कहा, ठीक है, मनुष्य-मनुष्य सब बराबर। किसी को दास बनाकर रखने का दूसरे व्यक्ति को क्या अधिकार ?

बड़े-बड़े गांव बसे जो बड़े-बड़े आदमियों की सम्पत्ति थे। इन बड़े आदमियों को सरदार, सामन्त, ज़मींदार या ताल्लुकेदार के अधिकार थे। यह राजा की छत्र-छाया में छोटे राजा हो गये। इनकी ज़मीन में बसने

वालों को कहा गया तुम सरदार की प्रजा हो, इस जमीन को छोड़कर तुम कहीं जा नहीं सकते ।

सामन्त युग

गुलामी के जमाने में जो गुलाम मालिकों के लिये बढ़िया मलमलें और कीमखाब बुना करते थे और इतर खींचा करते थे, वे स्वतन्त्र हो दूकानें करने लगे । पहले इन्हें रोटी भर मिलती थी, अब लगे दाम लेने । गांव-गांव फिर कर यह सामान बेचते फिरते थे । कुछ समझदार लोग इनसे माल खरीद, दूर देशों में जाकर, कीमतें बढ़ा-चढ़ाकर माल बेचने लगे । इन चीजों को खरीदने के लिये बड़े आदमियों की और बहुत रुपये की जरूरत हुई । वे अपनी प्रजा को निचोड़ने लगे । जब उससे पूरा न पड़ा तो जमींदारियां बिकने लगीं और साथ ही प्रजा भी बिकने लगी परन्तु दासों की तरह नहीं; जैसे जमीन में लगे पेड़ जमीन के साथ बिक जाते हैं, उसी तरह । व्यापारियों को जरूरत थी मजदूरों की और राजा को सेना में सिपाहियों की । जमींदार अपनी प्रजा को जमीन छोड़कर जाने न देते थे । समाज का चौखटा चर्रा लगा ।

निश्चय किया गया कोई किसी को बांधकर नहीं रख सकता । मनुष्य मनुष्य सब बराबर हैं । सबको हक है चाहे जहां काम करे और अपना पेट भरे । समानता, स्वतन्त्रता और न्याय के नारे गूँजने लगे । धर्माचार्यों और न्याय के पण्डितों ने कहा, भगवान का आदेश भी तो यही है ।

इधर समाज के चौखटे में यह डावांडोल देख पानी ने भाप बन कर संसार को हिलाना शुरू कर दिया । इंजन चलने लगे । सभ्यता ने कहा, मनुष्य को दास न बनाने दोगे तो हम लोहे को दास बनायेंगे । आदमी का काम मशीन करेगी । दास-प्रथा की जरूरत क्या ?

औद्योगिक क्रान्ति

कलें और कारखाने खुल गये । मनुष्य शहद की मक्खियों की तरह

शहरों में बसने लगे। गांव से लोग दौड़-दौड़ शहरों को आने लगे। दिन भर काम किया और टके वसूल लिये। क्या अच्छा तरीका है, मालिकोंने कहा, दिन भर सौ आदमी से काम कराया, आधे मुनाफे में सबको टरकाया!

मनुष्य ने सोचा, प्रकृति की सबसे बड़ी देन स्वतंत्रता ही है और वह स्वतंत्रता उसे मिल गयी। स्वतंत्रता से उसने एक दूसरे का मुकाबिला शुरू कर दिया। छोटे कारखाने से बड़े कारखाने खुलने लगे। बड़े कारखानों के सस्ते माल के सामने छोटे कारखानों का माल महंगा पड़ा। वे उजड़ गये।

हाथ से काम करने वालों का तो कहना ही क्या? वे अपना हथौड़ा, बसूला और करघा बेच कारखानों में नौकरी करने चले। एक बहुत बड़ी श्रेणी ऐसे लोगों की पैदा हो गयी जिसके पास सिवाय दो हाथों के कमाने का और कोई साधन नहीं रह गया। इधर एक मशीन, जो पहले तीन-चार आदमी का काम करती थी, अब तीस-चालीस का काम करने लगी। मजदूर श्रेणी खूब बढ़ने लगी। यह श्रेणी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, चाहे हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहे परन्तु पेट...यह इंसान के ऊपर बन्धन है। यह नहीं बैठे रहने देता।

पेट भरने के लिये जब तक साधन नहीं वह भर नहीं सकता। जब यह पेट भरने और तन ढांपने के लिये तैयार सामान की कीमत अदा नहीं कर सकते तो मिल-मालिक और व्यापारी इन्हें क्यों पालने लगे? जब यह लोग खरीद नहीं सकते तो मालिक को पैदावार कम करनी पड़ती है। इसका मतलब होता है, कुछ और आदमी बेकार। ज्यों-ज्यों बेकारी बढ़ेगी, त्यों-त्यों खपत कम होती जायेगी। ज्यों-ज्यों खपत घटेगी पैदावार कम करनी पड़ेगी। बेकारी बढ़ती जायेगी और इस सब का मतलब होगा, करोड़ों का नंगा-भूखा रहना।

पूँजीवाद का दीवालियापन

अब फिर समाज का चौखटा चराने लगा है। आज समाज के जीवन

में व्यक्तिगत काम का महत्व कम रह गया है। जो काम होता है सम्मिलित तौर पर होता है। कील-कांटा तक बनाने के लिये सैकड़ों आदमियों को एक साथ हाथ और सिर जुटाने पड़ते हैं परन्तु लाभ जाता प्रायः किसी एक ही आदमी की जेब में। मालिक रहता है एक ही आदमी और वह आदमी कारखाने और मिल को चलाता है केवल आपके मुनाफे के लिये।

धन पैदा करने के सब साधन बहुत थोड़े व्यक्तियों के हाथ हैं। वे पैदावार के चक्र को अपने मुनाफे के लिये चलाते हैं। समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये नहीं।

एक ओर गोदामों में करोड़ों रुपये का माल भरा पड़ा है। १९३५-३९ में गेहूँ की कीमत चढ़ाने के लिये पूंजीवादी अमेरिका में गेहूँ को जलाया और समुद्र में फेंका गया था। दूसरी ओर लोग भूख से बिलबिलाते रहे। लोग सर्दी-गर्मी में कपड़ा न होने से मरते हैं।

बाजारों में शोर मच रहा है—खरीददार नहीं, खपत नहीं।

जनता में शोर मच रहा है—रोटी नहीं, कपड़ा नहीं।

मांग भी है, सामान भी है परन्तु दोनों बातें समाज के चौखटे में ठीक नहीं बैठतीं। वह चर्रा रहा है। इसके लिये अजीबोगरीब उपाय सोचे जाते हैं। दूसरे देशों के बाजारों पर कब्जा करो, उन देशों में अपनी पैदावार खपाओ। हो सकता है, कुछ समय के लिये किसी देश का गुजारा लूट-पाट से चल जाय पर कब तक ?

आखिर कोई देश दूसरे का शिकार क्यों बने ? और फिर संसार के बड़े-चढ़ सभ्य देश दूसरे देशों को नोचें-खसोटेंगे तो लाख पर कुत्तों की तरह खुद भी तो लड़-लड़ कर मरेंगे।

आज संसार में मनुष्य समाज की यही हालत है। मनुष्यों के आराम और सुख बढ़ाने के बजाय आज मेहनत की जाती है और रुपया खर्च किया जाता है मनुष्य-समाज का संहार करने के लिये। पिछले वर्षों में इंग्लैंड ने अरबों रुपया गोला, बारूद और तोप तैयार करने में खर्च

किया, जर्मनी ने उससे अधिक तो फ्रांस ने भी अपने सामर्थ्य से अधिक और अमेरिका ने सबसे अधिक ! आखिर बताइये इस अरबों ही अरबों रुपये से, जिसे दुनिया ने मेहनत कर पैदा किया था, उससे मनुष्य का नाश कर देने के उपाय और साधन तैयार किये गये, समाज को इससे क्या लाभ हुआ ?

मालिक ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने वाले जिस हालत में हैं उसी में बने रहें । मेहनत करने वाले कोशिश कर रहे हैं कि मेहनत करने के अधिकार से वंचित न किया जाय और मेहनत करने पर वे भूखे न रहें । कशमकश, तनातनी और संघर्ष जोर पकड़ रहा है । समाज का चौखटा चर्चा रहा है ।

धर्म-गुरु और आचार्य कहते हैं कि भगवान और प्रकृति ने इस चौखटे को ऐसा ही बनाया है, इसे तोड़ने की कोशिश करना आत्मनाश है, नादानि है परन्तु जिनकी गर्दनें दब रही है, उन्हें ऐसे मीठे उपदेशों को समझने लायक होश ही नहीं । वे मुसीबत से पागल हो रहे हैं ।

नयी व्यवस्था की ओर

बहुत दिन से समाज का यह चौखटा चर्चा रहा है । इस चर्चाहट को सुनकर एक आदमी ने कहा कि यह चौखटा बदल देना चाहिये । उस आदमी का नाम मार्क्स था । मार्क्स ने कहा :

सामाजिक व्यवस्था का नया चौखटा ऐसा हो कि जितने काम साझी मेहनत से किये जायें उनका फल भी लोग साझे में बांट लें । उत्पत्ति के साधनों को कोई अकेले पैदा नहीं करता, वे सबके साझे हों । देशों को यों बांटकर आपस में लड़ना फिजूल है । सब देश ऐसे मिलकर रहें जैसे एक देश के अनेक शहर या गांव मिलकर रहते हैं, उनके हितों में भेद नहीं होना चाहिये । लोगों ने हिसाब लगा कर देखा है कि संसार में इतनी पैदावार होती है कि किसी के भूखा मरने की जरूरत नहीं परन्तु वह

ठीक तरह से बंटती नहीं । वजह यह है कि मालिक व्यक्ति का या मालिक श्रेणी का स्वार्थ ऐसा होने नहीं देता । सब दुःख दूर हो जायं यदि समाज की प्रधानता हो जाय, यदि व्यक्ति के स्वार्थ की नहीं समाज के ही कल्याण की बात सोची जाय । यह जमाना है पूंजीवाद के रूप में व्यक्तिवाद का, हमें जरूरत है समाजवाद की ।

हम कहते हैं, पूंजीवाद के चरति हुये चौखटे की जगह अब एक नये चौखटे की जरूरत है ।



स्वराज्य और श्रेणी-समस्या*

प्रत्यक्ष में इस समय हमारे देश का वातावरण विशेष क्षुब्ध नहीं दिखायी देता। जनता जेल जाने की तैयारी नहीं कर रही है। जो जेल में थे, जिनके निकट भविष्य में छूट जाने की कोई आशा नहीं थी, वे भी बाहर आ रहे हैं और जो अभी तक बाहर नहीं आ पाये, उनकी प्रतीक्षा में जनता उतावली हो रही है। बरिष्ठ ब्रिटिश शक्ति से कोई समझौता न कर, केवल लोहा लेने की ही बात न सोच हमारे राजनीतिक कर्णधार सौदे और भाव-तोल की बातचीत में लगे हैं। आठ प्रान्तों में कांग्रेस की नीति का बोलबाला है। राष्ट्र क्रियात्मक या रचनात्मक कार्यक्रम की ओर झुकता बताया जाया है।

यह सब ठीक है परन्तु आज जैसी राजनैतिक जागृति हमारे देश में है, ऐसी पहले कभी न थी और जो ठोस प्रश्न आज हमारे सामने हैं वे पहले कभी न थे। अब तक हमारे राजनैतिक संग्राम की एक पुकार थी—स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब तक हम लोग केवल भावुकता या वजहदारी से ही प्रेरित होकर स्वराज्य को कल्पना और स्वप्न का विषय समझते रहे, निहायत सहूलियत से यह पुकार हमारा काम देती रही परन्तु ज्यों ही हमारे आन्दोलन में वास्तविकता का पुट

*यह लेख १९३९ की स्थिति में लिखा गया था परन्तु लेख का दृष्टि-कोण आज भी पुराना नहीं हुआ।

आया या स्वराज्य का प्रश्न हमारे सामने आया, हम गम्भीरता से अपनी समस्याओं को सोचने लगे। हमारे सामने अनेक टेढ़े सवाल पैदा हो गये।

स्वराज्य की कल्पनाएं

हम सोचने लगे, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार तो है परन्तु वह स्वराज्य कैसा होगा? भिन्न-भिन्न श्रेणी और विचारों के लोग स्वराज्य की कल्पना अपने-अपने स्वप्नों के अनुसार करने लगे। धनपति व्यापारियों और मिल-मालिकों ने समझा, स्वराज्य का अर्थ होगा कि विदेशी व्यापार को हम भारी आयात कर लगा कर कुचल देंगे; हमारे खजानों में सोना बरसने लगेगा। जमींदारों ने सोचा, हम पर दबाव रखने वाली ब्रिटिश शक्ति का नाश हो जायगा, अपनी अधिकृत भूमि के हम निरंकुश स्वामी हो जायेंगे। सामंतवाद के गये दिनों के सीठे स्वप्न उन्हें फिर दिखायी देने लगे। देशी नरेशों ने भी गत वर्षों में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुये असंतोष की लहर को देखा। भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की उमंग अनुभव की। एक दफ़े फिर वे महामहिम छत्रपति बनने का ख्वाब देखने लगे। पहली गोलमेज़ कान्फ़ेन्स में स्वयं उन्होंने ही संघ शासन की चर्चा चलायी थी। मध्यम श्रेणी के नौकरी-पेशा लोग और छोटे-मोटे व्यापारी सोचने लगे, स्वराज्य का अर्थ होगा कि तनख्वाहें बढ़ जायेंगी, टैक्स घट जायेंगे, पुलिस की डांट-फटकार कम हो जायगी। किसानों ने समझा, लगान कम देना पड़ेगा, बेगार बन्द हो जायगी। मज़दूरों ने समझा, मज़दूरी बढ़ जायगी, बेकारी से छुटकारा मिलेगा, भर पेट खायेंगे, बेखौफ़ चलेंगे। मालूम होता था सभी का भला होगा, सभी की मनचाही मुरादे पूरी होंगी परन्तु ज्यों-ज्यों भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ अपने स्वप्नों को ठोस रूप देने का यत्न करने लगीं इनमें परस्पर संघर्ष की सम्भावना पैदा होने लगी।

नेताओं की आशंका

हमारे नेता श्रेणी संघर्ष की इन सम्भावनाओं से आशंकित हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार श्रेणी स्वार्थ के विचार से प्रेरित होकर स्वराज्य के आन्दोलन को संचालित करने की प्रवृत्ति घातक है। इसके परिणामस्वरूप श्रेणी-वैमनस्य बढ़ाकर हम ब्रिटिश शक्ति के मुकाबिले में न केवल निर्बल हो जायेंगे बल्कि लक्ष्य-भ्रष्ट हो स्वयं ही लड़ मरेंगे। मोटी नजर से देखने से यह आशंका बहुत ठीक मालूम होती है कि हम पहले प्रजातांत्रिक क्रांति द्वारा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लें। इन प्रश्नों पर विचार करने का समय बाद में आयेगा। यह दलील हमें अपने उदार-दल के नेताओं (Liberal leaders) की बातों की याद दिला देती है। उनका कहना भी कितना माकूल था—हमें पहले ब्रिटिश शासन की सुरक्षा में देश की आर्थिक, सांस्कृतिक उन्नति कर शासन का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिये। स्वराज्य के योग्य हो जाने पर ब्रिटिश शासन के सहयोग से हम स्वयं स्वतंत्रता और स्वराज्य प्राप्त कर लेंगे।

यदि स्वराज्य जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है तो किस प्रकार का स्वराज्य जनता चाहती है या किस प्रकार की समाज या शासन व्यवस्था में हमारा हित है, यह सोचने का जनता का अधिकार भी जन्मसिद्ध है। जब हम स्वराज्य-प्राप्ति के लिये प्राण की बाजी लगा रहे हैं तो हम उसका विश्लेषण किये बिना, उसकी वास्तविकता की छान-बीन किये बिना नहीं रह सकते। आखिर स्वराज्य है क्या? देश में देश के राज्य का अर्थ है क्या? या कहिए देश का ही अर्थ क्या है? *

नक्शे में तो हमारे देश का अर्थ है—कुछ पर्वत श्रेणियाँ, कुछ नदियाँ, भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। स्वराज्य का अर्थ निश्चित ही पदार्थों

* यह लेख लिखा जाने के बाद हमारे देश का रूप और सीमायें बदल चुकी हैं। इस देश के पूंजीवादी नेतृत्व और ब्रिटेन के स्वार्थ के समझौते ने देश को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में बांट दिया है।

की स्वतंत्रता नहीं है। स्वराज्य का अर्थ है—इस भू भाग में रहने वाले लोगों की स्वतन्त्रता और उनकी समृद्धि। इतना ध्यान में रख लेने पर हम अपने लक्ष्य स्वराज्य की मीमांसा और परिभाषा किये बिना नहीं रह सकते। यदि स्वराज्य का अर्थ हम देश की जनता की स्वतन्त्रता और हित समझ लें तो हम इस प्रश्न की अवहेलना नहीं कर सकते कि जनता का या देश की अधिक से अधिक जनता का लाभ कैसे हो सकता है।

अनिवार्य श्रेणी संघर्ष

वास्तविकता की ओर से आंखें बन्द कर अपने आपको धोखा देने से क्या लाभ? हम यह बात भूल नहीं सकते कि हमारे देश की जनता अन्य देशों की जनता की भांति, भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभक्त है और समाज में इन श्रेणियों के परस्पर सम्बन्ध ऐसे हैं कि उनके हितों में संघर्ष अनिवार्य है। एक श्रेणी की समृद्धि या स्वतन्त्रता प्राप्त करने का अवश्यम्भावी परिणाम यह होगा कि दूसरी श्रेणी, जो अब तक प्रथम श्रेणी की पराधीनता या दीनता से लाभ उठाती रही है, अपने हितों को खतरे में समझे। यह बात अप्रिय जरूर है परन्तु सत्य है। प्रत्येक मनुष्य संसार के अन्य प्राणियों में अपनी ही आत्मा अनुभव कर उनके सुख से सुखी हो, यह रोचक सिद्धान्त त्याग और आध्यात्मिक व्याख्यानों के लिये बहुत अच्छा विषय है परन्तु कोई समाज इस विषय पर कभी अमल नहीं कर सका। कुछ व्यक्तियों की बात जाने दीजिये; व्यक्ति सद्भावना से प्रेरित होकर स्वार्थ का त्याग महत्तर स्वार्थ अर्थात् समाज और जगत के कल्याण के लिये बलिदान कर सकता है परन्तु एक सम्पूर्ण श्रेणी या समाज अपने हितों या स्वार्थ का बलिदान नहीं कर सकता; करेगा भी तो किसी उद्देश्य से।

जब हमारा समाज श्रेणियों का समूह है, जब कदम-कदम पर श्रेणियों की समस्या हमारे सम्मुख अनिवार्य रूप से आयेगी ही तो क्यों न हम

परिस्थिति को उसी दृष्टि से देखें। यदि जिस स्वराज्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह हमारे देश की जनता या अधिकांश श्रेणियों के हितों के विरुद्ध जा रहा है तो जनता को सदा के लिये उल्लू बनाकर ऐसा स्वराज्य सफल न बनाया जा सकेगा। यदि वह देश की बहु-संख्यक जनता के हितों के अनुकूल है तो उसे स्पष्ट स्वीकार करने में हर्ज ही क्या, बल्कि उसे स्पष्ट तौर पर अंगीकार कर, उसका एलान करके ही हम अपने स्वतंत्रता के संग्राम को सबल बना सकेंगे। जिन श्रेणियों के हित बहुसंख्यक जनता के हितों के प्रतिकूल हैं उन्हें भी हम मूर्ख नहीं बना सकते। वे अपने लिये आने वाले खतरे को खूब समझती हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका सहयोग कभी मिल नहीं सकता और हम उन्हें संतुष्ट करने के लिये बहुसंख्यक जनता को, प्रायः सम्पूर्ण देश को अपने स्वार्थ और हित की बात सोचने और कहने से वंचित नहीं कर सकते।

शोषितों का स्वराज्य

जिन श्रेणियों के हित परस्पर विरुद्ध हैं उनमें संघर्ष होता ही है। इस संघर्ष पर परोपकार की भावना और आध्यात्मिकता की लीपा-पोती कर हम उन्हें सदा बहला कर नहीं रख सकते। यदि स्वराज्य पाने पर देश के मुख्य अंग किसानों और मजदूरों को पेट भरने का अधिकार या अपने श्रम से उपाजित सामान को प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं मिलता तो उनके लिये स्वराज्य का अर्थ क्या होगा। उन्होंने जो कुछ त्याग या कष्ट अपने स्वप्नों की प्राप्ति के लिये सहन किया है उसका क्या मुआविजा उन्हें मिलेगा और भविष्य में उनसे जो और भी अधिक त्याग की आशा की जा रही है, उसी के लिये वे क्यों तैयार होंगे।

हमारा अपने स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव हमें बताता है कि इस देश की कुछ श्रेणियां सदा जनता की महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध रही हैं। उन्होंने सदा हमारे शोषकों का ही साथ दिया। वे देश की जनता के

शोषण में हमारे शोषकों के हिस्सेदार रहे हैं, उनके लिये ऐसा करना ही स्वाभाविक है। उनके संतोष के लिये हम यदि दलित और शोषित श्रेणियों की मांग को दबा देने का यत्न करेंगे तो इसका अर्थ होगा कि हमें स्वराज्य के स्वप्न को ही भूल जाना होगा या फिर ब्रिटिश शोषण की जगह देशी शोषण स्वीकार करना होगा।



किसान और मजदूर श्रेणी-समस्या

एक ओर तो हम देखते हैं, संसार का मनुष्य समाज श्रेणियों का समूह है; मनुष्य-जाति का इतिहास, भिन्न-भिन्न श्रेणियों के विकास, उनकी पारस्परिक उतरा-चढ़ी और संघर्ष का इतिहास है। दूसरी ओर हम देखते हैं, हमारे देश में इस प्रश्न को दृष्टि से ओझल करने का और इसे दबा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। मानो हमारे देश का सामाजिक और आर्थिक संगठन शेष संसार से पृथक और भिन्न हो। इसमें सन्देह नहीं कि अभी हाल तक हमारे देश में श्रेणियों के भेद का प्रश्न उत्कट रूप में उपस्थित नहीं था। इसके तीन कारण थे। प्रथम उद्योग-धंधों की उन्नति का अपेक्षाकृत अभाव; दूसरा सामाजिक और राजनैतिक जाग्रति का अभाव, तीसरा और प्रधान कारण जिसका प्रभाव भी मौजूद है—विदेशी शासन का प्रभाव। विदेशी शासन की मौजूदगी में अपनी प्रत्येक राष्ट्रीय न्यूनता और हीनता का कारण हम स्वभावतः ही उस शासन को समझते रहे। दलित श्रेणियों का ध्यान मुख्य शोषक की ओर ही रहा; उन्होंने हमारे अपने ही देश में मौजूद उन श्रेणियों की ओर कभी ध्यान न दिया जो विदेशी शासन के संरक्षण में शोषण का एक बड़ा भाग हज़म कर, विदेशी शासन के वृक्ष की जड़ों का काम करती रही हैं।

जब हमने देश की सम्पूर्ण शक्ति से विदेशी शासन व्यवस्था के वृक्ष को उखाड़ फेंकने का यत्न किया तो हमें मालूम पड़ा कि इस वृक्ष की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी पहुंची हुई हैं और यह जड़ें हमारे समाज

की भूमि में पृथक-पृथक श्रेणियों के रूप में मौजूद हैं। हमने विदेशी शासन व्यवस्था के बाहरी रूप की काट-छांट कर, गोरे शासकों को भगा कर भी देखा कि उस शासन-व्यवस्था की जड़ों से जो शाखा-प्रशाखा निकली थीं वे अपने मूल शासन के अनुरूप ही थीं।

शोषण क्यों ?

उस समय यदि हम राह चलते किसी भी देशवासी से पूछते कि देश की दुरावस्था का कारण क्या है तो तुरन्त उत्तर मिलता, विदेशी शासन परन्तु विदेशी शासन के कारण हमारी दुरावस्था क्यों थी, इसे सर्व-साधारण ठीक ठीक न समझते थे। ब्रिटिश भारत की अपेक्षा भी देसी रियासतों में जनता की दुरावस्था क्यों थी, इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं दे सकते थे। सर्वसाधारण ग्रामीण या शासन-व्यवस्था और राजनीति से अनभिज्ञ जनता का खयाल था कि अंग्रेज लोग भारतवर्ष से टैक्स के रूप में धन संचय कर, जहाजों पर लाद विदेश ले जाते हैं। देश से सब सोना-चांदी खिच गया है और देश में नोटों के रूप में कागज रह गया है। इससे परे उनकी दृष्टि न जाती थी। सत्याग्रह और असहयोग के जमाने में कांग्रेस के प्रचारक ही इस प्रकार की बेसिर-पैर की बातें फैलाते फिरते थे। उनका स्वागत भी खूब होता था और एक हद तक जनता में असंतोष फैलाने के लिये यह बातें कारगर भी थीं।

उस समय यह बतंगड़ चल जाता था लेकिन आज नहीं चल सकेगा। आठ प्रान्तों में आज कांग्रेसी सरकारें चल रही हैं। टैक्स यहाँ आज भी लिया जा रहा है बल्कि और टैक्स बढ़ाने की तदबीरें सोची जा रही हैं।* आज हम लोगों के लिये यह कहना कि कांग्रेस मंत्री टैक्स इकट्ठा कर विलायत भेज देते हैं, सम्भव नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि विदेशी शासन

* १९४९ में तो टैक्स इतने बढ़ गये हैं कि जनता अंग्रेजी राज की दासता को ही धन्यवाद देने लगी है।

व्यवस्था में टैक्स इकट्ठा करने और व्यय करने की जो नीति थी, वह सदा देश की प्रगति के मार्ग में बाधक रही और स्वायत्त शासन कांग्रेसी मंत्रि-मण्डलों ने देश की दलित श्रेणियों को सहानुभूति का आश्वासन दिया। कांग्रेस द्वारा अख्तियार की गयी नीति में सदाशय का वायदा जरूर है।

दुरावस्था किनकी ?

हमारे देश की दुरावस्था के क्या कारण हैं ? यह जानने के लिये पहले यह देखना जरूरी है कि दरअसल हमारे देश में दुरावस्था है किसकी ? हमारे देशी नरेशों की दुरावस्था नहीं थी, हमारे ताल्लुकेदारों और जमींदारों की दुरावस्था नहीं। हो सकता है पहले की अपेक्षा वे किसी कदर कम स्वच्छन्द हों, उनकी निरंकुशता में कुछ कमी आ गयी हो, राजसी ठाठ और प्रमोद में रुपया पानी की तरह बहाने की सहूलियत में फर्क पड़ गया हो, कुछ कर्ज सिर पर हो गया हो परन्तु उनकी दुरावस्था नहीं। मिल मालिकों की दुरावस्था नहीं, कोठीपतियों और व्यापारियों की भी दुरावस्था नहीं। वे भूखे नहीं, नंगे नहीं, रहने की वजह से लाचार नहीं। उनके प्रासाद आकाश को फोड़ते चले जा रहे हैं, उनकी मिलों की चिमनियों का धुआं, उनकी क्षमता की ध्वजाएं आकाश में फहरा रही हैं। उनकी मोटरों और वाहनों में कमी नहीं आयी। मोटरों के प्रति वर्ष नये-नये आने वाले माडलों की खपत कम नहीं हुई उल्टे बढ़ती ही जाती है। ऊंची तनखाह पाने वाले सरकारी अफसरों या पूंजीपतियों की दलाली और कारिन्दगी करने वालों की दुरावस्था नहीं। ऊंचे पेशेवर लोग भी दलित नहीं हो रहे हैं। इन्हें विदेशी शासन के प्रति यही शिकायत थी कि शोषण का बड़ा भाग वह शासन ले जाता था और इन्हें अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का अवसर न मिलता था।

दुरावस्था है उन लोगों की जो अपने शरीर का पसीना बहा कर उपज और पैदावार मुहय्या करते हैं। जो समाज के विराट रथ में घोड़ों

और पहियों का काम करते हैं, वे पिस रहे थे, पिस रहे हैं। उन्हीं के पेट खाली हैं, उन्हीं के शरीर नंगे हैं और जो समाज के रथ पर बैठ कर सवारी कर रहे हैं या रथ की बागडोर हाथ में संभाले हैं, चाहे चिंता के बोझ से उनके माथे पर तयोरियां पड़ रही हों, जान के लाले उन्हें नहीं पड़ रहे हैं।

किसानों की दुरावस्था ?

वास्तव में श्रम करने वाली श्रेणियों या समाज के अंगों को लीजिये, सबसे पहले आपके सामने ज़मीन से सिर मारने वाला किसान आता है। श्रेणी रूप से या सामूहिक रूप से इसकी क्या अवस्था है, यह किससे छिपी है ? यह सब कुछ उत्पन्न करके भी यह कितना दीन-हीन और पराश्रित है। समाज की शिकारी श्रेणी के हाथ में वह बिना पंख का पक्षी है। वह कितनी विडम्बना का पात्र है, इसका अन्दाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसका दूसरा समानार्थक नाम है—गंवार !

किसान अपने किसानपने का चाहे जितना अभिमान कर ले, कोई दूसरा व्यक्ति न तो किसान बनने को तैयार होगा, न कहलाने को। फिर भी हमारे देश की सम्पूर्ण आबादी के तेईस करोड़ (१९३० में) मनुष्यों में से जो भूमि से सम्बन्ध रखते हैं, इक्कीस करोड़ अस्सी लाख किसान ही हैं। शेष एक करोड़ बीस लाख ही ऐसे हैं जो अपने आपको दीन-हीन किसान न कह कर मालिक कहलाने का अभिमान कर सकते हैं। एक हद तक इन लोगों का यह अभिमान ठीक ही है क्योंकि देश की भूमि से प्राप्त होने वाली आमदनी में से एक अरब अस्सी करोड़ रुपया इन्हीं के पेट में चला जाता है, जिसके लिये इन्हें हाथ से मेहनत नहीं दिमाग से चालबाजी करनी पड़ती है।

इक्कीस करोड़ अस्सी लाख किसानों का काम है मेहनत से पैदा करना और एक करोड़ बीस लाख का काम है, व्यय करना। मोटे हिसाब से प्रति एक भाग्यवान के सुख और आराम की व्यवस्था के लिये अट्टारह

अभागे मेहनत कर मरते हैं। कौन इनकार कर सकता है कि इन दो कोटियों के प्राणियों की दो भिन्न-भिन्न श्रेणियाँ हैं? जब तक मौजूदा सामाजिक और आर्थिक शासन व्यवस्था रहेगी, इस बड़ी श्रेणी का जीवन छोटी आरामतलब श्रेणी के आधीन रहेगा और उन्हें सुख-चैन, स्वतंत्रता और पेट भर खाना कभी नसीब नहीं हो सकेगा। जब भी यह बड़ी परन्तु पराधीन श्रेणी यह इच्छा करेगी कि उनकी मेहनत का फल उनके ही हाथों में रहे, यह छोटी श्रेणी, जिसे विदेशी शासन व्यवस्था की दया और सहायता से शक्ति है, इस श्रेणी का विरोध करेगी।

विदेशी शासन व्यवस्था के इस देश में कायम रहने का उद्देश्य क्या था? यदि वह उद्देश्य इस देश की प्राकृतिक सुविधाओं और जनता का शोषण था तो वह इसे इस देश की अल्प-संख्यक शोषक श्रेणियों के सहयोग से ही पूर्ण करता था। विदेशी शासन व्यवस्था और श्रेणियाँ इस उद्देश्य में सहयोगी और साझीदार थीं।

हम जो कुछ कह रहे हैं स्वप्न में नहीं बक रहे हैं। ऊपर हम किसान श्रेणी का जिक्र कर रहे थे। इस श्रेणी के प्रति ब्रिटिश शासक शक्ति का क्या रुख था इसे आप एक ही उदाहरण से समझ जायेंगे। किसानों और खेती की शोचनीय अवस्था देख सरकार ने एक जांच कमेटी (Royal Agricultural Commission) नियत की थी। पहिली हिदायत इस कमेटी को यह कर दी गयी थी कि भूमि के बंटवारे या मिल्कियत के सम्बन्ध में जबान हिलाने की जरूरत नहीं। खेती का आधार है जमीन। जब उसी के सम्बन्ध में कोई सुधार या परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है? मतलब—सुधार हो या बिगाड़, सरकार अपनी सहायक शोषक श्रेणी की नींव हिला कर अपनी शासन-व्यवस्था की इमारत नहीं गिराना चाहती थी। क्या इस बात से इन्कार करने की कोई गुंजाइश शेष है कि सरकार का दृष्टिकोण शोषक श्रेणी के हित का दृष्टिकोण था?*

* कांग्रेसी सरकार ने जनता की मांग और परिस्थितियों से विवश

श्रेणी-समस्या : पूंजीपति और मजदूर

इस बात से सहमति है कि स्वराज्य का अर्थ इस देश की भूखों मरती करोड़ों जन-संख्या की स्वतंत्रता है और इस जनता को स्वराज्य की आवश्यकता के प्रति सचेत करने के लिये, स्वराज्य की लड़ाई में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिये, उनसे सम्बन्ध रखने वाली आर्थिक समस्याओं को हमें सामने लाना चाहिये। हमारे कुछ नेता उनके श्रेणी रूप से सजग होने और संगठित होने के विरुद्ध हैं। अब आर्थिक समस्या से सम्बन्ध रखने वाला समाज सचेत हुये बिना नहीं रह सकता। श्रेणी रूप से एक अवस्था में रहने वाले लोग अपने हितों में एक सम्बन्ध अनुभव किये बिना, अपने समान कष्टों के निवारण के लिये सम्मिलित प्रयत्न किये बिना, अपने आप को एक शृंखला में बंधा हुआ अनुभव किये बिना नहीं रह सकते। उपरोक्त बातों को प्रगति का स्वाभाविक मार्ग मानकर, हम

हो ज़मीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास कर लिया है परन्तु ज़मीन्दारी उन्मूलन का जो उपाय निकाला गया है, वह भूमि पर ज़मीन्दार की मिल्कीयत से इनकार नहीं करता।

कांग्रेसी सरकार ज़मीन्दारों की भूमि लेने से पूर्व उन्हें पुरस्कार में दस वर्ष के लगान की रकम देना चाहती है। दस वर्ष के लगान की यह रकम देनी होगी किसान को। इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठते हैं। प्रथम, यदि ज़मीन्दारी समाज हित के अनुकूल और न्यायोचित है तो उसका उन्मूलन क्यों? यदि यह प्रथा समाज हित-विरोधी और अन्याय-पूर्ण है तो इसे मिटाने के लिये अब तक अन्याय करती आने वाली श्रेणी को पुरस्कार क्यों? दूसरे, क्या ज़मीन्दारी प्रथा के परिणाम स्वरूप किसान इस अवस्था में है कि इस वर्ष का लगान एक साथ दे सके? वार्षिक लगान न दे सकने के कारण जिन किसानों की बेदखलियां होती आयी हैं वे दस वर्ष का लगान पेशगी कहां से देंगे?

श्रेणी चेतना के विकास और संगठन को किस प्रकार अनुचित बता सकते हैं ?

हमारे राजनैतिक नेताओं का प्रमुख दल, महात्मा गांधी के नेतृत्व में श्रेणी चेतना और श्रेणी संगठन का विरोध इसलिये करता है कि उसे इससे हिंसा और वैमनस्य की बू आती है। वे लोग समाज को पुराने रामराज्य के पारिवारिक आदर्श पर ही संगठित और प्रचलित देखने की जिद्द में हैं। मालिक पिता और मजदूर पुत्र यही उनका पुराना गीत है।

पैदावार किस लिये ?

यदि हम समस्या के मूल में जाने का यत्न करें तो पहला सवाल यही उठता है कि उत्पत्ति या उद्योग-धन्धों का उद्देश्य क्या है या क्या होना चाहिये ? पूंजीपति की दृष्टि से उद्योग-धन्धे चलाने का उद्देश्य है—अधिक से अधिक माल मजदूरों द्वारा पैदा करवा कर उससे लाभ का अंश प्राप्त करना। मजदूर के समाने उद्देश्य का सवाल ही नहीं; क्यों कि उद्योग-धन्धे को जारी रखने की नीति में उसका कुछ भी हाथ या अधिकार नहीं। वह असहाय अवस्था में अपने श्रम की शक्ति को बेचने जाता है, ताकि पेट भर अन्न प्राप्त कर सके। समाज की दृष्टि में उत्पत्ति का उद्देश्य है—समाज या देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करना।

उलझन तब पैदा होती है जब पूंजीपति मजदूर की मेहनत को इतना अधिक हड़प जाना चाहता है कि मजदूर का जीवन ही असम्भव हो उठता है। सामाजिक व्यवस्था या परिस्थिति मालिक के पक्ष में है। समाज में बेकारों की संख्या इतनी अधिक है कि पूंजीपति मजदूरी के भाव को जितना चाहे गिरा दे सकता है। यदि मजदूर सम्मिलित रूप से मुक्ता-बिला न करें तो मजदूरी कितनी कम हो जा सकती है, इसका अनुमान हम केवल कठिन कल्पना से ही कर सकते हैं परन्तु यह क्या न्याय है या उचित है ?

न्याय और औचित्य का निर्णय सदा किसी न किसी दृष्टिकोण से ही होता है। यदि पूंजीपति के दृष्टिकोण से देखा जाय तो वह न्यायपूर्ण और उचित है। पूंजीपति का दावा है कि अपनी पूंजी से वह कल-कार-खाना लगाकर धन्धा चलाता है अपने लाभ के लिये। मजदूर को ज़रूरत है, वह काम मांगता है। पूंजीपति जो कुछ मजदूरी देना चाहता है, यदि मजदूर को मंजूर नहीं तो वह काम न करे, उसकी जगह कोई दूसरा आ जायगा।

एक समय था जब इस प्रकार का तर्क ही न्याय की कसौटी था लेकिन सामाजिक विकास के साथ हमारा दृष्टिकोण वैयक्तिक न रह कर सामाजिक होता जा रहा है और हम पूंजीपति और मजदूर दोनों को समाज का अंग मान और तीसरे अंग ग्राहक के हित को भी उसमें सम्मिलित कर न्याय की विवेचना करने लगे हैं।

न्याय क्या है ?

हम यह बात अनुभव करने लगे हैं कि यदि मजदूरों के शोषण की कोई सीमा न रहेगी तो मजदूर लोग (जो कि समाज का एक बहुत बड़ा अंश है) दिन-दिन शारीरिक और मानसिक अवस्था में गिरते जायेंगे और इससे सम्पूर्ण समाज या देश निर्बल होता जायगा। पूंजीपति इस आपत्ति के बावजूद शोषण के (मुनाफ़ा कमाने के) अपने अधिकार का समर्थन करने को तैयार है। उसका कहना है कि उसका यह अधिकार समाज के लिये हितकर है क्योंकि उद्योग-धन्धों के विकास में ही देश या समाज का कल्याण है। उद्योग-धन्धों का विकास पूंजीपति उसी अवस्था में कर सकता है, जब उसे अपने कारोबार में से लाभ का पर्याप्त अंश मिले— देश के कल्याण के नाम पर वह अपने शोषण के अधिकार की सफ़ाई देना चाहता है।

यदि हम इस प्रश्न को मजदूर की दृष्टि से देखें तो एक दूसरा पहलू

हमारे सामने आता है। उत्पत्ति के प्राकृतिक साधनों को तो कोई नहीं बनाता ! पूंजी क्या है ? एक समय मेहनत द्वारा जो उत्पत्ति की जाती है और उस पैदावार के सम्पूर्ण अंश को उपयोग में न लाकर जो कुछ बचा लिया जाता है, वही पूंजी बन जाता है। इस पूंजी को उत्पन्न करता है मजदूर और इस पूंजी द्वारा प्राप्त मशीनों पर काम करता है मजदूर परन्तु जो उत्पत्ति होती है उस पर अधिकार होता है पूंजीपति का। यह कैसा न्याय है !

उत्पत्ति के कार्यक्रम में पूंजीपति का क्या स्थान है ? भाग्य से या कौशल से पूंजीपति ने पूंजी के नियंत्रक या प्रबन्ध-कर्त्ता का स्थान ले लिया है। उसके आधीन सम्पूर्ण पूंजी की उत्पत्ति में उसकी अपनी मेहनत का हिस्सा उतना ही है, जितना कि मिल के किसी दूसरे मजदूर, क्लर्क या मैनेजर का परन्तु व्यवस्था ऐसी है कि प्रत्येक मजदूर की कमाई का बहुत सा अंश पूंजीपति के हाथ चला जाता है। उसकी धन-शक्ति समाज में रोज-रोज बढ़ती चली जाती है। मजदूर केवल उतना पाता है जितना कि उसके शरीर में प्राण कायम रखने के लिये नितान्त आवश्यक है और रोज-रोज अपेक्षाकृत असहाय होता जाता है। मजदूर का कहना है कि उसकी मेहनत का फल उसे पूरा क्यों न मिले ?

सामाजिक दृष्टि से हम यह समझते हैं कि उद्योग-धन्धों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। पूंजीपति जिस सिद्धांत पर अपने उद्योग-धन्धों को चलाते हैं, उसमें उद्देश्य समाज की आवश्यकता को पूरा करना न रह कर केवल व्यक्तिगत लाभ उठाना रहता है। यदि उद्योग-धन्धों का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना ही हो तो पैदावार अधिक हो जाने से फालतू उत्पत्ति या मांग की कमी का सवाल कभी पैदा हो ही नहीं सकता। सुविधा और अवसर होने पर प्रत्येक मजदूर करोड़पति के समान रहने के लिये तैयार है परन्तु हम संसार में सब ओर आर्थिक संकट ही देख पाते हैं।

आर्थिक संकट है क्या ?

आर्थिक संकट है क्या ? आर्थिक संकट है खपत से ज्यादा माल का पैदा हो जाना । एक ओर तो हम अपनी आंखों से सभी तरफ कमी ही कमी देखते हैं, लोगों को नंगे और भूखे फिरते देखते हैं । दूसरी ओर पूंजी-पतियों को चिल्लाते सुनते हैं खपत नहीं, मांग नहीं । * यह विरोध क्यों ? इस विरोध की जड़ पैदावार के उद्देश्य में है । 'खपत या मांग नहीं, का अर्थ यह नहीं कि जनता को इन चीजों की जरूरत नहीं । इसका अर्थ है कि जिन लोगों को जरूरत है उनके पास मूल्य देने की शक्ति नहीं । मूल्य देने की शक्ति मजदूरों या किसानों के पास न होने का मतलब है कि जितनी मेहनत वे पूंजीपति की आधीनता में समाज का धन बढ़ाने में करते हैं, उसका फल उन्हें उतना नहीं मिलता कि वे इसे खरीद कर व्यय कर सकें । परिणाम यह होता है कि उत्पादन फालतू पड़ी रहती है, पूंजीपति अपने मिल या उद्योग-धन्धे को बन्द कर देता है । बेकार मजदूर मजदूरी नहीं पा सकता तो बिक्री और भी कम हो जाती है या बन्द हो जाती है । समाज में कारोबार या व्यापार की मशीन बिलकुल थम जाती है ।

ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि समाज के पारिवारिक आदर्श (कम्यूनिज्म) संगठित होने की कल्पना मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में असम्भव है । समाज के जीवन का आधार उसकी पैदावार है । पूंजीपति उत्पादकों का उद्देश्य अपने कल-कारलानों से समान तैयार करने में

* १९३८ में संसार भर के पूंजीवादी देशों में पैदा होगये माल की खपत न हो सकने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई थी । तैयार माल खप न सकने के कारण मिलें बन्द हो रही थीं और अनाज जलाया जा रहा था । संसारव्यापी युद्ध में पैदावार का बहुत बड़ा अंश नष्ट हो जाने और पैदावार की शक्ति उपयोगी पदार्थों की अपेक्षा विनाश के साधन पैदा करने में खर्च होने से पूंजीपतियों के लिये सुअवसर आ गया ।

जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, उनका उद्देश्य है—केवल अपने सामान को कम मजदूरी में तैयार करा कर अच्छे दामों बेच सकना ताकि उनकी जेब भारी हो सके ।

लेकिन खरीदेगा कौन, ग्राहक कौन है ? जो व्यक्ति मजदूर बनकर मिल में काम करता है, वही मिल से बाहर आकर उस माल को खरीदने की भी जरूरत महसूस करता है यानि सामान को तैयार करने वाला मजदूर-किसान समाज ही ग्राहक भी है । पूंजीपति की नीति है मजदूरी कम देकर माल तैयार करने की चेष्टा करना और मजदूरी कम देने के लिये वह सफाई देता है कि देश की गरीब जनता को सस्ता माल पहुंचाने के लिये उसे सस्ती मजदूरी की आवश्यकता है । यह कम मजदूरी देने की प्रवृत्ति किसी एक व्यवसाय के ही मिल मालिकों में नहीं बल्कि सभी व्यवसायों के मिल मालिक ऐसा करने की चेष्टा करते हैं । परिणाम यह होता है कि मजदूर लोग जो ग्राहक भी हैं, अपेक्षाकृत गरीब होकर मिलों द्वारा तैयार माल को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं । नतीजा होता है—आर्थिक संकट ! यह आर्थिक संकट मालिक और मजदूर श्रेणियों के दिलों में विरोध और संघर्ष होने के कारण ही पैदा होता है ।

श्रेणी-संघर्ष कैसे रुके ?

संसार की आर्थिक व्यवस्था में सदा संकट आते रहने और उलझनें पैदा होते रहने का कारण है उत्पादन के काम में भाग लेने वाली दोनों श्रेणियों अर्थात् पूंजीपति-शासक वर्ग और मजदूर या ग्राहक शासित वर्ग के हितों में विरोध होना । समाज के कल्याण के लिये उत्पत्ति होनी चाहिये; फिर उत्पत्ति में भाग लेने वाली इन दोनों श्रेणियों में यह तना-तनी क्यों ? कारण यही है कि शासक वर्ग सम्पूर्ण समाज के कल्याण की चिन्ता न कर स्वयं ही मुनाफ़ा पाना चाहता है इसलिये उद्योग-धन्धों के विकास द्वारा उत्पत्ति का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता और मजदूर या ग्राहक

वेबस होकर पेट की रोटी के लिये लड़ने को आभादा हो जाते हैं। मरता क्या न करता ? हमारे देश में भी उद्योग-धन्धों के पूंजीवादी ढंग पर विकसित होने से स्थिति संसार के अन्य देशों से भिन्न नहीं। हम भी श्रेणी संघर्ष से बच नहीं सकते। श्रेणी-संघर्ष से बचने का यदि कोई उपाय हमारे लिये है तो वह श्रेणीवाद का नाश और समाजवाद की स्थापना ही है।



मजहब का मुलम्मा

आज हमारा देश और समाज बीस वर्ष पहले की तरह निराशा और उद्यमहीन नहीं। समाज और देश के शरीर में जीवन की स्फूर्ति और स्पन्दन का प्रमाण मिल रहा है। हम पहले की भांति निष्क्रिय नहीं। बात-बात में हम स्वराज्य की चर्चा करते हैं, स्वराज्य की प्राप्ति के उपायों पर विचार करते हैं।* हमारे मार्ग में जो अड़चनें और रुकावटें हैं उनकी विवेचना करते हैं। अनेक प्रश्नों पर भिन्न-भिन्न विचार रखते हुये भी देश और समाज के सभी अंग इस बात से सहमत हैं कि हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में मुख्य रुकावट हमारे देश और समाज में राष्ट्रीयता या कौमियत का अभाव है। लम्बे-चौड़े देश में रहने वाले हम पैंतीस करोड़ हिन्दुस्तानी, एक प्राण और जान होकर, एक उद्देश्य के लिये अपनी शक्ति को संचित रूप से क्या नहीं लगा सकते ?

हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते इस प्रश्न को भी हम सोचते हैं। हमारी वृहत् जन-संख्या छोटे-छोटे अनगिनत समूहों में विभक्त है। अनेक संस्कृतियां और अनेक सम्प्रदाय हमारे देश के छोटे-छोटे ताल-तलैया में

* यद्यपि यह लेख १९३९ की भूमिका में लिखा गया था परन्तु इस समय भी इसकी उपयोगिता अनुभव कर इसे संग्रह में स्थान दिया जा रहा है। हमारी जिस राष्ट्रीय निर्बलता ने देश के दो भाग कर दिये— इस लेख में उसी प्रवृत्ति की विवेचना है।

बंटे हुये हैं। इसीलिये हम सामूहिक रूप से एक बड़ी नदी की तरह प्रबल वेग से बह कर अपना मार्ग नहीं बना पाते। यह ठीक है कि हम छिन्न-भिन्न हैं, कटे-फटे और बंटे-छटे हैं परन्तु हमें कौन चीज बांटे हुये है? सौ ज़बान से हम इस बात को चिल्ला-चिल्ला कर स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में मौजूद साम्प्रदायिक, मजहबी और सांस्कृतिक भेद हमारे समाज में मेड़ों की तरह खड़े होकर हमें एक होने से रोके हुये हैं परन्तु इसके साथ ही, उतने ही बल से, शायद उससे भी अधिक जोर से हम अपने समाज को छिन्न-भिन्न किये रहने वाली इन मेड़ों को मजबूत बनाये रखने की भी पुकार बुलंद किये रहते हैं।

हमारे साम्प्रदायिक नेता चाहते हैं, धार्मिक (साम्प्रदायिक) और सांस्कृतिक स्वतन्त्रता। हमारे राजनैतिक नेता उत्तर देते हैं—ज़रूर परन्तु सहनशीलता के साथ। हमारे गण्यमान्य मुकुटमणि नेता धार्मिक प्रवृत्ति को राजनैतिक योग्यता का मुख्य अंग मानते हैं। कुछ वर्ष की बात है, लाहौर में एक बहुत योग्य नेता ने अपने व्याख्यान में कहा था कि भारत की मुक्ति का साधन राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता या क्रांमियत तभी पैदा हो सकती है, जब देश का प्रत्येक हिन्दू सच्चा और पक्का हिन्दू, प्रत्येक मुसलमान पक्का मुसलमान और ईसाई सच्चा ईसाई होगा। सच्चे या पक्के हिन्दू, मुसलमान या ईसाई होने की यदि एक ही कसौटी हम निश्चित करना चाहें तो इसका तात्पर्य होगा—साम्प्रदायिक कट्टरता।

साम्प्रदायिक कट्टरता की निंदा हमारे नेता भी करते हैं। देश की जनता अवाक् अपने इस मार्ग-द्रष्टाओं की ओर देखती है और विमूढ़ होकर रह जाती है। अपने सम्प्रदाय में दृढ़ विश्वास और कट्टरता की सीमाओं को पृथक् करने वाली यह सूक्ष्म रेखा कहां है? इसे जनता तो समझ ही नहीं सकती। हमारे विलक्षण नेता इसे समझ सकेंगे या नहीं, हम नहीं कह सकते। ऐसी कोई रेखा है भी या नहीं, इसमें भी हमें संदेह है।

बहुत सीधा सवाल है, एक सच्चा निष्ठावान् हिन्दू अपने पड़ोसी

मुसलमान से हजार सहानुभूति प्रकट करे परन्तु जब मन्दिर में जोर से घण्टा बजाने का सवाल आयेगा तब वह निष्पक्ष कैसे रह सकता है ? वह यदि नियम, धर्म से रहना चाहता है तो अस्पृश्यता की उपेक्षा कैसे कर सकता है ? एक निष्ठावान् मुसलमान कुरान की आज्ञा का उल्लंघन कर रसूल में विश्वास न करने वाले काफिर के प्रति कैसे सहानुभूति प्रकट कर सकता है ? सम्प्रदाय या धर्म में विश्वास रखकर भी कट्टर न होने का अर्थ है, शायद सम्प्रदाय या मजहब के उपदेशों का आदर करते रहना परन्तु उन उपदेशों पर आचरण करने की चेष्टा न करना ।

साम्प्रदायिकता के इस सहिष्णु रूप का मुख्य स्रोत सेवाग्राम है । वहां सच्चे खुदाई खिदमतगार और राम के सच्चे सेवक एक साथ बैठ कर भोजन करते हैं । कुछ अल्लाह की तसबीह फेरते हैं तो दूसरे राम-नाम की सुमरनी जपते हैं । भगवान या अल्लाह प्रसन्न होकर वहां अपने आशीर्वाद की वृष्टि करते हैं । वहां सुख-चैन का राज्य है । वर्धागंज से आवाज आती है—हमारी ओर देखो ! भगवान के सच्चे सेवक और उपासक हम हैं । क्या तुम हमारा अनुसरण नहीं कर सकते ? धर्मभीरु जनता हतबुद्धि होकर उस ओर देखती है । उसकी समझ में कुछ नहीं आता । धर्म का यह नया अवतार सदियों से चले आये धर्म-संस्कारों के विरुद्ध क्या कह रहा है ? पुरातन सम्प्रदाय में दृढ़ विश्वास रखो, उसके लिये अपना सिर दे दो परन्तु उसकी रक्षा के लिये हाथ न उठाओ ।

सच्चा मुसलमान छटपटाता है । कुरान में हुक्म है—बाहदत का डंका बजा देने का । उसके बुजुर्गों ने अपने और काफिरों के खून से संसार की भूमि को उर्वरा कर, मजहब की फसल को बढ़ाने का जो उदाहरण पेश किया है, क्या आज उसी को रोक देने का हुक्म दिया जा रहा है ? वर्धा का नया फरिश्ता कहता है—वेशक सब ठीक है, तुम अपने-अपने धार्मिक आदेश को पूरा करो परन्तु शान्त और सहिष्णु बने रह कर । भगवान एक है । खुदा, राम और दूसरे सभी नाम उसी एक शक्ति के हैं ।

इस मधुर उपदेश की प्रशंसा सर्वसाधारण जनता करती है परन्तु उसे अपने जीवन में चरितार्थ करने में असमर्थ है। साधारण व्यक्ति पूछता है यदि 'वह' जिसे भगवान, अल्लाह या ईसू के पिता के नाम से पुकारा जाता है एक है तो उसको प्राप्ति के यह सब मार्ग, सम्प्रदाय भिन्न-भिन्न क्यों हैं? वर्धा का संदेश कहता है तुम्हारी समझ में फर्क है, तुम ठीक समझ नहीं सकते। गीता, कुरान, बाइबिल सभी का उपदेश एक है। हो सकता है यह ठीक हो परन्तु क्या इन धर्म-ग्रन्थों के अनुयाई सैकड़ों पीढ़ियों से इन धर्म-ग्रन्थों के लिये जान देकर इनकी आज्ञा ठीक से समझे नहीं और आपस में यों ही लड़ मरते रहे? यदि यह धर्म-ग्रन्थ सौ पीढ़ी तक मनुष्य की समझ में नहीं आये तो आज ही क्या जमानत है कि वर्धा के फरिश्ते ने उन्हें समझ लिया है।

हमने निष्ठावान और विद्वान हिन्दुओं को यह कहते सुना है कि वेद और शास्त्रों पर नुक्ताचीनी मत करो, वह सर्वसाधारण मनुष्य की पहुंच के बाहर है। एक आलिम मौलवी ने हमारी मूर्ख तर्क-वृत्ति से चिढ़कर कहा था—लाइलाही इल्लल्लाह इन शब्दों का अर्थ समझने की यदि तुम्हें दरअसल इच्छा हो तो मैं अपनी आयु भर इसकी व्याख्या कर सकता हूं और यकीन रखो कि खत्म न कर पाऊंगा। डर कर उनकी उदारता से लाभ उठाने का साहस न हुआ क्योंकि इस संक्षिप्त से जीवन में बहुत से काम हैं। बाइबिल को यदि कोई पूर्णरूप से समझ लेने का दावा करे तो वह अपनी घुंटा से केवल ईसाइयों के धर्मभाव को मरान्तक चोट ही पहुंचाएगा।

जब साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का यह हाल है या कहिये भगवान की ओर मुंह कर चलने का यत्न करने पर हम ठुकरा ही जाते हैं, या उन की उंगली पकड़ कर चलने की चेष्टा करने पर हमारे हाथ में या तो कुछ आता ही नहीं या वह पुरमजाक अदृश्य शक्ति हम सब को अलग-अलग उंगली पकड़ा कर बहका देती है तो क्यों न हम किसी दूसरी वस्तु का संकेत मान कर चलने का यत्न करें।

यदि हम राष्ट्रीयता चाहते हैं, यदि विभाजक मेड़ों को तोड़ कर, सब जल को मिला कर एक दरिया बहा देना चाहते हैं तो क्या इन साम्प्रदायिक मेड़ों के आदि मूल साम्प्रदायिक संस्कारों और उस अदृश्य शक्ति के सहारे चल कर ही हम उसे पा सकेंगे ? गले के जिस साम्प्रदायिक बोझ ने हमें अब तक गारत किया है उसी पर बार-बार मुलम्मा चढ़ा कर ही क्या हम तैर कर पार निकल जाने की कोशिश करते रहेंगे ? हम सहिष्णुता का कितना ही मुलम्मा अपने गले में बंधे चक्की के इस पाट पर चढ़ाएँ, वह रहेगा सम्प्रदाय या मजहब ही और वह हमें खींचेगा नीचे की ओर रसातल को ही ।

थोड़े से साहस की जरूरत है । आंख खुलने पर हमने कितनी ही मिथ्या धारणाओं और वहमों को मिथ्या धारणा या वहम कह कर छोड़ दिया । क्या इस अन्तिम मिथ्या धारणा से हमारा कभी छुटकारा न होगा ? जब तक यह मजहब का मुलम्मा, चाहे वह कट्टरता का गहरा मुलम्मा हो चाहे सहिष्णुता का हलका मुलम्मा हो, हम पर चढ़ा रहेगा, हम आदमी के रूप में न पहचाने जायेंगे, न दूसरों को पहचान सकेंगे । न हमारी राष्ट्रीयता वहां पनप सकेगी, न हम राष्ट्रीयता के उस अदृश्य की ओर एक भी कदम बढ़ा सकेंगे, जिसका हम इतना ढोल पीट रहे हैं ।



सत्याग्रह का ठेका

एक दफे हिम्मत कर पण्डित जवाहरलाल ने लिख डाला था कि महात्मा गांधी अनेक अवसरों पर ऐसी बात कह जाते हैं, जो हमें केवल उनके महात्मापन के कारण ही सहन कर लेनी पड़ती है। पण्डित जी ने अपने आत्म-चरित्र में इस बात को दूसरे शब्दों में फिर दोहराया है। इस पुस्तक में आप लिखते हैं कि महात्मा जी के जीवन में अनेक विरोधाभास हैं और शायद सभी महापुरुषों में ऐसे विरोधाभास होते हैं। हम इस से कुछ अधिक कहने की इजाजत चाहते हैं। महात्मा जी के जीवन में न केवल कुछ विरोधाभास हैं, अपितु उनके पत्र 'हरिजन' को पढ़ कर सीमित और मानवी बुद्धि से तो ऐसा जान पड़ता है कि आखीर में आकर गांधीवाद के सम्पूर्ण सिद्धान्त और कार्यक्रम परस्पर-विरोधी हैं।

गांधीवाद की संसार को सबसे बड़ी देन सत्याग्रह (Peaceful resistance) है। धर्म-प्राण होने और ईश्वरीय न्याय में दृढ़ विश्वास होने के कारण गांधीवाद के पास राज्य या शासन का विरोध करने के लिये, भगवान के प्रतिनिधि राजा के खिलाफ बगावत करने के लिये कोई युक्ति नहीं हो सकती थी परन्तु परिस्थितियों ने उसे मजबूर किया। गांधीवाद ने बगावत की, कानून को तोड़ा और उसके लिये अपना नैतिक यह अधिकार पेश किया कि वह आततायी के विरुद्ध भी हाथ नहीं उठाता; वह केवल अत्याचार सहन करता है। सत्याग्रही अन्याय नहीं कर सकता। श्रद्धालु समाज इस सैद्धान्तिक आविष्कार से मुग्ध और अवाक रह गया।

गांधीवाद द्वारा सत्याग्रह की निन्दा

महात्मा गांधी को स्वप्न में भी ख्याल न था कि यह सत्याग्रह एक दिन उनके ही ऊपर वार कर बैठेगा और उन्हें इसकी निन्दा करनी पड़ जायगी। महात्मा जी ने अपनी हड़ताल के सिलसिले में मजदूरों द्वारा धरना दिये जाने की निन्दा की और इसे निरी हिंसा (Pure Violence) बताया है। यदि किसी जगह मजदूरों ने धरना देते समय धैर्य खोकर या आवेश में आकर अशान्ति दिखायी है तो उसकी निन्दा करने का अधिकार किसी भी सत्याग्रही को होना चाहिये हालांकि इस प्रकार की अव्यवस्था स्वयं महात्मा जी द्वारा परिचालित सत्याग्रहों में इतने अधिक स्थानों पर, इतनी अधिक बार हुई है कि उसका वर्णन करते जाना हाथ के कंगन को आरसी में देखने का यत्न करना होगा। इस प्रकार की अव्यवस्था या अनुशासन की न्यूनता का सम्बन्ध सिद्धान्त से नहीं, घटना विशेष से हो सकता है परन्तु महात्मा जी ने मजदूरों के सत्याग्रह में निन्दा अनुशासन की नहीं की। उन्होंने निन्दा की है—मजदूरों द्वारा सत्याग्रह को सिद्धान्त रूप से ग्रहण करने की।

मजदूर और धरना

मजदूरों की स्थिति क्या है? वे अनुभव करते हैं कि उनकी मेहनत का पूरा मुआविजा उन्हें नहीं मिलता। पूंजीवादी राज्य शक्ति की सहायता से या समाज में मौजूदा व्यवस्था से पूंजीपति का मजदूरों के ऊपर नियंत्रण है और मजदूरों द्वारा किये गये श्रम की पैदावार सब पूंजीपति के हाथ में चली जाती है। अपना पेट भरने मात्र के लिये भी प्रयाप्त भाग मजदूरों को अपने श्रम की पैदावार में से नहीं मिलता। जिन मिलों को मजदूरों ने मेहनत कर करोड़ों रुपये कमाकर दिये हैं वे मिलें अधिक पूंजी एकत्र कर ऐसी मशीनें मंगा लेती हैं जिन से पहले की अपेक्षा बहुत कम मजदूरों से काम हो सकता है। यह मिलें अब मजदूरों को कान पकड़ निकाल देना चाहती है। मजदूर पेट पर हाथ

रख, मिलों से असहयोग कर, मिलों के सामने सत्याग्रह कर अपने अधिकारों को मांगते हैं; जीवित रहने का अवसर चाहते हैं। मिल मालिक साधनहीन मजदूरों की गरीबी का फ़ायदा उठा दूसरे मजदूरों को उनकी जगह ले आना चाहते हैं। मजदूर मिलों के सामने धरना देकर अपने साथियों से अनुनय-विनय कर अपने और अपने बाल-बच्चों के पेट की रोटी सदा के लिये न छीन लेने के लिये अनुरोध करते हैं। जब उनकी अवज्ञा की जाती है, वे भूमि पर लेट जाते हैं और कहते हैं—मिल में जाना है तो जाओ पर हमारे शरीर को अपने जूतों से कुचल कर जाओ।

महात्मा जी का दृष्टिकोण

महात्मा जी कहते हैं यह अनुचित है। मजदूरों को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। जब महात्मा जी इस सत्याग्रह की निन्दा करते हैं, तो ज़रूर ही यह अनुचित है। उनका दावा है—“As the author of Peaceful Picketing I cannot recall a single instance, in which I encouraged such Picketing” अर्थात् सत्याग्रह के प्रतिपादक की हैसियत से मुझे एक भी ऐसे अवसर की याद नहीं जब मैंने इस प्रकार के धरने को प्रोत्साहन दिया हो। धरसना के नमक सत्याग्रह की याद दिलाने पर आप फरमाते हैं, धरसना में नमक के कारखानों पर कब्ज़ा किया गया और उस पर अपना आधिपत्य रखने की भी चेष्टा की गयी परन्तु वह तो सरकार के विरुद्ध था।

महात्मा जी के भक्त कहते हैं, महात्मा जी के शब्दों का अर्थ समझ लेना खिलवाड़ नहीं इसलिये हम दावा नहीं करेंगे कि हम उनके उपरोक्त कथन का अर्थ समझ गये हैं परन्तु कोशिश किये बिना भी नहीं रह सकते। हम अगर इस कथन का कुछ भी अर्थ समझे हैं तो यह सत्याग्रह केवल सरकार के ही विरुद्ध किया जा सकता है? हम पूछते हैं, सरकार नाम-धारी शक्ति के अतिरिक्त यदि कोई अन्य शक्ति असहायों और दलितों पर अत्याचार करे तो दलित और असहाय जनता का क्या कर्तव्य होना

चाहिये ? क्या वे चुपचाप कायरता से अत्याचार को सहते चले जायं ? ...
क्या वे लाठी लेकर उस अत्याचार का मुकाबिला करने लगें ?

अनेक अवसरों पर जिन लोगों ने आत्माभिमान छोड़ कायरता के कारण लांछन, अपमान और पशुवत व्यवहार सहन किया है, उनकी महात्मा जी ने घोर निन्दा की है, उन्होंने कहा है—कायरतावश जो लोग अहिंसा का अनुकरण करते हैं उन लोगों की अपेक्षा वे लोग कहीं अच्छे हैं, जो हिंसक होते हुये कम से कम वीर तो हैं ।

अहिंसा के नाम पर

मजदूरों के लाठी लेकर अपने अधिकारों की मांग पेश करने से महात्मा जी उनके क्या-क्या नाम धरते, यह हमें न पूछने की आवश्यकता है और न बताने की । इन मजदूरों के लाठी लेकर चलने पर महात्मा जी क्या कहते और क्या नहीं कहते, इस बात को जाने दीजिये । हमारे लिये इतना ही पर्याप्त है कि स्वयं कांग्रेस की सरकारें जो कांग्रेस ब्रिटिश शासन काल में मजदूरों की मांगों का औचित्य स्वीकार करती रहीं इन मजदूरों के लाठी उठा लेने पर, इन्हें बलवाई कह-कह कर सैनिक और पुलिस शक्ति से इनका दमन कर देतीं ।* मिल-मालिक उससे बहुत खुश होते और महात्मा जी का दावा भी कायम रह जाता कि अहिंसा और सत्याग्रह को उनके अतिरिक्त दूसरा कोई व्यक्ति व्यवहार में नहीं ला सकता ।

हिन्दू-मुस्लिम दंगों के अवसर पर जब कांग्रेसी सरकारों ने बलवाइयों का दमन पुलिस और फौज की शक्ति से किया, महात्मा जी को यह बहुत बुरा मालूम हुआ । उस समय उन्होंने कहा कि हम लोगों को अहिंसा का व्यवहार केवल राजनैतिक क्षेत्र में या सरकार के विरुद्ध आन्दोलन में नहीं करना है अपितु अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में करना चाहिये ।

* १९३९ में यह बात केवल अनुमान थी परन्तु १९४८ में कांग्रेस सरकारों ने मजदूरों की सभी हड़तालों को अवैद्य घोषित कर दिया है ।

आज जब मजदूर अहिंसा और सत्याग्रह से अपने अधिकारों के लिये मिल-मालिकों का सामना करते हैं तो महात्मा जी को यह भी उचित नहीं जान पड़ता। शराब के ऊपर धरना देने के लिये और विदेशी कपड़े की विक्री रोकने के लिये क्या धरना देने के वे सभी उपाय काम में नहीं लाये गये, जिनका उपयोग इस समय मजदूरों ने किया है? उस समय वह कार्य अहिंसा था—परन्तु आज वह विशुद्ध हिंसा हो गया। गनू देसाई ने कांग्रेस के आदेश के अनुकूल विदेशी कपड़ा बाजार में लाने के विरोध में लारी के सामने लेट धरना दिया और प्राण दे दिये। क्या हम पूछ सकते हैं, गनू देसाई ने जिस सत्याग्रह में जान दी थी, वह हिंसा-पूर्ण था या अहिंसा-पूर्ण?

आपने अनेक परस्पर-विरोधी व्यवहार देखें होंगे पर ऐसा विचित्र व्यवहार न देखा होगा। दंगों के अवसरों पर कांग्रेसी सरकारों द्वारा पुलिस और फौज का उपयोग करने पर महात्मा जी ने कहा है कि पुलिस और फौज की सहायता से दंगे का दमन कर कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया, वे अपने आदर्श से गिर गये परन्तु महात्मा जी मिल-मालिकों के पुलिस की सहायता लेने के अधिकार का समर्थन कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों का यह कर्त्तव्य समझते हैं कि वे पुलिस द्वारा मिल-मालिकों की सहायता करें। साम्प्रदायिक दंगा करने वालों और गुण्डों का पुलिस द्वारा दमन करना गांधी जी को सहन नहीं, उन्हें वे प्रेम से समझाना चाहते हैं परन्तु मजदूरों को पुलिस द्वारा दबाना उनकी दृष्टि में उचित है, इस तर्क या नीति का क्या आधार है, हम नहीं समझ सके?

सभी दार्शनिकों का विचार है कि नीति के आदर्श संसार भर के लिये एक होने चाहिये परन्तु महात्माजी मजदूरों का मिल-मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह और अहिंसा की नीति का व्यवहार उचित नहीं समझते। सत्याग्रह और अहिंसा का ठेका वे अपने ही पास रखना चाहते हैं। यदि हम महात्मा जी के रवैये को निरा महापुरुषों का विरोधाभास ही कह

कर नहीं छोड़ देना चाहते तो हमें इसकी तह में जाना होगा। यह देखना होगा कि उनके इस बेमेल नैतिक सिद्धांत की बुनियाद कहां है? समय-समय पर वे परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों का समर्थन जान-बूझ कर करते हैं या अपने संस्कारों के कारण?

मनुष्य नितान्त निस्स्वार्थ और त्यागी होकर भी वह दरअसल स्वार्थ की प्रेरणा से मुक्ति नहीं पा सकता जो उसके संस्कारों की बुनियाद में पीढ़ी दर पीढ़ी से बसती चली आयी है। महात्माजी का न्याय और निस्वार्थ भाव प्रशंसा के योग्य होने पर भी वह अपनी श्रेणी के हित के चक्कर से नहीं निकल सका। जिस श्रेणी के धर्म-विश्वास, जिस श्रेणी की दार्शनिकता की बुनियाद पर महात्माजी के संस्कार पनपे हैं, जब सत्याग्रह का सिद्धान्त उसी श्रेणी के स्वार्थ पर वार करने लगेगा तो वह निश्चय ही महात्माजी दृष्टि में अन्याय हो जायेगा।

सत्याग्रह को पूंजीवादी श्रेणी पर यों वार करते देख महात्मा जी का पैतरा बदल जाना यह बात स्पष्ट कर देता है कि महात्माजी का लक्ष्य या उद्देश्य स्वयं सत्याग्रह या अहिंसा ही नहीं, वह है—उस श्रेणी के स्वार्थों की रक्षा, जिनके वे स्वयं अंग हैं। महात्माजी पूंजीपतियों से आशा रखते हैं कि वे कृपा और करुणा से एक टुकड़ा रंक और मजदूर की ओर फेंक देंगे परन्तु इस बात को सहन नहीं कर सकते कि रंक और मजदूर ही मालिक के स्थान पर जा बैठे। ऐसा होने से महात्माजी के सिद्धान्त जिस श्रेणी की दार्शनिकता पर क्रायम हैं, वह श्रेणी ही मिट जायगी।



जेल-सुधार

शरीर पर फोड़ा हो जाने पर दर्द और कष्ट तो होता ही है परन्तु वह धिनौना भी बहुत मालूम पड़ता है। उस ओर देखने को मन नहीं चाहता परन्तु यदि उसकी अपेक्षा की जाय तो वह शरीर को बेचैन कर देगा और ताज्जुब नहीं जो शरीर को ही ले डूबे। 'जेल' समाज के शरीर में फोड़े हैं। समाज के शासक और नियंत्रक शक्तियाँ समाज के मवाद को खींच-खींच कर यहां इकट्ठा कर देती हैं। इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि उस मवाद को साफ कर शरीर के रक्ताणुओं (Red corpuscles) को नचाया जाय और अगर मवाद इतनी मात्रा में बढ़ गया है—इतना विषाक्त हो गया है कि सुधर नहीं सकता तो अंग के कुछ भाग को या पूर्ण अंग को ही शेष शरीर की रक्षा के लिये काट दिया जाय।

पिछले जमाने की जरूरी यही थी और अशिक्षित देशों में आज दिन तक बिगड़े फोड़े का यही उपचार है कि अंग का भाग काट दिया जाय परन्तु चिकित्सा-शास्त्र के विकास के साथ सभ्य समाज में अंगों को यथा-सम्भव बचा ही लिया जाता है। वही बात जेलों के सम्बन्ध में लागू होती है। पहले अपराधी पकड़ा जाता था और उसको तुरन्त दण्ड देकर किस्सा समाप्त कर दिया जाता था। चोरी की है, हाथ काट दो। गाली दी है, जबान काट दो। कत्ल किया है, सर काट दो। अगर जेलखाने ही भेजना है तो सूखे कुएँ में डाल दो। रस्सी में बांध कर रोटी का

टुकड़ा और पानी का लोटा नीचे पहुंचा दिया जाता था ।

आज जमाना है कि क़ादियों के साथ भी मनुष्यता का ही सलूक करने की दुहाई दी जाती है । उन्हें मारिये-पीटिये नहीं, गाली न दीजिये । खाने को इन्सान का सा खाना दीजिये । पहनने को इन्सानों का सा कपड़ा दीजिये । भले आदमी की तरह उनसे बात कीजिए । ऐसे भी भले आदमी है, जिन्हें यह सब बातें बेहूदी मालूम होती हैं । कुछ दूर की कौड़ी लाने वाले समझते हैं कि कांग्रेस सरकार का भी एक दिन आया है । उन्हें भी अपने चमड़े का सिक्का चला लेने दीजिये और तमाशा देखिये । आखिर कांग्रेसी मिनिस्टरों को एक दिन फिर जेल जाना है* इसलिये यदि वे समय रहते अपने लिये मुनासिब प्रबन्ध करना चाहें तो इसमें क्या अचरज ?

जेल के अफसर अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि इस लाड़-प्यार से कैदी और भी बिगड़ेंगे । अपराधियों की संख्या और भी बढ़ेगी । जेल सजा देने की जगह है न कि मेहमानदारी की ?

किसका खयाल ठीक है, यह समय के दृष्टिकोण पर निर्भर है । पहले समय का दृष्टिकोण था दुष्ट अपराधी आततायी है; वह समाज को हानि पहुंचाता है, उससे बदला लेना चाहिये । आज का खयाल इससे भिन्न है । आज दिन के समाज-शास्त्री कहते हैं कि अपराधी समाज को हानि जरूर पहुंचाता है परन्तु इस हानि का बदला ले लेने से यह हानि पूरी नहीं होती । वे अपराधी को निर्बल मस्तिष्क या विकृत प्रकृति का मनुष्य समझते हैं । जैसे शारीरिक व्याधियों का इलाज किया जाता है इसी प्रकार मस्तिष्क की व्याधियों का इलाज कर वे अपराधी को समाज के दुश्मन के बजाय समाज का उपयोगी अंग बना लेना चाहते हैं ।

पिछले समय में जेलखानों का जो उद्देश्य रहा हो आज के सभ्य-समाज में जेल खानों का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है । उसके मस्तिष्क

* १९३९ में लोग ऐसी बातें कहते थे ।

और प्रवृत्तियों को सुमार्ग पर लाना है। इसी विचार से प्रायः यूरोप में जेलखानों को सुधार-गृह (House of corrections) का नाम दिया जाता है। अपराधी को सुधारने के लिये कौन उपाय सफल हो सकते हैं, यह निश्चय करना और उन उपायों को काम में लाना ही इन संस्थाओं का उद्देश्य है। अत्यन्त कठोर परिस्थिति में रहकर अपराधी के मस्तिष्क में जो कुछ मनुष्यता और सहृदयता शेष रहती है वह भी जड़ हो जाती है। वह समाज का और भी अधिक शत्रु बन जाता है। उसकी उपमा उस हिंसक पशु से दी जा सकती है जो मनुष्य-रूप में विचार कर मनुष्य-समाज को निगल जाना चाहता है।

हमारे देश के जेलखाने अभी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। हम भी सुधार की ओर कदम बढ़ाने का दावा करते हैं। हम कहते हैं कि बर्बरता की उस अवस्था में जिसमें अपराधी से बदला लेना ही न्याय का उद्देश्य था, जब आंख के बदले आंख दांत के बदले दांत तोड़ने का नियम था, जब ईंट का जड़ाब पत्थर से दिया जाता था उस अवस्था को हम पार कर चुके हैं परन्तु हम अब भी कातिलों को फांसी पर झुलाते हैं, डाकुओं और दूसरे अपराधियों को आजन्म क़ैद या लम्बी-लम्बी क़ैद की सजायें देते हैं। शायद यह सब कुछ सुधार के आदर्श को पूरा करने का उपाय है।

जिसे आपने फांसी के द्वार के उस पार पहुंचा दिया, वह तो केवल परिजनों के दिल को दाग देकर खतम हो गया। समाज को उसकी चिन्ता करने की जरूरत नहीं परन्तु जो व्यक्ति उम्र भर के लिये—बीस, पन्द्रह, दस या पांच-सात साल के लिये जेलखाने भेज दिया गया, वह समाज के गले में समस्या की फांस की तरह अटक जाता है। वह समाज का शत्रु है परन्तु उसे आयु भर या चिर-काल तक अपने खर्चे पर पालता-पोसता रहता है। यदि अपराधी या आततायी के जीवन में सुधार जाने की कोई आशा नहीं तो उसे समाज के गले का बोझ बना देना कौन बुद्धिमत्ता और कौन दूरन्देशी है? जिन लोगों से समाज को सदा हानि

ही पहुंचने की आशा हो ऐसे लोगों को हैजा, प्लेग आदि के कीटाणुओं की तरह नष्ट कर देने में ही कल्याण है। आततायी या अपराधी को समाज के सिर का बोझ बना कर रखने के लिये यदि कोई युक्ति हो सकती है तो वह यही कि उसे हम विशेष कारणों के कारण मस्तिष्क का रोगी समझते हैं और इस बात की आशा रखते हैं कि उचित उपायों से उसका सुधार हो सकता है।

यदि सुधार ही सचमुच हमारा उद्देश्य हो तो उसके अनुरूप परिस्थितियां भी पैदा करनी होंगी और विपरीत परिस्थितियों का निवारण भी करना होगा। पहिला सवाल यही उठता है कि जो आदमी किन्हीं कारणों से असाधारण और विकृत अवस्था में है उसे सुधारने के लिये दुष्ट प्रवृत्ति की संगति से बचाया जाय इसलिये आप उसे जेल में ले आते हैं। जेल में हमें उस व्यक्ति को सुधारने के लिये केवल नितान्त आवश्यक समय तक ही रखना चाहिये। पल्टन में जो लोग भर्ती होते हैं, उन्हें लगभग छः मास तक शिक्षा दी जाती है। इतने समय में भरती हुआ गोरखा किसान या अलहड़ मजदूर सुघड़ सिपाही में बदल जाता है। उसका स्वभाव, प्रकृति और प्रवृत्ति सब बदल जाती है। एक अपराधी की मनोवृत्ति को बदलने के लिये इससे दुगना, तिगना न सही, चौगुना समय पर्याप्त होना चाहिये। आयु भर के लिये एक आदमी को पिंजरे में बन्द कर देने में क्या औचित्य और उपयोगिता है? या हम इसी बात को दूसरे शब्दों में कहें—मुद्दतों भले आदमियों पर टैक्स का बोझ लाद कर इन आतताइयों को खिला-पिला कर पालने में कौन सा न्याय है?

एक साधारण अपराधी पर जेल में काटे हुये समय का क्या असर पड़ता है, यह भी सोचने की बात है। जिस समय अपराधी आरम्भ में जेल के फाटक के भीतर कदम रखता है, उसका मन भय और अपनी करनी के प्रति पश्चाताप और परिताप से कांप उठता है। उसे संसार अंधकारमय दिखाई देता है। प्रतिक्षण वह उस अभागे क्षण को कोसता है, जब उससे न जाने कैसे कोई चूक हो गयी या उसकी अकल पर पर्दा

पड़ गया। वह रो-रोकर अपने देवता से क्षमा और सहायता की प्रार्थना करता है। भविष्य में निष्कलंक और संयम का जीवन व्यतीत करने का प्रण करता है। यह है समय, जब आप उसे नये सांचे में ढाल सकते हैं।

छः मास बीत जाने पर वह उतना द्रवित नहीं रहता। वह सोचता है—भाग्य के विद्रूप से वह नरक में आ पड़ा है। उसे चुपचाप समय काट कर बाहर पहुँचना है।

एक साल और बीतता है। अब उसे कभी ही कभी घर की याद आती है। जेल के भीतर आते ही उसे जीवन जैसे बिलकुल असम्भव मालूम होता था, वह बात अब नहीं। वह तिकड़म सीख गया है। उसके गुण-स्वभाव जेल के वातावरण के अनुरूप हो गये हैं। जेल उसका घर हो गया है। जेल के भीतर ही चातुर्य से छोटी-मोटी चोरी कर वह अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है।

वर्ष पर वर्ष गुजर जाते हैं। आखिर एक दिन आता है, वह अपने चिरआवास को छोड़ कर पुराने परन्तु भूले हुये संसार में जाता है, जहाँ से बहुत दिन हुये उसकी जड़ें उखड़ चुकी हैं, जहाँ उसके लिये समाज की ओर से तिरस्कार और पुलिस की ओर से पग-पग पर शंका प्रतीक्षा कर रही है। कई दिन पहले से उसकी भूख और नींद हराम हो जाती है। उसे आसरा किसका है? जेल में आत्म-सम्मान और नैतिकता को खो कर भी उसने कुछ सीखा है। उसने सीख लिया है, अपने से अधिक अनुभवी अपराधियों और अपराध की कला को। उसे अब पुलिस को चकमा दे सकने की अपनी क्षमता पर अधिक विश्वास है। अब वह उतनी जल्दी न्याय के जाल में नहीं फंस जायगा और यदि फंस भी जायगा तो क्या, जेल ही तो जायगा! आयु का इतना बड़ा भाग जहाँ उसने काट दिया है, क्या शेष न काट सकेगा?

अब ज़रा यह भी देखना है कि कैदी को आत्म-सुधार के लिये क्या प्रोत्साहन मिलता है? जेल का कोई भी अफसर—महाप्रभु सुपरिन्टेण्डेण्ट से लेकर क्षुद्र चपरासी तक अपना यह कर्तव्य नहीं समझता कि कैदी

को सहानुभूति या प्रोत्साहन का एक भी शब्द कहे। उन्हें मतलब है जेल के कानून और अपना रोब पूरा रखने से। जेल का मंत्र है—कम खाना, गम खाना, तब कटे जेलखाना। इस व्यवस्था में सुधार को कहां स्थान है ?

हमारा क्रायदा है कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ अदालत के सामने पेश कर दिया। जो सजाएं आज से सौ वर्ष पूर्व के सामाजिक विकास के अनुरूप थीं, लड़ियों और श्रेणियों में गुथी हुई 'पेनल-कोड' में सजी हैं। जज साहब ने देखा—अपराध के नाम से जो माला अपराधी के गले में फिट आयी अपराधी को सजा के रूप में पहिना दी। अदालत से जेल के नाम वारण्ट चला—यह सजा अमुक आदमी पर पूरी की जानी चाहिये। जेल को और बात से मतलब नहीं, मतलब है सजा देने से।

'पेनल-कोड' यानि दण्ड-विधान दण्ड देता है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करता। जेल उस दण्ड को पूरा करता है। कैदी दण्ड को दांत पीस कर झेलता है। समाज दण्ड का खर्च निवाहने के लिये टैक्स भरता है। कैदी छूटता है, जैसा पहले था वैसा ही नहीं बल्कि उससे बहुत भयंकर बन कर। फिर वही चक्कर—वही चोर-कोतवाल का खेल !

यदि हम दरअसल सुधार चाहते हैं तो उसमें प्रतिकार और दण्ड-विधान के लिये जगह नहीं, उसमें सुधार-विधान होना चाहिये। आज जेल-सुधार का मतलब समझा जा रहा है—भुने हुये चने की जगह छौंके हुये चने, दाल में कुछ ज़ीरा-घनिया, ओढ़ने के लिये गर्मियों में एक गाढ़े की चट्टर, हो सके तो थोड़ा सा खेल-कूद।

जरूरत है असल में समस्या को जल्लाद की दृष्टि से न देख कर शिक्षक की दृष्टि से देखने की। जरूरत है, अपराधी को केवल शिक्षा के लिये, सुधार के लिये कुछ समय तक एक अलग जगह में रखने की। आयु भर तक उसे पिंजरे में जकड़ कर, उसके शरीर को निढाल, मस्तिष्क को कुन्द और अनुभूति को जड़ बना कर समाज के लिये बोझ बना देने की नहीं। जरूरत तो असल में है—हमारे दण्ड-विधान की जगह एक सुधार-विधान की ! सुधार की भावना के अनुरूप तो वही होगा। ◇

हमारी गुलामी तुम्हें मुबारिक

हम सुबह की सैर से लौटते समय एक दृश्य देखने के आदी हो गये थे। लाटूषा रोड पर एक दूकान में—वह कमरा बनाया तो गया था दूकान सजाने के लिये परन्तु वहां दूकान न थी। एक मामूली सी खाट कमरे के बीचों-बीच पड़ी रहती और भले आदमियों के जैसे बिस्तर पर एक आदमी पड़ा रहता। आदमी के अंग-प्रत्यंग बहुत दुबले निढाल से जान पड़ते थे और रंग एकदम विश्री, पीला सा। आंखें चेहरे पर अनुपात से बड़ी और सहायता के लिये पुकारतीं।

भले घर से रूप-रंग की एक औरत झाड़ू से कमरे और बरामदे को झाड़ती दिखाई पड़ती। कभी वह मरीज की कराहट सुन उसकी ओर देखती है और कभी फर्श पर बैठे गोद के बच्चे का रोना सुन उसकी ओर ध्यान देती।

स्त्री-पुरुष और संतान का यह छोटा सा परिवार कुछ बेमौका सा मालूम होता। मैंने उनसे पूछा—दूकान में यह घर कैसा ?

उन्होंने कहा—“जान पड़ता है, यह आदमी बीमार है, ईलाज के लिये लखनऊ आया है। यह लोग यहां अपरिचित हैं। मकान ढूँढने की सुविधा नहीं हुई इसलिये दूकान में ही बस गये हैं।”

उस दूकान के समीप से गुजरते समय ध्यान अवश्य उधर चला जाता। कुछ दूर मैं उसी परिवार की बात सोचती चली जाती। आखीर सड़क के दायीं ओर के एक बंगले से हार-सिगार के फूलों की सुगंध

आकर ध्यान बदल देती ।

वह आदमी बीमार था, उसकी हालत करुणाजनक थी परन्तु मुझे उस स्त्री का ध्यान अधिक आता था । उसके चेहरे पर एक विष्णु निराशा थी । भाग्य के सामने पराजय स्वीकार कर लेने का सा भाव छाया रहता था । उसका चेहरा भाव-शून्य जान पड़ता था । पति बीमार है इसलिये उसके दुःख और चिन्ता का अन्त नहीं । इसे पति की तीमारदारी से ही फुर्सत नहीं मिलती होगी, तिस पर इसे परदेस में सहायता देने वाला कौन है ? बाज़ार से सौदा-मुलफ लाने का भी काम इसी को करना पड़ता होगा और बच्चा गोद में है ।

बच्चा गोद में है—कितनी मामूली सी बात है कह देने को परन्तु जिसे बच्चा गोद में लेकर पालना पड़ता है, उससे पूछिये । बच्चा गोद में होने का अर्थ है, रक्त मांस के एक लोथड़े को तिल-तिल कर आदमी बनाना । आप आदमी को देख कर उस भगवान की महानता का अनुमान करते हैं और श्रद्धा से उसके चरणों में सिर नवा देते हो ।

वह भगवान कहां हैं, कैसे आदमी की रचना करते हैं, कौन जानता है परन्तु हम देखते हैं गली-गली, घर-घर आदमी की रचना हो रही है परन्तु इस रचना करने वालियों को कोई कुछ नहीं समझता । वर्ष, मास, सप्ताह, दिन, घंटे और सेकेण्ड का वह कौन भाग है जिसमें आदमी रचना का उत्तरदायित्व लिये इन प्राणियों को चिन्ता से छुट्टी मिलती हो ।

खैर, वह भले घर की औरत; उसका आदमी खाट पर पड़ा है । वह उसकी तीमारदारी में, चिन्ता से पल भर को छुट्टी नहीं पा सकती । वह अपनी गोद में एक आदमी की रचना भी कर रही है । उसके सिर कितना बोझ है ! इन दो आदमियों का और अपना पेट उसे नित्य भरना है । दिन में, रात में उनकी प्रत्येक आवश्यकता को उसे पूरा करना है । उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं, वह अपने आराम या कष्ट की चिन्ता नहीं कर सकती, उसका अपना समय कोई नहीं, उसे आराम का कुछ अधिकार नहीं । अगर वह अपने आराम का खयाल करती है तो वह

दुष्टा है, नहीं, वह डायन है ।

किसी भले-चंगे आदमी के आराम की चिन्ता करना क्या होता है ? इसे शायद मेरी बात पढ़ने वाले मुश्किल से जानते होंगे । मैं कुछ-कुछ जानती हूँ, 'इन्हें' अगर पानी के गिलास की जरूरत हो या सिगरेट जलाने के लिये दियासलाई की जरूरत हो और वह मुंह से हुक्म निकलते ही सामने न आ जाय तो इन्हें ऐसा मालूम होता है कि संसार का सब नियम बिगड़ गया, वह अब नष्ट हुआ ही चाहता है । और मैं सोच रही थी बीमार और बच्चे की बात जो सामने रखे गिलास को उठा कर पानी भी नहीं पी सकते, जिन्हें पेट भरने और खाली करने के लिये हर वक्त दो हाथों के इशारे की जरूरत है । जो मुंह से कुछ कह भी नहीं सकते, जिनकी आंख का भाव ही समझना होगा जो शायद प्रांत और देश की राजनैतिक और आर्थिक आवश्यकताओं और परिवर्तनों को भांप लेने से आसान नहीं है । वह यह सब कुछ करती है परन्तु पड़ोस में रहने वाले भी शायद इसे नहीं जानते ।

मैंने कई पत्र-पत्रिकाओं में मंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत की दिन-चर्या पढ़ी है । लोग कहते हैं—उन्हें भोजन करने और सोने की फुर्सत भी नहीं मिलती, उनका त्याग धन्य है; लोग उनकी जय-जय पुकारते हैं । लोग उनके दर्शनों को तरसते हैं । सारा प्रांत उनकी उंगली के इशारे को सतर्कता से देखता है । शायद यही उनके अनवरत परिश्रम का पुरस्कार उन्हें मिलता है परन्तु स्त्री को—उन सब स्त्रियों को जिनसे गली-मुहल्ले भरे हुये हैं, क्या पुरस्कार मिलता है ? उनके लिये पुरस्कार का सवाल नहीं उठता । उठे कैसे ? यह उनका काम है इसीलिये उनकी सृष्टि हुई है ।

हमारा कुत्ता रात भर जाग कर घर की रखवाली करता है । इशारे पर बिजली की तरह लपक कर आता है । कोई उसे छू सके, इससे पहले ही वह अपनी जान तक दे देगा । एक प्याले में, जो बरामदे में पड़ा रहता है, उसे रोटी डाल दी जाती है । घर में उसका कोई निश्चित स्थान

नहीं। उसे मैंने कभी थैकस नहीं दी। यदि कहूँ तो उसी दिन सूरज डूबने से पहले पागलखाने भेज दी जाऊँगी। सामने के मकान में जो लाला जी रहते हैं, उनकी घोड़ी घर भर को गाड़ी में लाद कर मीलों घसीटती है पर मुझे यकीन है कि समझदार लाला जी ने घोड़ी की इस सेवा का पुरस्कार देने की बात नहीं सोची होगी।

यूनान आज मिट सा गया है परन्तु वह दिन भी था, जब यूनान ही संसार का गुरू था। हमारे भारत को ही लीजिये, एक समय क्या था? भारत और यूनान की उस समय की समृद्धि संसार को चकाचौंध करती थी। दोनों ही संसार सभ्यता के जन्म-दाता समझे जाते हैं। यूनान की सभ्यता का आधार था, वहाँ की दास-प्रथा। दास-प्रथा का नाम सुनकर आपके माथे पर बल क्यों पड़ता है?

इतिहास के सब विद्वान और महान मार्क्सवादी भी इस बात के गवाह हैं कि अगर दुनिया में दास-प्रथा न होती तो सभ्यता का विकास ऐसा न होता। न बन पाते यूनान के सुन्दर मन्दिर और थियेटर, न बन पाते मिश्र के पिरामिड, न बन पाती चीन की दीवार, न बन पाती अजन्ता की गुफाएँ, दिल्ली की मीनार और आगरे का ताज।

आहा! वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा जब पाँच सौ नर पशु—मेरा मतलब है गुलाम—पंक्तियों में रस्सियों से बंधे हजारों मन पत्थरों से लदी गाड़ियों को खींचते होंगे। उनके पसीने से चमकते हुये शरीरों पर पसीने की धारें बहकर धारियाँ बड़ जाती होंगी और घोड़ों पर सवार गुलामों के जमादार, लम्बे कोड़े फटकार कर उन गुलामों को जल्दी-जल्दी चलने के लिये ललकारते होंगे। कोई साँस तोड़ कर गिर पड़ता, कोड़ा सटाक से बोलता होगा, गुलाम के शरीर पर एक सिदूरी रेखा बन जाती होगी, पसीने में रक्त का मेल होकर जब लाल-लाल धारियाँ बन जाती होंगी, तब दबी हुई हाय सैकड़ों कण्ठों से निकलती होगी! वह कैसा सुन्दर दृश्य होगा, जब दास-प्रथा मनुष्य-समाज की सभ्यता के रथ के लिये यों राज-पथ तैयार करती होगी!

क्या अब जमाना बदल गया है ? क्या अब स्वतंत्रता समता और न्याय का जमाना है ? आदमियों के लिये होगा ! स्त्रियाँ तो आदमी नहीं हैं, कभी थी भी नहीं । उनके लिये स्वतंत्रता, समता और न्याय का प्रश्न कैसा ? देखिये, मनु महाराज ने समाज की सृष्टि के आदि में ही कह दिया था कि स्त्री बचपन में पिता के, जवानी में पति के और बुढ़ापे में पुत्र के आधीन रहेगी । जैसे पांच 'क' कार और 'म' कार होते, वैसे ही स्त्रियों के लिये तीन 'प' कार है—पिता, पति और पुत्र इससे बाहर न उनका क्षेत्र है, न होना चाहिये । मैं कहती हूँ, स्त्री आदमी नहीं है । बन्दर की शकल आदमी से बहुत कुछ मिलती-जुलती है पर वह आदमी नहीं । स्त्री की शकल भी आदमियों से बहुत अधिक मिलती है लेकिन इससे वह आदमी नहीं बन जायेगी । चीनी लोगों में विश्वास था कि स्त्री के आत्मा नहीं होती । यूरोप के विद्वान भी एक समय इस समस्या में उलझे हुये थे कि स्त्री में आत्मा होती है या नहीं ? अब तो आत्मा का जमाना ही नहीं रहा । भला हो Materialism या भौतिकवाद का, अब स्त्रियों में आत्मा होने न होने से कुछ बिगड़ने की संभावना ही नहीं रही ।

स्त्री न आदमी है, न आदमी का दर्जा ही पा सकती है । वह और घरेलू पशुओं की तरह आदमी के उपयोग की चीज है । हाँ, बहुत ही अधिक उपयोग की चीज है । उसके बिना आदमी का काम नहीं चल सकता इसलिये कभी-कभी आदमी भावावेश में आकर उसे पूज्य भी बना देता है । जैसे हम गाय के दूध के बिना काम न चल सकने के कारण गौ माता कहते हैं और उसके गले में रस्सी बांधकर खूँटे पर खड़ा कर देते हैं या नदी को गंगा मैया कहकर शहर का मल उसमें बहा देते हैं । इन चीजों की सार्थकता इसी बात में है कि वह मनुष्यदेव के कितने उपयोग में आती हैं ।

क्या दासता का जमाना नहीं रहा ? इस शहर के गली-मुहल्लों में; घर-घर में आदमी बनाने की जो कठिन मेहनत की जा रही है, उस

मेहनत में लगी हुई स्त्रियों को आप दास न कहकर और क्या कहेंगे ? यह सब वे किस पुरस्कार या मेहनत के लिये करती हैं ? समाज को कायम रखने के लिये ? समाज में उन्हें क्या लेना-देना ? समाज में उनका कुछ अधिकार नहीं । जब उनका अधिकार नहीं, तो समाज उनका नहीं । वे समाज की हैं, समाज उनका नहीं ।

आपने सुना होगा, जब समाजवाद पर बहस चलती है और कहा जाता है कि समाजवाद आने पर सम्पत्ति सब की साक्षी हो जायगी, तब मनचले पूछा करते हैं—तब तो औरतें भी समाज में साक्षी सम्पत्ति हो जायंगी ? यह है आदमी की जहूनियत और उसका संस्कार जो सम्यता के आडम्बर को फोड़ कर बीच से बोल पड़ता है ।

बात तो कह रही थी उस दूकान में रहने वाले परिवार की :—कल उस दूकान में दो-तीन औरतें दिखायी पड़ी थीं । सब की सब परेशान थीं । हम लोगों ने समझ लिया—शायद बीमार की हालत खराब होने की खबर पाकर कोई सगे-सम्बन्धी आये होंगे । आज जब हम लोग सैर से लौट रहे थे तो 'भाईदूज' के दिन कुछ छोटी-छोटी लड़कियां हाथों में फूल लिये किलकती जा रहीं थीं । भाई उनके अभिमान से सिर उठाये साथ चले जा रहे थे । आज उन्हें तिलक होगा । आज वे छोकरे समझेंगे—हम मर्द इन बहिन नामधारी आश्रित जीवों के रक्षक हैं ।

आज दूर से ही उस दूकान ने हमारा ध्यान आकर्षित किया । वहां से वेदना-भरी चीत्कार का शब्द आ रहा था । दिल कुछ बुरा सा होने लगा । समीप आकर उधर आंख उठाने में डर लगता था परन्तु आंख उधर उठे बिना रहती न थी ।

सिर के बाल खोले, कपड़े अस्त-व्यस्त वे भले घर की स्त्रियां सिर और छाती पीट रही थीं । वह मर गया ।

वह भले घर की स्त्रियां, लज्जा जिनका प्राण है, बात करती हैं तो ऐसे कि कोई सुन न ले, इस तरह से चीत्कार कर रही थीं ! उन्हें सुध नहीं थी कि लोग उन्हें अस्त-व्यस्त, अशोभनीय अवस्था में देख रहे थे ।

उनमें से जो सबसे बेहाल थी, वही जरूर उसकी स्त्री थी ।

क्यों न वह यों दुखी हो—उसका संसार आज समाप्त हो गया— उस बात को छोड़ो, उसका ध्यान कर मन दुखी होता है । ...कलेजा मुंह को आने लगता है ।

परन्तु यदि इससे उलटा हो जाता, यानि वह स्त्री मर जाती तो क्या इतना बाबेला मचता ? वह औरत मर जाने पर इतनी बदकिस्मत न होती जितनी आज न मर जाने पर है । इसीलिये समझदार बड़े-बूढ़े जब मर्द को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं—तू चिरंजीवी हो लेकिन औरत को आशीश देते हैं—तेरा सुहाग बना रहे, तेरा पति चिरंजीव हो अर्थात् तेरे जीवन की सार्थकता बनी रहे, तू किसी के काम आती रहे ।

कुछ लोग कहते हैं, यह सब अशिक्षा के कारण हैं । मैं समझती हूँ, शायद भारत में सभी अशिक्षित हैं । ज़रा कड़वी बात कहूंगी, हमारे मिनिस्टर भी अशिक्षित हैं, हमारे कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता, सोशलिस्ट लोग सभी अशिक्षित हैं । यह भारत को स्वतन्त्रता दिलाने की फिराक में जान दे रहे हैं परन्तु इनकी स्त्रियाँ चिकों के पीछे ऐसे बन्द हैं जैसे बनारसी बाग (चिड़ियाघर) की लालियों के पीछे वे जानवर जिनके उड़ या भाग जाने का खतरा है ।

एक बड़े विद्वान डाक्टर साहब हैं यानि Ph.D । आप फिलासफी की दवा पिला कर मनुष्य का इलाज करना विलायत से सीख आये हैं, नये विचार के हैं । उनके यहां भी वही हाल है जो शरीफ घरों में होता है । वे इसे अच्छा भी नहीं समझते पर लाचार हैं, क्या करें ? मनोविज्ञान शास्त्र के पंडित हैं इसीलिये उन्होंने इसका कारण भी ढूँढ़ निकाला है । आप कहते हैं—“Women-folk do not like to cross the limit of Harem because they do not like to take the responsibility. They shirk it. They haven't got the stamina” (स्त्रियाँ हरम से बाहर नहीं आना चाहतीं, क्योंकि वे उत्तरदायित्व अपने सिर नहीं लेना चाहतीं । उनमें साहस नहीं, जीवन नहीं) । इनका कहना गलत कैसे हो

सकता ? आखिर मर्द हैं न !

हमारे साहब कहते हैं, स्त्रियों को भीतर रहते-रहते अभ्यास हो गया है। भीतर रहने में ही वे अपना सम्मान समझती हैं। उन्हें कोई देख ही नहीं सकता, इसी घमण्ड में वे फूली नहीं समातीं। इनका कहना भी ठीक है। मर्द जो कहे सब ठीक है।

मैं एक बात कहती हूँ, स्त्रियाँ आदमी के लिये बहुत उपयोगी जीव हैं। कुछ लोग उन्हें सजा-धजा कर साथ लिये फिरते हैं। इसमें भी एक संतोष होता है, वैसा ही संतोष जैसा कि कुत्तों की प्रदर्शनी (Dog-show) में अपना अच्छा कुत्ता भेजने से होता है। एक गुरुर पूरा होता है—देखो, हम कैसा सुन्दर जानवर लिये फिरते हैं।

हां, अगर स्त्री आदमी है तो वह पुरुष के दर्जे की आदमी नहीं, वह दास है। स्त्री-दासता के सिद्धान्त पर ही समाज कायम है। मैं उस दासता के विरुद्ध विप्लव नहीं करना चाहती। मजे में हूँ। हमारा कुत्ता यदि विप्लव कर भागेगा तो क्या करेगा ?

बहुत हो गया। अब एक बात कह दूँ—हे पुरुष, तुम्हारी जय हो ! हमारा सुहाग कायम रहे, हमारी गुलामी तुम्हें मुबारक हो !



पढ़ी-लिखी लड़की

पढ़ी लिखी लड़की ! वृद्ध उसका जिक्र सुन निराशा से मुंह फेर लेते हैं, नौजवान कनखियों से मुस्करा देते हैं और जिन्हें अपने अपढ़ होने का गर्व है वे कुल-बधुएं मुंह पर आंचल रख लेती हैं ।

वह उपहास और वितृष्णा की चीज है परन्तु समाज उसका लोहा मानता है । उसकी कद्र किये बिना नहीं रह सकता और उसे अनिच्छा से पढ़ी-लिखी लड़की के सामने सिर झुका देना पड़ता है ।

साड़ी के आंचल को सिर से नीचे खिसकाकर, एक हाथ में बटुआ, और दूसरे हाथ में कुकरमुत्ता सी छोटी छतरी लिये चेहरे को पाउडर से बावर्चीखाने में की गई सफेदी की तरह सफेद बना कर, ऊंची एड़ी के जूते से रूढ़ी जर्जरित समाज की छाती पर ठोकर लगाती हुई वह जब कालिज और बाजार पर धावा करती है तो बुजुर्ग वितृष्णा से सिर झुका लेते हैं और नौजवान धृष्टता से घूरने लगते हैं । वह इन नजरों के आघातों को अपनी रोमांचित त्वचा पर सहती, इनसे कुछ सकपकाती, कुछ प्रोत्साहित होती, अपने पैरों में सदियों से पड़ी बेड़ियों को रौंदती चली जाती है । स्वच्छन्द वायु में मनुष्यता के अधिकार का लगा स्वाद वह छोड़ नहीं सकती ।

वह यह भी जानती है कि इस जाहिरा तिरस्कार के पीछे पुरुष-समाज की पराजय और कायरता छिपी है । जब समाज की कसौटियों पर उत्तीर्ण होनहार नौजवान के ब्याह की बात चलेगी, जिस दिन समाज

के मुकुटमणि आई० सी० एस० का घर बसाने की जरूरत होगी उस दिन सूरज की रोशनी में भी दिया लेकर लोग उसे ढूँढ़ते फिरेंगे। उसका पिता, उसकी रुढ़िवादी माता, उसका सम्पूर्ण परिवार इस तथ्य को स्वीकार करता है इसीलिये गली-मुहल्ले की उठती उंगलियों की उपेक्षा कर बेटी को गाड़ी में बन्द कर स्कूल भेजना पड़ता है। शादी के बाज़ार में उसका दर बढ़ाना जरूरी है वरना बाज़ार में बाकी बच रहे सोदे की तरह उसका घर में इस्तेमाल हो जाना कोई सम्भव नहीं। वह गले का बोझ घर में पड़ी-पड़ी सड़ेगी, अपमान और बदनामी की दुर्गन्ध बन समाज में फैलेगी और वंश को ले डूबेगी। इतना ही नहीं, स्वर्ग में विश्राम करते हुये पूर्वजों को भी घसीट कर नरक में पहुंचा देगी।

एक समय था जब इस प्रकार की अड़चनों का इलाज हमारा समाज कर लिया करता था और भारत की देव-पूज्या वसुन्धरा को कन्या-रत्नों से उपजाऊ बनाया जाता था लेकिन भारत में कलियुग के चरणों को दूढ़ कर जाने वाले 'लार्ड विलियम वेन्टिंग' ने वह अधिकार भी भारत की धर्म-प्रिय प्रजा से छीन लिया। अब जन्मते ही लड़की को मार देना अपराध हो गया। अब इस मुसीबत के पैदा हो जाने पर, इस वंश के राहु के उदय होने पर उसे पालना पड़ता है।

एक समय था, लड़के पढ़ा करते थे पर आज लड़के से ज्यादा जरूरी पढ़ाना लड़की का हो गया है। लड़का कमबख्त पढ़ नहीं पायगा, आई० सी० एस० नहीं बनेगा, उसे दपतर में कहीं कुर्सी नहीं मिलेगी तो दूकान कर लेगा। कुछ न कर सकेगा घर की जायदाद सम्भाल लेगा। इससे जायगा तो भूखा ही मर जायगा पर लड़की? अगर उस बला को गले लगाने वाला कोई न मिला तो वह डायन सब कुछ खा जायगी।

इस घौंस पर उसका स्कूल जाना शुरू होता है, कदम-कदम चढ़ती वह समाज के सर चढ़ जाती है और समाज के स्वामी पुरुष की चुटिया पकड़ कर मन चाहा नाच नचाती है। पुरुष बेबसी से दांत पीसता है मगर मजबूर है। इतना ही नहीं, अब वह कहने लगी है कि समाज में

उसकी भी बराबर की जगह है। वह पालतू जानवर और खानगी नौकर क्यों बनी रहे ? किसी-किसी का अरमान यह है कि चूल्हे के पास न बैठकर वह दफ्तर की कुर्सी पर बैठे, बाज़ार और अदालत चलाले। जो समझदार हैं, उनके कालेज की सीढ़ियां चढ़ लेने का मतलब है, जीवन भर के लिये कौमार्य जीवन में ही कमाई कर एक ऐसा आदमी कमा लेना जो उनके लिये संसार में कल्पवृक्ष के समान हो। बंगला, हवेली मुहय्या करे, फूल-सेज सजाये और दुनिया के वह सब ऐशोआराम, जिन्हें सिर्फ कमर तोड़ देने और दिमाग फोड़ देने वाली मेहनत से पाया जा सकता है, खुद तैयार करे और 'प्राण-प्यारी' को अर्पण करे। उनकी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षा, मेहनत मशक्कत का उद्देश्य होता है, एक सफल कामयाब पुरुष की 'प्राण-प्यारी' बन सकने की, उसे खरीद सकने की योग्यता प्राप्त करना।

हमारे समाज में ही नहीं, सम्पूर्ण सृष्टि में इस प्रपंच को सफलता-पूर्वक रच सकना स्त्री के जीवन की सफलता है। प्रकृति ने स्त्री को सब प्रकार से निर्बल और असहाय बनाकर भी यह शक्ति दी है और स्त्री सदा से इसका उपयोग करती आयी है। वह कहने को पुरुष के पैर की जूती है लेकिन असल में उसके मुंह की लगाम रही है। मज़ा यह है कि स्त्री की यह दासता स्वीकार करना, अपने भाग्य को मोहिनी स्त्री के पैरों के तले रख देना पुरुष अपना सौभाग्य, अपनी सफलता समझ गर्व से सर ऊंचा उठा कर चलता आया है।

और पढ़ी-लिखी लड़की की अकल देखिये कि इस अधिकार और रियायत को ठोकर मारकर दर-दर, बाज़ार-बाज़ार अवारा फिरना चाहती है। सारी आयु पुरुष को बेबकूफ बना कर उसकी मजदूरी पर चैन करने की अपेक्षा खुद मजदूरी करने का जुनून उसके सिर पर चढ़ रहा है। घर की चहारदिवारी की अपेक्षा वह धूप और बरसात के मजे लेना चाहती है। यह परदा, यह घूँघट जो अब तक उसके आदर और सन्मान का चिन्ह रहा है, वह उसे फाड़ कर फेंक देना चाहती है। परदा अब उसे

अपमान जान पड़ने लगा है। वह कुलवधू इतना नहीं समझ पाती कि गधे घूप और बरसात में कूड़े-करकट के ढेर पर चरते नजर आते हैं लेकिन कीमती घोड़े अगाड़ी बंधे, गले में दोनों तरफ रस्सी लगे, बन्द अस्तबल में सम्मान और इज्जत के साथ मालिश कराते हैं पर पढ़ी-लिखी लड़की को इतना बेवकूफ नहीं समझा जा सकता; वह तो हमारे समाज की अक्ल का इत्र है।

सब की वजह तो बताई जा सकती है लेकिन हमारे बुजुर्ग, भरे पेट पर हाथ फेर कर आध्यात्म चिन्तन करने वाले आदर्शवादी बुजुर्ग बौखला पड़ेंगे। कहेंगे, हर बात में समाज का आर्थिक विश्लेषण करना कम्युनिज्म का रोग है हालांकि कांग्रेस के राज में दिलेरी से बातें की जा सकती हैं लेकिन कम्युनिस्ट बनना यहां भी खतरे से खाली नहीं। सच को, चाहे वह कितना ही अप्रिय क्यों न हो, छिपाने के लिये विशेष चतुरता की जरूरत रहती है। दुर्भाग्य से हो या सौभाग्य से इस चतुरता का भरोसा हमें अपने ऊपर नहीं और न उसकी विशेष साध है।

पढ़ी-लिखी लड़की यह सब क्या और क्यों कर रही है? हमें जान पड़ता है, परिस्थितियां उसे मजबूर कर रही हैं। समाज की आर्थिक परिस्थितियां हमारे पारिवारिक संगठन को इतनी बुरी तरह दबा रही हैं कि परिवार का केन्द्र बनकर रहने वाली असूर्यपश्या नारी कुचली हुई निघौली की गुठली की तरह बाहर निकल आयी हैं। समाज की मौजूदा परिस्थितियों में, अट्टालिका में चन्दन के छपरखट पर बैठ कर 'राजा' से नौलखे हार के लिये रूठ-रूठ कर अब जीवन-यात्रा पूरी नहीं हो सकती। अब 'राजा' की भी एक के बाद एक 'डोला' घर में ला कर रनिवास भरते जाने की तौफ़ीक नहीं रही।

पुरुष के सुख और भोग का साधन बन जाने पर भी समाज से अब टुकड़ा पाने के लिये ही नारी को गली-कूचे की खाक छाननी पड़ेगी। बगल में पुस्तकें दबा कर स्कूल जाना पड़ेगा, स्टेथिस्कोप लेकर डाक्टरों की करनी पड़ेगी, नर्स भी बनना पड़ेगा और अगर इस जीवन के संघर्ष में

वह किसी सफल परिश्रमी पुरुष को फंसा सके तो वह अपना भाग्य सरा-हती हुई बच्चे को हाथ की उंगली पकड़ाकर बंगले की सड़क पर टहलती हुई भी नज़र आयेगी ।

आर्थिक स्थितियों ने उसे दबाया, अक्षर ज्ञान ने उसके पैर की वेड़ियों को ढीला किया, देश के राजनैतिक बवंडर ने समाज को हतबुद्धि कर दिया और चतुर नारी पैतरा बदलकर बाज़ार में खड़ी नज़र आयी । पुरुष की हुकूमत का दबाव उठ चुका था, वह बोली—देश और राष्ट्र की इस लड़ाई में हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे । उस दिन पुरुष ने नहीं जाना था कि यह कंधा मिला कर चलने का ख्याल पुरुष के परम्परागत अधिकार को चुनौती है ।

और सब सह्य होने पर भी पढ़ी-लिखी लड़की का पुरुष की पाश-विकता को यों फटकार बताते फिरना बर्दाश्त नहीं हो सकता । यह यों बर्दाश्त कर लेने की चीज़ भी नहीं । हम दुष्यन्त, भीष्म, अर्जुन और पृथ्वीराज के नामलेवा हैं । लौखिनवार और खिलजी की कहानी हम पढ़ते हैं तिस पर यह तितलियां हमारी आंखों के सामने ऐंठती और बल खाती फिरती हैं और हमारे भुज-दण्ड फड़क तक नहीं सकते ?

अपने इस पराभव को यों याद कर सिवा होंठ चबा लेने के और क्या चारा है ? इससे बेहतर यही है कि यह पढ़ी-लिखी लड़कियां हमारी पाशविकता को भड़का कर, हमारी असमर्थता का उपहास करने के लिये प्रदर्शन न किया करें ।

शास्त्र में लिखा है—स्त्री का श्रृंगार पति के लिये है, उसकी अनु-पस्थिति में उसे कूड़े की तरह अनाकर्षक बना रहना चाहिये; और यह पढ़ी-लिखी नारी समाज में बन ठन कर निकलती है मानो वह एक पुरुष विशेष की भोग्य सम्पत्ति न होकर आत्म-संतोष के लिये श्रृंगार करती है । पुरुष का समाज में आत्म-सम्मान के लिये छैला बन कर निकलना हमारी समझ में आता है परन्तु नारी का यह चिकनियां बनने का दुस्साहस असह्य है । पुरुष अगर फिसलता है तो उसका उत्तरदायित्व

सदा स्त्री के ही कंधों पर होना चाहिये, इस सत्य को पढ़ी-लिखी लड़कियां क्या भूल जाती हैं ?

इन पढ़ी-लिखी लड़कियों के बात-ब्रात पर पुरुष को चुनौती देने के ढंग को आखिर किस हद तक बदरिक्त किया ? हम समझते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिये इन अबलाओं के सात खून माफ कर बेलगाम छोड़ दिया जाय और शास्त्रों में अपने अधिकारों की महिमा पढ़-पढ़ कर दिल बहलाया जाय । उन्हें जीवन के संघर्ष में आने दिया जाय, इससे बचने का कोई उपाय नहीं ।

हम लौट कर समाज की आदिम अवस्थाओं की ओर जा रहे हैं । इतिहास के विद्वान बताते हैं कि समाज की प्रारम्भिक अवस्था में समाज का संगठन वर्गवादी ढंग का था और स्त्री-पुरुष की सम्पत्ति नहीं होती थी । समाजवाद फिर चला आ रहा है और स्त्रियों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है कि वे पुरुष की सम्पत्ति बन कर नहीं रहेंगी ।

यह नक्षत्रों का संयोग इतना प्रबल है कि पुरुष इस के विरुद्ध सिर मार कर भी कुछ न कर सकेगा इसलिये हमारी सलाह है कि समाज को चलने दिया जाय और अपने बीते दिनों की याद में गम खाकर आठ आंसू सटक लिये जायं । इस जमाने में जो कोई इस पढ़ी-लिखी लड़की के जाल में फंस जाय, वह अपने को भाग्यशाली समझे और जो बैरंग रह जाय, वह मन मार कर उसे कोसा करे ।



नींद नहीं आती

कुछ लोगों से सुना है कि नशे में मनुष्य की विचार-तरंग खूब सजीव हो उठती है, कुछ लोग देव-प्रिया सुरा की स्फूर्तिदायनी शक्ति के उपासक हैं, कुछ भांग भवानी के भक्त और कुछ गांजे की चिलम के ही कायल हैं। एक आध गरीब सिगरेट भक्त को छोड़ मुझे नशे के मैदान के इन महारथियों से परिचय प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इससे उनकी शान में जवान खोलने का साहस नहीं कर सकता लेकिन सभ्यता की चढ़ती के इस युग में विचार-तरंग को उत्कर्ष देने की जरूरत किसे न होगी ? इसी से मन्दी के इस जमाने में, अपने जैसे गरीब आदमियों के लिये आजमाये हुये नुसखे का परामर्श देता हूं।

मैं दावे से डंके की चोट कह सकता हूं कि विचारों की उड़ान को स्फूर्ति देने के लिये, कल्पना के घोड़ों को सरपट दौड़ाने के लिये अनिद्रा अव्यर्थ साधन है। आधी रात के सन्नाटे में जब अपनी अकोमल शय्या पर लेटा, छत की ओर आंखें लगाये निद्रादेवी की प्रतीक्षा में रहता हूं, उस समय मन और कल्पना उच्छृंखल हो जहां न पहुंचे वही दूर। कितने विचार मस्तिष्क में आ चक्कर काट जाते हैं, इसकी गणना नहीं। ऊंची खिड़की के लोहे के जंगले से कुछ टिमटिमाते हुये तारे दिखलाई पड़ते हैं। उन्हें देख सोचता हूं, मेरे विचारों की संख्या क्या इन्हीं के बराबर है ?

अनेक विचार अनेक रूप में आते हैं—कुछ स्मृति के रूप में और कुछ आशा के रूप में। सोचता हूं भूत की बात, सुदूर भूत की बात और

निकट भूत की बात और कुहासे से आवृत झुट-पुटे भविष्य की बातें कठिन वर्तमान को सदा आड़ में रख कर। भूत मर कर भूत हो गया और भविष्य है स्वप्न; असल है केवल वर्तमान। सो उस वर्तमान से पल्ला छुड़ा कर मैं कहां भाग जा सकूंगा ?

मेंढक, झिल्ली, झींगुर अपनी झंकार से रात की बीभत्स नीरवता को सह्य बनाने का यत्न कर रहे हैं। कभी-कभी दूर से कुत्ते का भौंकना भी सुनाई पड़ता है और चुप्पी के बोझ से दबा दूर-समीप के अनेक घड़ियालों से रात के घण्टों के बजने का मन्द, तीव्र और कर्कश—अनेक प्रकार की धातु की टंकार का शब्द भी कान को सुनाई पड़ता है और नियमित अन्तर सुनाई पड़ती है कैदी चौकीदारों की पुकार—बैरिक नम्बर इतने कैदी, ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक हैं। इस सबके ऊपर सुनाई देता है, सन्नाटे में दबे पैर आकर नैशवायु का चिंतातुर मूक वृक्षों से रहस्य-वार्ता करना। वायु के कोमल-सुखद स्पर्श से वृक्षों के पत्तों का मर्मर शब्द।

भूत, भविष्य का चक्कर लगा कल्पना फिर वर्तमान के खूटे पर आ टिकी। दिन भर का क्रिया-कर्म फिर आंखों के सम्मुख क्रम से दोहराया जाने लगा। अपने इस संकुचित संक्षिप्त संसार में भी तो मैं चिन्ता-मुक्त नहीं हूँ। कितनी साध और यत्न से लगाये गये मेरे इन पीधों का क्या कुछ न बनेगा ? क्या दीमक इन सबको खाकर सफाई कर देगी ?

दीमक की असंख्य सेना से छाई जाकर सफेद पड़ गयी पीधों की जड़ें मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगीं। सोचा—कितनों को मार चुका हूँ और कितनी को और मारना पड़ेगा, किस विष से इनका बीज नाश कर सकूंगा ?

इस गूढ़ चिन्ता के तार को तोड़ दिया आकर एक मच्छर ने। धूँट जीव कान के इतना पास आकर भिनभिनाने लगा। हाथ के एक बार से उसका फँसला कर निश्चित होने पर सोचा...सो गया हूँ या नहीं; यही पता लेने यह मच्छर आया था। सोता पाकर दुष्ट ज़रूर डंक मारता।

इनको भी कितना ही मारता हूँ परन्तु बाज्र नहीं आते। आखिर कितनों को मारूंगा ? यह मुझे सोने क्यों नहीं देते ? क्या आराम से सोने का भी अधिकार मुझे नहीं ?

दूर पर बहुत से मच्छरों की भन-भन सुनाई दी। सोचा, यह क्या दल-बल से आक्रमण की तैयारी हो रही है ? कह चुका हूँ—रात के सन्नाटे में कल्पना अबाध हो उठती है। मच्छरों की इस कानफ़ैस की बात समझने में कुछ उलझन अनुभव न हुई। समझ गया, यह लोग अपने स्काउट * के न लौट सकने से चिन्तित हो उठे हैं। सोचा—कल सुबह मच्छर-संसार के समाचार पत्रों में सनसनीखेज खबर-छपेगी—

“एक वीर सैनिक या दुष्ट नर-राक्षस के हाथों बलिदान ! मच्छर जाति के नर रक्त पीने के जन्म-सिद्ध अधिकार के विरुद्ध मनुष्यों की घृणित कार्यवाही !

“मच्छर जाति के नौनिहालो ! यदि तुम्हारी नसों में अपने पूर्वजों का रक्त वर्तमान है तो मानव-रक्त पान के अपने अधिकार के लिये लड़ मरो !”

सोचा, मच्छरों की असंख्य सेनाओं का आक्रमण होगा और दोनों हाथों के दो-चार प्रहारों में अनेक सैनिक वीर गति को प्राप्त कर जायेंगे।

ध्यान फिर दीमक की ओर जा पहुंचा। सोचा—दुष्ट इस समय सुख-शांति से पौधों का सत्यानाश कर रहे होंगे और सम्भव है मैदान में खेत रहे बन्धुओं की स्मृति में महति सभा कर निर्दोष दीमकों पर, जो शांति पूर्वक प्रकृति-दत्त अधिकार से भोजन संचय कर रहे थे, नर-राक्षस के जघन्य अत्याचार की निन्दा कर रहे हों।

सोचा, मच्छर या दीमक के मृत्यु-जीवन का संसार में क्या महत्व है, करोड़ों ही मरते हैं।

विचार-शक्ति चोट खा जाग्रत हो उठी। सोचा, मनुष्य में और मच्छर

* युद्ध में सेना के आगे चलकर परिस्थिति देखे जाने वाले सिपाही।

में भेद ही क्या हैं ? जीवन-रक्षा के लिये संसार में संघर्ष और प्रजनन की प्रवृत्ति उसमें भी मनुष्य के ही समान है, अन्तर है केवल आकार में। वह इतना छोटा है कि उसका कुछ महत्व ही नहीं सकता। सोचा—

आकार छोटा होने से ही क्या है और मनुष्य का ही आकार कितना बड़ा है ? खयाल आया—कुम्भकर्ण का, जिसके मुख में राम की सेना के लाखों बानर प्रवेश कर नाक-कान के रास्ते निकल आते थे और ध्यान आया वृत्रासुर का जो पृथ्वी को चटाई की भांति लपेट कर ले चला था। फिर ध्यान आया वोल्तेयर के लिखे शनि-नक्षत्र के निवासी मीक्रोमेगा द्वारा इस पृथ्वी के वर्णन का—जिसके लिये इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों में से ह्वेल मछली को छोड़ अन्य किसी जीव को आकार की क्षुद्रता के कारण अणुवीक्षणयंत्र (Microscope) द्वारा भी देख सकना असम्भव था, जो विशेष सावधानी से ह्वेल मछली को नाखून के ऊपर टिका, माइक्रोस्कोप से देख कर इसी परिणाम पर पहुंचा था कि यह पृथ्वी केवल ह्वेल मछलियों का स्थान है। भूमध्यसागर जिसके पैर के टखने से ऊपर न पहुंच सका उसके मुकाबले में इस मनुष्य शरीर का क्या महत्व है ?

अपने आपको इतना तुच्छ, इतना अगण्य मानने के लिये मन तैयार नहीं हुआ। मन को समझाया—वह सब काल्पनिक वर्णन है। मनुष्य इतना तुच्छ नहीं हो सकता। मनुष्य से बड़ा कौन है ? परन्तु विचार-तरंग तो लगाम तुड़ा चुकी थी। उसने कहा—वृत्रासुर और मीक्रोमेगा काल्पनिक होंगे परन्तु यह उनसे भी कहीं बड़ा जीव समष्टि मनुष्य-समाज तो प्रत्यक्ष सत्य है। इस मनुष्य-समाज के आकार से नर-शरीर का क्या मुकाबिला ? समाज शरीर के अंग के कोटि-कोटि रोमों के एक क्षुद्र भाग से भी तो इस नर-शरीर की तुलना नहीं हो सकती, उसके मुकाबिले में इसका क्या महत्व होगा ?

इस अप्रिय आलोचना से मन को हटाने के लिये करवट बदल कर सोचना चाहता था कि कोहनी पर की सृजन ने याद दिला दी—पिछली

से पिछली रात एक मच्छर के काटने का खयाल आया—इतने मच्छरों से वास्ता पड़ा है परन्तु याद है केवल इसी की, न हो बड़ा वीर था ! मच्छरों के इतिहास में 'शत्रु 'नाशक' के नाम से इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया होगा । ४८ घण्टे से तो मुझे ही इसकी याद है । यह अड़तालीस घण्टे मच्छर जाति के पंचांग में न जाने कितने बरसों, पीड़ियों के बराबर होंगे । असंख्य मच्छरों को नितांत तुच्छ और अगण्य समझ कर भी मैं इस मच्छर को महत्व दिये बिना न रह सका । सोचा, सृष्टि के आदि से आज तक अरब गुणा अरब मनुष्य मर चुके हैं । उनकी कोई भी गणना या हिसाब नहीं । मनुष्य-प्राणी वास्तव में ही तुच्छ, निखिद् है—परन्तु उसी समय खयाल आ गया, इतिहास में चमकते हुये उन नामों का—राम, कृष्ण, विक्रमादित्य, सिकन्दर, फ़राउन, अकबर, नैपोलियन । अब तक मनुष्य-समाज इनके नाम भूला नहीं है । ठीक उसी तरह मुझे परसों रात काटने वाले मच्छर की सुघ है ।

उच्छृखल कल्पना ने कहा, राम एक मच्छर था; सिकन्दर भी एक मच्छर था । उसके डंक में तीव्र विष था जिससे मनुष्य-समाज का इतना बड़ा शरीर तड़प उठा । ऐसे ही फ़राउन, अकबर और नैपोलियन भी पराक्रमी मच्छर थे । उनका नाम चला आता है क्योंकि वे एक रोज़ समाज को व्याकुल कर सके थे । सोचा—और भी कुछ मनुष्य इस मच्छर जैसी करतूत कर गये हैं, जिससे उनका समाज उन्हें भूल नहीं सका है । सुनते हैं, एक मच्छर था बाल्मीक, वह ऐसा मिनभिनाया कि आज तक प्रतिभाशाली मच्छर उसका अनुकरण कर सकना गौरव का हेतु समझते हैं । ऐसे ही मच्छर थे होमर, कालिदास और शेक्सपियर ।

यह जो एक ठीठ मच्छर मेरे कान के पास आ भिनभिना रहा है । क्या इसके मन में भी नाम कमाने की महात्वाकांक्षा समाई है और इस मतलब के लिये मेरी नींद खराब करने में भी इसे कोई संकोच नहीं ? कितने शोक और लज्जा का विषय है !



मुझे मंजूर नहीं

दुनिया की सभी अच्छी बातें आरामदेह भी हों, ऐसा विश्वास नहीं। इन बातों में से एक बात सुबह तड़के उठकर सैर करने जाना भी है। आराम हो या तकलीफ़ डाक्टर के हुक्म से जाना ही पड़ेगा। आँखें मलता हुआ चला जा रहा था।

कुछ दूर एक नौजवान खूब ऊँचे स्वर में गाता चला जा रहा था— 'तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया।' इसने दिमाग को सचेत कर बची हुई नींद को भी भगा दिया। देखा, मैं ही अकेला नहीं। झुण्ड के झुण्ड लोग चले जा रहे हैं पर उन्हें काम है, उन्हें मिल में जाना है और मिल का बिगुल बज चुका है। इन्हें रोटी का टुकड़ा कमाने के लिये जाना है पर मुझ पर कौन बला आई है जो यों परेशान हूँ। खैर, डाक्टर की इच्छा! इस युग में विधाता ने अपने अधिकार डाक्टरों को सौंप दिये हैं।

फिर आवाज़ आई—'तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया।' सोचा, खुदा की तारीफ़ जरूर है कि ज़मीं और आसमां बनाये और उस पर हमें भी बनाकर छोड़ दिया परन्तु उसके आगे किसने क्या बनाया यह दूसरा सवाल है। यह ऊंची तीस हजार घोड़ों की ताकत की मिल और यह चौमंजिले मकान और यह बाग, यह लहलहाते खेत भी शायद खुदा की मर्जी से, उसी के हुक्म से बने होंगे परन्तु चश्मदीद गवाही तो यह है कि इन्हें इन्सान ने बनाया है।

तारीफ उस खुदा की जिसने समुन्दर बनाया । तारीफ उस खुदा की जिसने जंगल, पहाड़, गुफा बनाये पर मैं न तो समुन्दर में तैर सकता हूँ और न जंगल, पहाड़ की गुफाओं में मजे से रह सकता हूँ । किसी को अगर बुरा न लगे तो मैं गा देना चाहता हूँ”

काश, मेरी आवाज़ उस नौजवान की तरह गाने लायक होती जोर मुझे ईंट-पत्थर से सर फोड़ दिये जाने का भय न होता तो मैं गा देता— तारीफ है उस जवां की जिसने मकान बनाया, तारीफ है उस जवां की जिसने पलंग बनाया, तारीफ है उस जवां की जिसने कपड़ा बनाया और फिर रोटी-दाल बनाई, मोटर गाड़ी बनाई और खाने को दवाई बनाई ।

हां, तो बनाई किसने ? मैंने पैदा होकर अब तक कुछ नहीं बनाया । कुछ पढ़-लिखकर अगर कुछ बनाया तो दफ्तर के रजिस्टर में हिसाब बनाया है और बनाई हैं बातें ।

लेकिन क्या हर्ज, मैंने नहीं बनाया तो मेरे भाइयों ने बनाया है । अभिमान से छाती फूल उठी । वे सब लोग जो सुबह मिलों में काम करने के लिये चले जा रहे थे, उन्हीं की तरफ देखकर मैंने कहा—हां यह हैं मेरे भाई, जिन्होंने सब कुछ बनाया है ।

उसी समय मिल में जाने वालों की शकल का सा एक जीव पीछे से दौड़ता हुआ दूसरों के साथ आ मिला । वह कांप रहा था । मालूम होता था पीछे रह जाने के कारण समय की कमी को पूरा करने के लिये उसे दौड़ना पड़ा है । उसने आते ही कहना शुरू किया—क्या करें यार, लड़का बीमार है, उस की वजह से देर हो जाती है । उसकी मां रोटी भी नहीं पका पाती ।

सोचा, यह हमारा भाई है, इसका लड़का बीमार है । इसे शायद डाक्टर की भी जरूरत पड़ती होगी ? डाक्टर का खयाल आते ही सोचा, डाक्टर की एक दफे की फीस तो इसकी महीने भर की कमाई है ।

सुबह सैर के वक्त दिल को खुश रखना चाहिये, इस खयाल से मैंने

यह बात भुलाने की कोशिश की पर जिस बात को भुलाने की कोशिश कीजिये, वह बरबस पीछे पड़ जाती है ।

बार-बार खयाल आने लगा, यह लोग जो चार मंजिल का मकान तैयार करते हैं, यह लोग जो इतनी बड़ी-बड़ी मिलें, रेलगाड़ियां और मोटरें तैयार करते हैं, दुनिया भर का पेट भरने का सामान तैयार करते हैं, इन्हीं के रहने को मकान नहीं ! रहते हैं तो ऐसी जगह जहां भले आदमी सिर्फ जानवर बांध सकते हैं और खाते हैं तो ऐसा जो खाने लायक नहीं और सवारी का तो कहना ही क्या ?

जिन मजदूरों ने दिल्ली में वायसराय का महल तैयार किया था आज अगर वे उधर से निकल जाना चाहें तो नहीं जा सकते । उधर देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी ? ओफ अन्याय !

फिर खयाल आया कि अन्याय इसमें क्या है, उन लोगों ने मेहनत मजदूरी की, उन्हें उसका दाम मिल गया । जितनी मेहनत मजदूर लोग करते हैं उस सब का दाम उन्हें मिल जाता है, इसमें अन्याय कुछ भी नहीं लेकिन फिर खयाल आया अगर मेहनत की पूरी मजदूरी मजदूर को मिल जाती है तो मालिक के पास क्या बच रहता है ? उसे परोपकार से मतलब ?

उसी समय एक ठेकेदार साहिब का खयाल आ गया, जिनकी बाबत मशहूर है कि वे एक समय पन्द्रह रुपये के मुंशी थे लेकिन अब दस लाख के आसामी हैं । खयाल आया—एक समय वे अपने कर्मों के फल से गरीबी का दुख भोग रहे थे परन्तु अब उन्होंने मुनाफे के रूप में बहुत सा पुण्य संचय कर लिया है या दूसरों का कर्म संचय कर लिया है इस लिये हजारों मजदूरों का पेट भरते हैं और भगवान के नाम पर पुण्य भी करते है ।

मिल के गेट के सामने से गुजरा तो उस पर लिखा था—नौकरी की जगह खाली नहीं है । इसका मतलब हुआ कि बहुत से लोग मजदूरी

ढूँढ़ने आते होंगे । इसका मतलब यह हुआ, बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होगी जो कुछ मजदूरी न पाकर भूखे मरते होंगे । यह बात हमारी समझ में नहीं आती कि आदमी काम करने को तैयार हो तो उसे काम क्यों न मिले ? वह भूखा क्यों मरे पर किया क्या जाय ? माल की खपत नहीं होती ।

माल की खपत क्यों नहीं होती ? यह लोग जो इतने बेकार हैं, यह मजदूरी न मिलने से कुछ खरीद नहीं पाते । खपत हो तो कैसे ?

और खपत होती क्यों नहीं; जब इतने लोग भूखे-नंगे हैं तो इन लोगों की भूख मिटाने और पेट भरने के लिये क्यों इन्हीं लोगों को मजदूरी-मेहनत करने नहीं दिया जाता । बहुत सोचने पर खयाल आया, जब तक मुनाफे की गुंजाइश न हो काम कैसे चल सकता है ?

इस सब का इलाज बताया जाता है समाजवाद । समाजवाद से अगर संसार के इतने दुःख-दर्द का इलाज हो सके तो बुरा क्या है परन्तु समाजवाद मुझे पसन्द नहीं । कहते हैं, समाजवाद में सब जायदाद छिन जायेगी । यह मुझे पसन्द नहीं कि मेरा एक मकान है वह भी मुझसे छिन जाय लेकिन समाजवाद में सुनते हैं सब लोगों को उमर भर खाने को मिलेगा और रहने को घर ।

हो सकता है पर मुझे मजदूर कहलाना गवारा नहीं । मैं मजदूर को अपना भाई कह सकता हूँ परन्तु अपने आपको मजदूर नहीं कह सकता और फिर दिन भर टोकरी कौन ढोयेगा ?

लेकिन हिदायत लगाकर कहते हैं, इस कला-कौशल के जमाने में अगर दुनिया में कोई भी आदमी बेकार न रहे तो केवल डेढ़ घंटा हर एक आदमी के मजदूरी करने से ही संसार का पेट भर सकता है । यह ठीक हो सकता है, खयाल भी बुरा नहीं पर पहले कह चुका हूँ कि दुनिया की हर एक अच्छी चीज में मज्जा भी हो यह बात नहीं । समाजवाद यानि मजदूरों-किसानों का राज अच्छा हो सकता है पर मुझे मंजूर नहीं !



न्याय

जेल के अहाते के बायीं ओर की दीवार में नया मजबूत दरवाजा लगाने के लिये पुराना दरवाजा निकाला जा रहा था। उस समय चौखटे के ऊपर बने गिलहरी के कोटर की याद आयी, उसके छोटे-छोटे बच्चों का क्या हाल होगा ? किसी समय दिल में एक अजीब सी कमजोरी आ जाती है।

गिरती हुई मिट्टी और ईंटों के बवाल के बीच से एक छोटा सा बच्चा निकल कर सामने नीम के पेड़ पर दो हाथ चढ़ा और गिर पड़ा। दीवार पर बैठा हुआ कौवा लपका परन्तु मटरू मीके पर था। ताली बजा उसने कौवे को ललकार दिया।

बहुत बेचैनी की हालत में बच्चा इधर-उधर झपट रहा था। मेरे कहने से मटरू ने अंगोछा फेंका। बच्चे को पकड़ नीम के तने पर रख दिया। बच्चा दो हाथ चढ़ फिर गिर पड़ा। फिर उसे सहारे से तने पर रखा गया पर वह सम्भल न सका। गिलहरी के बच्चे का त्रास और बेचैनी देख मुझ से रहा न गया। उसे अपने हाथों में ले लिया। पुचकारा, दुलारा परन्तु वह भय के कारण मेरी उंगलियों के बीच से निकल कूदा पड़ता था।

उसकी मां का कहीं पता नहीं था। बच्चा खुद पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था और कौवे तक में दीवार पर बैठे थे। बच्चे की इच्छा के विरुद्ध उसे रूमाल में लपेट लिया। सोचा—रोटी डाल दूंगा और इसे बैठा

दूंगा। इसकी मां रौटी लेने आयेगी तभी उसे भी ले जायगी। मैंने पेड़ से या छत से गिलहरी के बच्चे गिर जाने पर उसकी मां की विकलता देखी है। वह छोटा सा तुच्छ जीव संतान के मोह में कैसे छटपटाता है? इसे जिसने भी देखा है, वह गिलहरी के बच्चे की कभी उपेक्षा नहीं कर सकता।

बाहर से फिर मटरू के ताली बजाकर ललकारने की आवाज आयी।
उचक कर पूछा—क्या है ?

जब दीवार गिरने के तलातम में दूसरा बच्चा निकल कर भागा, तब तक में बैठे कौवे ने उसे झपट लिया परन्तु मटरू ने जोर से ताली बजा कर शोर किया और मजदूरों ने ढेले बरसाये। कौवा सुध-बुध भूल गया और बच्चा उसकी चोंच से छूट गया। मटरू ने उसे भी उठा मेरे हाथ में दे दिया।

सोचो तो मौत ! साक्षात मौत के मुंह से वह बचा था। गरमी में प्यासे पक्षी की तरह अपना छोटा सा मुंह फैलाये वह बुरी तरह हांफ रहा था। उसकी पतली सी पूंछ आधी कट गयी थी। मुझे वह अपना न समझ सका—शायद उसने सोचा कौवे के मुंह से छीन कर मैं उसे स्वयं निगल जाना चाहता हूँ। उंगलियों में से निकल वह कूद पड़ा। मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था। झट से उसे उठा दूसरे बच्चे के साथ लपेट दिया। एक तौलिये में उन्हें लपेट रौटी के टुकड़े जंगले के आगे फैला मैं उनकी मां की प्रतीक्षा करने लगा।

तीसरा बच्चा जो ऊपर चढ़ गया था नीम की शाख से पट्ट से गिरा—उसे शायद उसकी मां ऊपर उठा ले गयी थी। एक कौवा साहस करके ऊपर से मण्डरा कर निकल गया। बच्चा इतने ऊंचे से गिरा था कि उसकी आंखें मूंद गयीं। लोगों ने कहा—मर गया। अपने दिल का क्या हाल हो रहा था ?

उसी समय इतने मनुष्यों की आहट और कोलाहल की भी परवाह न कर गिलहरी झपटती हुई आयी। गिलहरी का क्या कुछ चेहरा होता

है ? उस पर हाव-भाव, विकलता, आंखों में आंसू यह कुछ नहीं दीख सकता परन्तु उसकी व्यग्रता ! वही हजार जिह्वा होकर सब कुछ कह रही थी। मां का स्पर्श पाते ही बच्चा सजग हो गया। मां किस पागल-पन से उसके सम्पूर्ण शरीर को चाटने लगी मानों वह उसे निगल जाना चाहती थी। चूमने में जो हम स्नेह की चरम अभिव्यक्ति समझते हैं, वही तो !

मां अपना पेट फाड़ बच्चे को ढांप लेना चाहती थी। बच्चे को मुंह में दबा गिलहरी फिर नीम पर चढ़ो, मैं उसके साहस, उसकी जान-निसारी पर स्तब्ध रह गया। उस समय याद आ गया—मेरी भी तो मां है...।

परन्तु परमेश्वर का न्याय क्या यही है ? उस बेचारी का मकान उजड़ गया, बच्चे रह गये। वह नन्ही सी जान ! मैं पूछता हूं—क्या न्याय यही है ?

कौवे सामने की दीवार पर पंक्ति में बैठे थे। चोंच को दायें-बायें, घुमा, ऊपर-नीचे कर वह अपना पेट भरने की चिन्ता में थे। तब मुझे ख्याल आया—अभी इनके मुंह का कौर छीन अपनी समझ में मैं बड़ी दया कर बैठा हूं।

गिलहरियों के प्रति मेरे कम उलाहने नहीं हैं। पिछले दिनों मटरों की क्यारी में अंकुर फूटते ही इन दुष्टों ने अपने पिछले पैरों पर बैठ एक-एक अंकुर चुन-चुन कर, गिन-गिन कर काट दिया था। 'उड़नविहार' (Linaria) की फूलों से लदी डालियां काट कर डाल दीं। 'गुलदाउदी' (Crysanthimum) के लहकते हुये फूल, जिनके बोझ से टहनियां गिरी पड़ती थीं इन्होंने सैकड़ों काट दिये। जहां कहीं कोई नरम कपड़े का टुकड़ा, रूमाल या कुछ और नीचे पड़ा पाया, अगले पंजों से उसे गोल-गोल समेट कर घोंसले में बिछाने के लिये ले चलीं। इनका ध्यान उधर से हटाने के लिये मैंने दाल, दलिया, बिखराया, डबल रोटी इन्हें खिलायी। इन्होंने सब कुछ खाया और फिर भी फूल खराब किये।

परन्तु न जाने क्यों इनके प्रति मोह होता है ! जब डबल रोटी जंगले के पास नहीं पातीं तब मुंह उठा ऐसे मांगती हैं कि रहा नहीं जाता । विवश मुख से प्यार के निरर्थक शब्द निकल पड़ते हैं—रोटी डाल देता हूं ।

फुलवाड़ी ही उजाड़ती हों, शेष जीव-जन्तु की यह हत्या न करती हों सो भी बात नहीं ! दीमक के बिल को खोद कर जब यह चुन-चुन कर कीड़े खाती हैं तब क्या उस हत्या की गिनती रह जाती है परन्तु इन्हें मैं पुचकार कर, चीनी लगा कर डबलरोटी खिलाता हूं और कौवा जब उस रोटी पर झपटता है तब उसे मिलता है—ढेला-पत्थर ।

कौवे के खिलाफ केवल एक ही शिकायत है, वह एक दिन थोड़ा सा साबुन ले गया था लेकिन यही मेरा न्याय है, शायद यही मेरी दया है । जो कुछ हो परन्तु परमेश्वर भी तो देखता है, वही क्या कुछ करता है ? उसे न अपने बनाये इतने सुन्दर फूलों की चिन्ता है न दीमकों की, न गिलहरी की, न कौवों की और न मनुष्य की ही—मुझे ही क्या इस मुसीबत में यों फंस जाना चाहिए था ?

वह गिलहरी नया घोंसला बनाने के लिये बड़ी ही व्याकुलता से इधर-उधर से मूँज, सन और चीथड़े बटोर रही थी । रोटी का टुकड़ा उठाने वह नहीं आयी । मैं दोनों बच्चों को जंगले के समीप रख रखवाली के लिये बैठा था ।

उस दिन कारदूसी की पुस्तक बिलकुल न पड़ सका—वह गया भाड़ में । पौने छः बजे मैं बैरिक में बन्द हो गया पर मैं जंगले के पास ही बैठा था । वह गिलहरी नया घर बनाने की फ़िक्र में यों परेशान थी कि बच्चों की फ़िक्र में इधर आ ही न पायी । बच्चों को रात भर के लिये जाली की डोली में बन्द करने की सोच ही रहा था कि पट से आवाज़ हुई । देखा, उसका तीसरा बच्चा ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसका अधबना घोंसला नीम की पत्तियों में उलझ कर लटकने लगा । सोचा, अब की बार ज़रूर मर गया । हाय, वह व्यग्र नन्हीं सी जान फिर दौड़ती हुई चली आयी । उसके स्पर्शमात्र से बच्चा फिर चेतन हो

गया। वह चाटना, चूमना, उस नन्हें से दिल से—शायद वह एक रत्ती भर का होगा, ममता का महानद उमड़ा पड़ रहा था। वह उसे फिर मुंह में दबा कर ले चली। बच्चे को डाल पर बैठा उसी समय फिर नये सिर से घोंसला बनाने का उसने लगा लगाया। धैर्य और साहस की सीमा क्या कहीं इसके भी आगे है? उसकी वह नन्ही सी जान और उसकी वह शक्ति! आश्चर्य का विषय क्या कुछ और होगा? परन्तु परमात्मा—वह कहां है और वह क्या कर रहा है?

अंधेरा होने लगा था। दोनों बच्चों को जरूर भूख लगी थी। आंख में दवाई डालने की नली से मैंने ज्यों-त्यों दोनों को दूध पिलाया। वह दुमकटा बहुत घबराया हुआ था। वह दूध नहीं पीता था। दूसरे ने तो कुछ पिया।

रात में गिलहरी को बच्चों से मिला देने का उपाय सोचा। नया घोंसला बनाने के लिये सन और मूँज की तलाश में वह जरूर दौड़ेगी इसलिये उसके पुराने घोंसले की नरम-नरम सन में दोनों बच्चों को लपेट धूप होने पर नीम की जड़ के पास रख दिया। गिलहरी बहुत तड़के से ही बावली सी इधर-उधर भाग-दौड़ कर रही थी। सुबह बच्चों ने रात की अपेक्षा नली से कुछ अधिक दूध पिया और उनकी घबराहट भी उतनी नहीं रही थी बल्कि वे मेरी अंजुली छोड़कर जमीन पर बैठने में हिचक रहे थे।

मां की सूरत देख...धूप खा बच्चे हाथ-हाथ भर ऊपर तने पर चढ़ गये। गिलहरी कूद कर आयी...और फिर...सभी बड़े-बड़े कवियों ने करुणा और वात्सल्य के चित्र खींचे हैं पर...इस दृश्य के आगे सब हैय!

मुंह में एक बच्चे को दबा वह ले चली परन्तु कहां...उस नीम पर नहीं। कोई तीस गज परे, बीच में एक पेड़ छोड़ दूसरे एक बड़े नीम पर। कल सांझ को जो उसका बच्चा टपक पड़ा था उसी ओर। जितनी देर में नया घोंसला बनेगा उतनी देर बच्चे कहां रहेंगे? फिर पल-पल पर वर्षा...यही सब सोच-विचार कर कोई कोटर ढूँढ़ कर उसने बच्चे

को टिका दिया है, ऐसा जान पड़ता है। दो-तीन मिनट में वह आयी; दूसरे बच्चे को ले गयी। बच्चों के सकुशल मां की गोद में पहुँच जाने से खुशी तो जरूर हुई परन्तु उसका साथ छूट जाने से कुछ वियोग—दुःख भी जरूर हुआ।

क्या !... मैं जानता हूँ... तुम यही तो कहोगी कि परमात्मा ने मेरे द्वारा कौवे के मुख का कौर छीना और जब तीनों बच्चे जवान होकर हजार-हजार दीमकों की हत्या करेंगे तब परमात्मा किस के द्वारा क्या करेगा ? किस की रक्षा करेगा, किसका संहार करेगा, किस पर दया होगी और किस पर अन्याय होगा ? और है वह सब का परमपिता !

अस्तु, तुम बात सुनो—मैं कुछ देर बरस कर थमा था। मैं ज़रा चहलकदमी कर रहा था। जगह-जगह पानी खड़ा था। वह गिलहरी फिर आई। पंजों से सन का गोला बांध वह उठा कर चली। वह बोझ उसके लिये अधिक था और जगह-जगह ठहरा हुआ पानी—उसके लिये वह सब बड़े-बड़े तालाबों से क्या कम था ? रुक-रुक कर, हाँफ-हाँफ कर वह उस बड़े-बोझ को लिये जा रही थी। जीवन संसार में क्या है ? एक निरंतर चिंता और कष्ट !

यह तो है गिलहरी की बात ! ज़मीन पर जहाँ-तहाँ पड़ा चारा-दाना चुग लेने से उसका पेट भर सकता है और पेड़ की कोटर उसके लिये घर है परन्तु हाय रे मनुष्य ! तेरे तो हर एक काम में हजार झंझट हैं और फिर तेरे सिर पर कौन मुसीबत नहीं ? आंधी-पानी है, आग और बाढ़ है, भूचाल है, उस पर चोर डाकू हैं, अत्याचारी की स्वेच्छाचारिता है और यह सब तुम्हारे दयामय परमेश्वर की इच्छा से, उसके न्याय से है।



गरीब का भगवान

जगह-जगह पलस्तर छूट कर फर्श और दीवारों पर अदभुत चित्रकारी होती चली जा रही है। यदि मानसिक उलझन से राह ढूँढ़ते हुये किसी प्रख्यात कलाकार ने कागज पर ऐसी भूल-भुलैया बना दी होती; इस चित्रकारी की भाव-गम्भीरता पर मासिक पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित हो सकते, टिकट लगा कर इनाम प्रदर्शन किया जा सकता था। परन्तु मध्यवित्त श्रेणी का ही भाग होने का दावा करने वाले, वास्तव में वित्त-हीन नागरिक के मकान में अदभुत रूप-रेखा में उखड़ा हुआ पलस्तर केवल मच्छरों, खटमलों, मकड़ियों और छिपकलियों की पैदाइश और बढ़ती की जगह है। उखड़ा फर्श घर भर को धूल से भर देता है। मकान मालिक किराये की उगाही में उतावला होने के बावजूद मकान की मरम्मत के मामले में बिल्कुल अधीर नहीं है। बहुत सीधा-सा और रूखा सा उत्तर है—‘छोड़ न जाओ ! कौन एहसान कर रहे हो !’

वास्तविकता को देखते मानना पड़ेगा कि एहसान नहीं कर रहा हूँ। मकान में डटे रहना ही उस पर अन्याय जान पड़ता है। नये सिरे किराये पर चढ़े ऐसे मकानों के आसानी से पच्चीस और तीस रुपये मिल सकते हैं। हम पुराने किरायेदार होने के नाते भारत-रक्षा-विधान (D. I. R.) की छत्र-छाया में चौदह से एक पाई अधिक थमाने को तैयार नहीं। मकान मालिक के मुन्शी की आंखों में कुछ अदब है। रूखे उत्तर के बजाय तफसील देने की तकलीफ़ गवारा करते हैं—‘चुने की कीमत चौगुनी

हो रही है। मजदूर तिगुनी-चौगुनी मजूरी मांगता है; मालिक भी क्या करे? ..जेब से कोई कहां तक लगा दे? मकान का सूद भी तो नहीं निकल रहा।

विवश होकर स्वयं मरम्मत करा डालने का निश्चय किया।

मजदूर ने कहा—सवा रुपया रोज! सुनकर जैसे अचम्भा-सा जान पड़ा परन्तु जब उसने पेट पर हाथ मार कर कहा, इसे भी तो किसी तरह भरें कि नहीं! तब लाचारी थी। तीन-चार दिन सोचकर मजदूर हुये कि मुरम्मत तो करानी ही पड़ेगी। फिर जैसा आज वैसा कल बल्कि हो सकता है, कल सवा से डेढ़ रुपया हो जाय!

मजदूर को लगा लिया। संध्या समय दफतर से लौटकर देखा, इस हिसाब से तो महीना-पन्द्रह दिन तक मजदूरी करनी होगी। घरवाली ने शिकायत के स्वर में कहा—मुआ दिन भर जब देखो कभी पानी पीने जा रहा है, कभी पेशाब के बहाने निकल गया। हाथ-पैर ऐसे चलते हैं जैसे जान ही नहीं हो! हरामखोर है एक नम्बर का!

मजदूर से बहुत झगड़ा हुआ। उसकी हरमखोरी के बारे में सन्देह नहीं था लेकिन लड़-झगड़ कर वह अपना सवा रुपया ले ही गया। न देते तो कहीं गंवार हाथ छोड़ बैठता, क्या ठिकाना और अपना दारोगा साहब के यहां उठना बैठना है नहीं जो कुछ हौसला करते। बेवसी थी।

दूसरा मजदूर एतवार के दिन लाये और थोड़ी-थोड़ी देर बाद लल-कारते रहे। काम जितना चाहिए था उतना तो नहीं हुआ परन्तु फिर भी घरवाली को दिखकार कहा—यह फ़रक होता है जब कोई देखने वाला सिर पर हो।

दूसरे दिन एतवार नहीं था। दफतर जाना पड़ा। दफतर में हर घड़ी घर पर हरामखोरी करते मजदूरों का ख्याल बना रहा। दिर भर रजि-स्टरों में आंखें गड़ाये सिर चकरा जाता है तिस पर घर की उलझन। काम कुछ हुआ नहीं। पांच बजे चपरासी दिन भर के काम की रिपोर्ट भरवाने लाया। जो कुछ किया था लिख दिया। मन में आशंका थी,

हेडक्लर्क साहब कल दफ्तर में आते ही टोकेंगे—कहिये मिस्टर, यह दिन का काम है ? और जब सालाना तरक्की का मौका आयेगा, रोजाना रिपोर्ट उल्टा कर दिखायेंगे । साहब के सामने पेशी होने पर वे 'हराम खोर' तो नहीं कहते पर आंखों में आंखें गढ़ा पूछते हैं—अपना काम होता तो क्या दिन में इतना ही करते और स्वयं किये काम की ओर संकेत कर दिखा देंगे, करने से इतना काम हो सकता है ।

साहब को मुनासिब जवाब देने का अरमान पूरा किया जाय तब जब उनकी नौकरी के बिना पेट भर सके । उन्हें जवाब नहीं दिया जा सकता, मन घुट-घुट कर ही रह जाता है । मन कहता है—तुम्हारी जगह होते तो उससे भी ज्यादा कर दिखाते । तुम क्या पैतालिस रुपये माह-वार में गुजारा करते हो ? पैतालिस सौ रुपये की तो तुम्हारी सवारी ही है । पैतालिस तब देते हो, जब सौ की मेहनत करा लेते हो ! पांच रुपया बढ़ाने का लोभ देते हो इस शर्त पर कि २०-२५ का काम और अधिक कर दिखायें । तनख्वाह देते हो तो कौन एहसान करते हो ! पैसा देना चाहते हो मुश्किल से जिन्दा भर रह सकने लायक और काम चाहते हो शक्ति भर जैसे गाय के साथ किया जाता है । जितना हम कमा कर देंगे उतना थोड़े ही दे दोगे ? हमें दूह-दूह कर ही तो मोटे हो रहे हो बेटा ! और हमें ही आंख दिखाओ और हरामखोर बताओ । फिर ख्याल आया कि गाय पाल कर उसे इसलिये तो कोई नहीं दुहता कि लौटकर उसे ही पिला दिया जाय !

सोच में गर्दन खुजाता भगवान के लिखे के आगे सिर झुकाये चला जा रहा था । फ्रिक थी घर में लगे मजदूर की जिससे अपना बहुत कुछ वही रिश्ता था, जो साहब का हम से है । घर पर आते ही घरवाली ने स्वर ऊंचा कर शिकायत की—देखा, चोर कैसा हरामखोर निकला ! कल तुम सिर पर थे, कुछ किया भी और आज तो जैसे हाथों में मेंहदी रचा रखी है । आज कल से बारह आने भी नहीं किया । अब कल पैसे देते वक्त ख्याल रखना ।

ऊंट अभी ताजा-ताजा पहाड़ के नीचे से चला आ रहा था इसलिये कुछ अधिक बोलने का उत्साह नहीं हुआ। कह दिया—‘घरने दो हराम-खोर को !’

जिस दिन दफ्तर में दिन अच्छा नहीं कटता, घर लौटकर बच्चों और बीबी से परेशानी होती है, झगड़ा हो जाता है इसलिये कुछ अलग-सा बैठा, थाली पर पुकारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था और मन में उठ रहा था—समाज के यह सब आर्थिक सम्बन्ध छीना-झपटी और चोरी-डकैती नहीं तो क्या हैं ? मेहनत करने वाला अपनी मेहनत का अधिक मूल्य चाहता है और मेहनत कराने वाला कम से कम मूल्य देकर अधिक से अधिक परिणाम चाहता है।

ऐसी हालत में किसी दूसरे के लिये मेहनत क्यों करते अगर उसके बिना गुजारा चल सकता ! दिल तो चाहता है, यदि रकम पास होती तो कोई रोजगार कर लेते। रकम—यानि दूसरे की मेहनत खरीद सकने का साधन—रोजगार, रोजगार यानि दूसरे की मेहनत के परिणाम से कम मूल्य देना ! ...भला तो नहीं मालूम होता पर दुनिया में हो ही क्या रहा है ...?

तरकारी तो बना रखी है। बनिये के यहां से रुपये का आटा ले लो तो झट से फुलके उतार दूँ—घरवाली ने सुनाया। इस थकावट पर यह सन्देश ! तबीयत और भी भन्ना गई पर कुछ बोला नहीं। विचारों में जो उलझा हुआ था।

एक रुपया और अंगोछा ले गली से चला जा रहा था। पहले एक रुपये का आटा मजदूर से उठवाकर लाते थे। अब सभी कुछ बेहद महंगा हो रहा है पर क्यों ?

सब चीजें महंगी हो जाने का कोई कारण समझ नहीं पाता। कहते हैं, कम पैदा हुआ है या लड़ाई पर जा रहा है, बाजार में जितना चाहिये उससे कम है। मान लिया कम है पर इससे दाम बढ़ने की क्या सफ़ाई ? दाम तो लागत के हिसाब से होने चाहिये। लागत को कौन पूछता है !

दाम होते हैं मांग के हिसाब से यानि हमें जरूरत है तो आप चाहे जितनी कीमत मांग सकते हैं। मुट्ठी भर आटे के लिये या एक गज कपड़े के लिये आप जितनी रकम चाहें हम से छीन लें। यह तो साहब मजबूर करना है, दबाना है और फिर अगर कोई आदमी गले में फंदा डालकर या सीने पर छुरी रख किसी की गांठ ढीली करवा लेता है तो उसमें ही क्या डाकाजनी है ? अगर मुलम्मा की हुई चीज बाज़ार में सोने के दाम बेच देना चोरी है तो जो माल जितनी लागत और मेहनत से बना है, उससे ज्यादा दाम वसूल लेना क्या चोरी नहीं ?

हम कहते हैं चीजों के दाम क्यों बढ़ाये जायें ? देश में या बाज़ार में कोई चीज कम है तो सभी लोग हिस्से से थोड़ी-थोड़ी पायें पर यह हो जो नहीं पाता। जिसके पास रुपया अधिक है वे अधिक दाम देकर यथेष्ट ले लेना चाहते हैं। जब हमारा बच्चा दूध के बिना बीमार हो रहा है, वे खोया खाकर बीमार पड़ना चाहते हैं। हां, जिनके पास और भी अधिक रुपया है, वे बाज़ार में कम पड़ती चीज को सब की सब खरीद कर और भी मंहगा बेचते हैं और उनकी जेब में रुपया और भी अधिक बढ़ जाता है। इस तरह के कामों से कम रुपये वालों का संकट बढ़ाने की उनकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। मज़ा यह है कि जब भी कोई व्यक्ति सुखी होने की चिन्ता करता है तो यही सोचता है कि उसके पास रुपया बढ़ जाय यानि वह दूसरे को दुखी करने लायक हो जाय। खूब रही; हमारा सुख है तो दूसरों को दुखी कर सकने में।

हां, तो देश और बाज़ार में मौजूद सामान में सब के बराबर हिस्से की बात सोच रहा था। यह बात कुछ बेमतलब सी ही है। हिस्सा निश्चय होना चाहिये। पैदावार के लिये की गई सब लोगों की मेहनत से पर वह है लोगों की जेब में मौजूद रुपये से। एक बात और—रुपया अधिक कमाने का तरीका दम तोड़कर मेहनत करना हो तो मैं मान नहीं सकता। उसका तरीका है दूसरों की मेहनत का परिणाम हड़प कर लेने का उपाय कर देना। उसके लिये पैसा होना चाहिये। पैसा पैसे को

खींच सकता है तभी तो कहते हैं—माया को माया मिले कर-कर लम्बे हाथ !

यह तो दिखाई देता ही है। जिसके पास रुपया है वही अधिक रुपया कमा सकता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने जीवन भर की, अपनी सन्तान के जीवन भर की आवश्यकताओं के लिये रुपया है फिर भी वे कमाने की कोशिश करते हैं।

यह लोग रुपया इसलिये नहीं कमाते की जरूरतें पूरी करनी हैं बल्कि इसलिये कि रुपया यदि यह लोग नहीं कमायेंगे तो कोई दूसरा उसे समेट लेगा। सम्पूर्ण कारोबार और उद्योग-धन्धे का अभिप्राय और परिणाम यह है कि समाज के रुपये को अधिक से अधिक समेटा जाय और यह रुपया और अधिक रुपया समेटने के उपयोग में लाया जाय ? आखिर जो लोग लाख दो लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, उन्हें इसकी जरूरत ! सोने के कौर तो कोई खाता नहीं। बड़े से बड़ा ऐश भी आदमी करे तो क्या खर्च कर लेगा ? पर यहां तो रुपया खर्च करने के लिये कमाया ही नहीं जाता, वह तो कमाई के साधन के रूप में कमाया जाता है ताकि दूसरों के पास हमारी अपेक्षा कम रह जाय।

रुपया जो जनता के परिश्रम का, मेहनत का प्रतिनिधि है, उसे जनता के अपने उद्योग में न आने देकर यह लोग उसे क्यों समेटते जाते हैं ?

दूसरे की वस्तु ले लेना चोरी है तो दूसरे की मेहनत खसोटना क्या चोरी नहीं ? वस्तु भी तो मेहनत से बनती है ! मेहनत तो सभी करते हैं, कम से कम मौका मिलने पर मेहनत कर रुपया सभी कमाना चाहते हैं लेकिन जिनके पास रुपये हैं, वे मेहनत का पूरा दाय रुपये की सूरत में देते नहीं। सभी कारोबार तो उनके हाथ में हैं। कभी वे कहते हैं, कपड़ा मन्दा हो गया। कभी कहते हैं गल्ला मन्दा हो गया। क्या हम समझें कि लोगों को कपड़े और गल्ले की जरूरत नहीं रही ? मतलब तो यही है न, इनके बेचने से उन्हें काफी मुनाफा नहीं—इसलिये इन चीजों की बाजार में जरूरत नहीं। दुनिया मरती है तो उनकी बला से ! और

भैया; ऐसे ही लोगों के हाथ ताकत है। सरकार भी उन्हीं के हाथ में है। यह लोग मालिक हैं और सरकार मालिकों की मलका। नहीं तो इस कहर के जमाने में, आज भी जिन लोगों के यहां खतियां भरी हैं उन्हें कोई पूछने वाला क्यों नहीं? मैं पूछता हूं, क्या इस खत्ती को वे अपने पेट में डाल लेंगे? पर उपाय हो तो क्या? उपाय की जरूरत है गरीबों को।

जो भी अपने दुख का उपाय करना चाहता है, गरीब नहीं रहने का ही यत्न करता है पर गरीब तो दुनियां में रहेंगे ही यानि जब तक लोगों की मेहनत छीन कर अमीर बनना जायज रहेगा, ऐसा करने का साधन रहेगा, तब तक अधिक लोगों को गरीब ही बनना पड़गा। फिर मजा यह है कि लोग अमीरों की इस चोरी को भगवान की इच्छा और न्याय कहते हैं।

भगवान ताकतवर है, मालिक है इसलिये वे तो मालिकों की सी कहेंगे ही। गरीब को भी एक भगवान ढूंढना होगा। वह कहां मिलेगा? शायद अपने जैसे दूसरे गरीबों में ही। उसकी ही सहायता पर वह भरोसा कर सकता है।



नया वर्ष

नया वर्ष आ गया। उसके लिये एक उत्साह भी दिखाई देता है परन्तु जब गत वर्ष जा रहा था मन में विचार उठता था, यदि वर्ष बना रहे तो अच्छा हो। बीते वर्ष के साथ सुख-दुख के कितने ही सम्बन्ध जुड़ गये थे, उससे एक सम्पर्क और मोह हो गया था पर वह वर्ष बीतता कैसे नहीं? एक के बाद एक जब हज़ारों, लाखों, करोड़ों वर्ष बीत गये तो वह वर्ष कैसे टिका रह सकता था? क्षोभ का एक सांस लिया और तर्क ने सुझाया, समय कभी स्थिर नहीं रह सकता, गति ही धर्म है, गति ही जीवन है।

मनुष्य को परम्परागत अनुभव से कितनी ही बातें जानने को मिलती हैं। मनुष्य-समाज के इन संचित अनुभवों की अनेक पीढ़ियों की स्मृति और इनसे निकाले गये परिणाम ही मनुष्य-समाज का ज्ञान है। जीवन की भांति मनुष्य के ज्ञान का कलेवर समाज का साहित्य है। यदि मनुष्य के जीवन और उसके ज्ञान का गुण गति और विकास है तो उसका साहित्य भी इस धर्म और लक्षण से मुक्त नहीं हो सकता। समाज अपनी अवस्था और उद्देश्य के प्रति जितना और चिन्ताशील होगा, उसी मात्रा और अनुपात से उसके साहित्य में गति और विकास की अनुभूति प्रकट होगी।

हमारे साहित्य (हिन्दी-उर्दू) में आज प्रगति की पुकार सुनाई देती है, उसका विरोध भी है। प्रगति के विरोध का विचार कुछ

अप्राकृतिक सी बात जान पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे गत वर्ष विदाई के क्षणों में इच्छा हुई थी—यही बना रहे तो अच्छा हो—या कोई बालक चाहे कि समय की गति रुक जाये। गति समय का धर्म है तो समय से बना जीवन कैसे गतिहीन हो सकता है? क्या समय और जीवन को अलग किया जा सकता है? उदाहरण से यों समझिये, नदी का गुण है कि उसमें सदा प्रवाह रहता है। जो नाव नदी की धारा में है उसे बहना ही पड़ेगा।

यह उपमा पूर्ण नहीं क्योंकि नाव प्रायः बहाव से हट कर खड़ी भी रहती है। काश्मीर में तो लोग नाव घर (House Boat) में घर बना कर रहते हैं। ठीक है परन्तु नाव को स्थिर रखने के लिये उसे प्रवाह से हटाकर या तो किनारे लगा लेना होता है या उसे किसी तालाब या पोखर में रखना पड़ता है। समय की नदी और जीवन की नाव की इस उपमा के साथ दूसरा प्रश्न भी जुड़ा है? क्या हम अपने जीवन की नाव को स्थिर कर देना चाहते हैं? क्या हम जीवन के उद्देश्य की मंजिल पर पहुंच गये हैं? क्या हम समय को भी स्थिर जल के तालाब की भांति समझ सकते हैं? यदि समय गतिहीन तालाब नहीं और यदि हम जीवन की पूर्णता की मंजिल पर पहुंच नहीं गये तो परिवर्तन के प्रभाव से हटकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की नाव को किनारे कैसे लगा दिया जा सकता है!

जीवन में गति का मोह ही लक्ष्य है। यदि जीवन में केवल गति ही लक्ष्य हो तो आंखें मूंद कर जीवन की नाव को समय के तेज प्रवाह में छोड़ देने की वृत्ति होनी चाहिये। मनुष्य ने ऐसा कभी नहीं किया और करेगा भी नहीं क्योंकि वह चिन्ताशील है। चिन्ताशीलता और विचार में ही उसका मनुष्यत्व है। चिन्ताशील और विचारपूर्ण भाव से उद्योग के पतवार चला कर जीवन के विकास की ओर जाना ही मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयत्नों का लक्ष्य और उद्देश्य है और समाज की चिन्ता और विचार की प्रतिक्रिया का स्थूल और संचित रूप ही साहित्य

है। समाज के साहित्य में यदि गति और प्रगति का संकेत लक्षित न हो तो यह हमारी व्यक्तिगत और सामाजिक जड़ता का प्रमाण होगा।

यदि हम अंध गति में विश्वास नहीं रखते, यदि मनुष्यता के नाते हमें समय के प्रवाह में जीवन नौका की गति-विधि को विचार और चेतना से निश्चय करना है तो आज के युग में अपनी नाव में विज्ञान की मोटर लगा कर हम प्रवाह के विरुद्ध जाने का भी निश्चय कर सकते हैं। नदी के प्रवाह की दिशा से अधिक महत्वपूर्ण हमारे लिये हो जाता है, हमारा इष्ट और लक्ष्य ! यदि हम अपनी मंजिल की बन्दरगाह लांघ कर प्रवाह के साथ बहते हुये गंगा सागर या सिन्ध की खाड़ी में गिरने जा रहे हैं तो कोई बजह नहीं कि लौटने का यत्न न किया जाय !

इसी तर्क के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारे समाज में साहित्य की आधुनिक प्रगति के विरोध की प्रवृत्ति जड़ता नहीं बल्कि पीछे लौट चलने की सचेत भावना है। हमारे सामाजिक जीवन की उस मंजिल की ओर लौट चलने की भावना है जिसमें रम्य नदी तटों पर ऋषि आश्रमों में तपस्विनी बालायें हिरणों के साथ किल्लोल किया करती थीं और तपोधनी महाज्ञानी यज्ञ से उठते पुनीत धुएँ से सुवासित वातावरण में 'अगम' को जानने के लिये समाधि लगाये रहते थे। जिस समय चार घोड़ों से खींचे जाते स्वर्ण रथ पर सवार महाराज कामिनी को अंक में लिये मृग का शिकार करते थे और ज्ञानधनी ऋषियों को स्वर्ण से मढ़े सींगों वाली हज़ार-हज़ार गौओं और दास-दासियों का दान देते थे, तब हमारे पूर्वजों के धनुष की टंकार से दिशायें गूँज उठती थीं।

जिस मंजिल से हम गुज़र आये हैं, साहित्य के पद पर उसका यह चित्र अत्यन्त सुहावना जान पड़ता है। चित्र की झलक और वास्तविकताओं में कुछ अन्तर होता है। सिनेमा के पर्दे पर सूर्य की किरणों में नाचती तालाब की लहरियाँ, किनारे पर फुदकते पक्षी और भ्रमर सब अत्यन्त सुन्दर जान पड़ते हैं परन्तु किनारे का वह दलदल जिस में

फंस कर निकलना दुश्कर हो जाता है, दल-दल में छिपी जोंकें और तड़पा देने वाले मच्छरों के डंक चित्र में दिखाई नहीं देते। और फिर लौट आये तो पालकी उठाकर चलते थे? और यदि वह स्वर्णयुग आज फिर लौट आये तो पालकी हमारे कंधों पर होगी या हम पालकी पर होंगे। पालकी आरूढ़ हो सकने की सम्भावना और पालकी ढोने की आशंका दोनों में से कोई भी हमें स्वीकार नहीं क्योंकि मनुष्यों में मनुष्य बन कर रहना ही हमारी महत्वाकांक्षा है। वह कौन मनुष्य है जो शेष मनुष्यों से कुछ अधिक बन जाना या मनुष्य से कुछ नीचे रह जाना चाहेगा? कितना ही सुहावना चित्र हमारे सम्मुख उस बीती मंजिल का आप पेश करें परन्तु मनुष्य की नस्ल में ही भोक्ता और भोग्य का अन्तर हमें स्वीकार नहीं।

और यदि कहो कि वर्तमान युग की सभी सुविधाओं को लेकर प्राचीन की भावना का पोषण किया जाय तो वह सम्भव नहीं दीखता। मनुष्य का जीवन उसके साधनों का परिणाम है और उसकी अनुभूति, भावनाएं और विचार उसके जीवन के क्रम से पृथक नहीं हो सकते। मनुष्य के साधनों और मनुष्य की मनुष्यता में अन्योन्याश्रय (अण्डे से मुर्गी और मुर्गी से अण्डे) का सम्बन्ध है। विचार की उसकी शक्ति उसे साधन उत्पन्न करने और साधनों का विकास करने की क्षमता देती है और उसके विकसित साधन उसे अधिक विचार कर सकने की, उचित-अनुचित और न्याय-अन्याय के विवेचन का अवसर देती है।

मनुष्यत्व है क्या? शास्त्र कहता है—‘धर्मोहितेषां अधिको विशेषो’—मनुष्यत्व धर्म में है। पशु में धर्म नहीं होता परन्तु वह ‘धर्म’ क्या है? हमें मनुष्य और पशु में केवल एक ही भेद दिखाई देता है और वह है साधन-सम्पन्न और साधनहीन होने का। यह साधन ही ‘धर्म’ है। इस धर्म (साधन) के बल से ही मनुष्य प्रकृति में आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र और कर्मयोगी का अधिकारी है क्योंकि मनुष्य प्रकृति में अपने जीवन के लिये आवश्यक पदार्थ और परिस्थितियां स्वयं उत्पन्न कर सकता है—पशु ऐसा

नहीं कर सकता। मनुष्य के साधनों का विकास ही उसके मनुष्यत्व का विकास है। विकास की इस मंजिल से पीछे हटने के लिये हम तैयार नहीं, कौन मनुष्य है जो तैयार होगा ?

यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी सामाजिक स्थिति की वर्तमान मंजिल में सभी कुछ सत्यम्-शिवम्-सुन्दरम् (सुन्दर और संतोषजनक) है। ऐसा नहीं है इसीलिये मनुष्य-समाज की विकासोन्मुख प्रवृत्ति मौजूदा समाज में अव्यवस्था के रूप में बन गये बन्धनों को दूर कर प्रगति और नयी व्यवस्था की मांग कर रही है।

जिस व्यवस्था को अपना कर हम अपना पोषण और विकास करते रहते हैं उसके प्रति अनुराग स्वाभाविक है। यह बात स्थूल पदार्थों के लिये ही नहीं, भावना और संस्कारों के लिये भी सत्य है परन्तु चिड़िया का बच्चा फुदक सके और उड़ सके इसके लिये आवश्यक है कि उसकी रक्षा करने वाले अण्डे का छिलका टूट जाय। जिस झिल्ली में लिपटा रह कर शिशु गर्भ में रक्षा पाता है और जिस नाड़ से वह गर्भ में पोषित होता है, जन्म के पश्चात् उस झिल्ली और नाड़ का मोह छोड़ना ही पड़ता है। जिस पौष्टिक पकवान से शरीर ने रस ग्रहण कर लिया है उसका उपयोग मेदे में हो जाने के बाद उससे निवृत्ति लेनी ही पड़ती है। फिर हमारे समाज के विकास में समय विशेष और समाज की अवस्था विशेष में अपनाई नीति और संस्कृति के लिये इस नियम की उपेक्षा कैसे की जा सकती है ? उसमें परिवर्तन करना ही होगा।

मनुष्य-समाज की भावना, अनुमति और संस्कृति के समुच्चय साहित्य के विषय में विकास, परिवर्तन और प्रगति का यह नियम अपना कैसे हो सकता है ? साहित्य के विषय में यह नियम इतिहास के किस युग में अपवाद बन पाया था जो आज ऐसा हो सके ? वेदों के उद्गायक अग्नि वायु, आदित्य और अंगिरा से लेकर प्रेमचन्द तक किस साहित्यिक ने समय से प्रभावित होकर स्वयं को प्रभावित करने का यत्न नहीं किया। यदि व्यास और कालिदास, कालिदास और चन्दवरदाई, तुलसी और

भारतेन्दु और फिर प्रेमचन्द की भाषा, समस्या और पात्रों में परिवर्तन है तो आज का साहित्यिक क्या करे ?

बदलते वर्ष के साथ वह समय की उपेक्षा कैसे करे ? न करने पर भी पुराना वर्ष जायगा ही और नया आयेगा ही—नया समय, नयापन लेकर...।



समाज के शत्रु

कल्लू आठ बरस से जेल की सजा काट रहा है। जिस दिन उसे अदालत ने आठ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया था, उसका हृदय विद्रोह की अग्नि से जल उठा। अपनी कल्पना में मन में, और मुख से गालियाँ दे अपमान की जितनी चोट वह अदालत को पहुंचा सकता था उसने प्रतिहिंसा में पहुंचाई और फिर विवश हो, जेल की दुष्पाच्य दाल-रोटी को, चोरी से पाई चूना मिली पत्ती की तम्बाकू की फांकी से हज़म करता हुआ सज़ा के दिन पूरे करने लगा।

जेल में सजा की मशक्कत वह उतनी ही करता है जितनी के लिये लाचार है। कल्पना में वह सोचता है, जब वह इस बार जेल से छूटकर जायगा इस ढंग से चलेगा कि फिर पकड़ा न जाय। इस दफे भी वह केवल पुलिस की बेईमानी और अदालत के पक्षपात के कारण सजा पा गया। उसके विरुद्ध सुबूत नहीं था।

उसके सम्मुख यह प्रश्न नहीं कि उसने क्या किया? पहले एक बार उसे चोरी के अपराध में सजा मिली थी। पुलिस ने दूसरी बार फिर उसका चालान चोरी के अपराध में कर दिया और अदालत ने उसे चोरी का अभ्यस्त अपराधी समझ कर दण्ड दिया। चोरी के इलज़ाम को कल्लू स्वीकार नहीं करता परन्तु अपने मन में वह जानता है कि अपने गांव के रामाधर अहीर का बैल रात में खोल कर वह दूसरी तहसील में बेचने के लिये ले जा रहा था। जब उसने पुलिस के संदेह की आशंका देखी वह

बैल को छोड़ सरक गया परन्तु फिर भी पुलिस ने उसका और लावारिस बैल का सम्बन्ध जोड़ कर चोरी के अपराध में उसका चालान कर दिया ।

अहीर का बैल खोल कर वह इसलिये नहीं ले गया कि उसे अहीर से द्वेष था और वह अहीर को हानि पहुंचाना चाहता था । माघशीर्ष का महीना लग गया था । उसके यहां पिछली फसल में जो कुछ हुआ था वह चुकने को आ गया और चिल्ला जाड़ा पड़ने से पूर्ब रजाई की आवश्यकता थी । इन चीजों की जरूरत किसे नहीं होती ? सभी को होती है और अपने-अपने रिजक के ढंग से सभी इन चीजों को कमाते या पाते हैं ।

गांव के जमींदार राजा आदमी हैं । उनके यहां भगवान का दिया सब कुछ है । चार गांव जमीन है । किसान जोतते हैं और अपनी पैदावार से उन का लगान देते हैं । कल्लू आठ बीघे जोतता है और जमींदार के खजाने में आठ रुपया फसल के जमा करता है । हजारों रुपया जमा होता है । उनके यहां रुपया बहता है । जहां रुपया है, वहां सब कुछ है ।

बन्दे साह फसल पर गांव से गल्ला खरीद शहर ले जाते हैं । शहर से कपड़ा, नमक, तेल, गुड़ लाकर गांव में बेचते हैं । इस हेरा-फेरी में उन्होंने पक्की हवेली खड़ी कर ली है ।

थानेदार साहब घोड़े पर गांव-गांव फिरते हैं । उन्हें सरकार तनखाह देती है और फिर जब कोई कुछ कर बैठता है या किसी तरह का काम पड़ जाता तो उन्हें खुश करना ही पड़ता है । वकील साहब भी जब किसी का मामला अदालत में लाते हैं, रुपया पाते हैं और रुपये से सब काम चलता है । किसी चीज की कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, केवल रुपया चाहिये ।

कल्लू को भी अहीर के बैल की जरूरत नहीं थी । वह बैल रुपया बनाने के लिये ही ले जा रहा था । रुपया चाहिये था उन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिये जिन्हें सब पूरा करते हैं । जैसे दूसरे लोगों के रुपया पा सकने के अपने-अपने ढंग हैं, वैसे ही कल्लू का भी एक ढंग है । राम

रतन की बछिया खोलकर वह अहमदपुर ले जा दस रुपये में दे आया । मिर्जा की बकरी वह छः रुपये में बेच आया । उसकी जरूरतें पूरी हुई हैं । पिछली बार मेले में बजाज के यहां से घोती जोड़ा उठाने में फंस गया था, वैसे ही अब की बेल के मामले में फंस गया ।

दूसरे लोगों को अपनी जरूरत पूरी करने पर पुलिस कुछ नहीं कहती, कल्लू बेचारे को पकड़ लेती है । उस पर चोरी का इलजाम लगाकर चालान कर दिया जाता है । कल्लू कहता है—यदि सुबूत से वह चोर साबित हो जाय तो बेशक उसका सिर मार दिया जाय । अगर सुबूत न हो तो उसे सजा देना जुल्म है । उसका अभिप्राय है, सुबूत में फंसे बिना यदि वह अपना काम बना ले तो किसी का क्या ? यह दांव है । यदि उसका दांव पट्ट पड़ जाय तो दूसरी बात है ।

कल्लू दार्शनिक नहीं, नीतिज्ञ नहीं, वह मौलिकता का दावा भी नहीं कर सकता । वह संसार में जो कुछ अपने चारों देखता है उसे अपनी समझ के अनुसार समझता है । उसे संसार में सब ओर दांव-ही दांव दिखाई देता है । दांव का पट्ट और चित्त पड़ना भाग्य की बात है । जमींदार राजा चार गांव के मालिक बाप के घर पैदा हुये । यह भाग्य का दांव नहीं तो क्या है ? और फिर नये काश्तकार आ जाने पर बेजमीन का लगान बढ़ा पाते हैं, यह दांव की बात नहीं तो क्या है ? जिसे जमीन की जरूरत है वह झक मार कर उन्हें मुंह मांगा लगान देगा ।

बन्दे साह तेरह रुपया मन भरता है और जब अपना अनाज समाप्त हो जाने पर कल्लू लाला को स्वयं ही बेचा अनाज उधार खरीदने जाता है तो लाला २३) मन के हिसाब से अंगूठा लगवा लेता है । यह दांव है कि नहीं ? जब वह या उस जैसा दूसरा कोई अदालत में फंस जाता है तब वकील बाबू रुपये गिनवाये बिना जज के सामने नहीं जाते और जब गोड़ में फावड़ा लग गया था, लुटिया बेचकर डाक्टर बाबू के सामने दो रुपया रखे बिना उन्होंने दवाई देने से इनकार कर दिया था, वह दांव था या नहीं ?

अब वह सेन्ट्रल जेल में बन्द है। सरकार ने लोहे और पक्की ईंटों की तीस लाख रुपये की इमारत उसे और उस जैसों को बन्द रखने के लिये ही बनवाई है। वह ताले में बन्द रहता है। उसकी पिंजरानुमा बारिक के बाहर ऊंची दीवार है। दीवार के अन्दर पहरा है, दीवार के बाहर पहरा है। मतलब यह है कि वह भाग न जाय अर्थात् उसका दांव लगने देने का पूरा प्रबन्ध कर लिया है। सरकार स्वीकार करती है, एलान करती है कि उसकी और सरकार की दांव की लड़ाई है। ...ऐसी अवस्था में यदि उसका दांव लग जाय ?

परन्तु उसका दांव लग जाने पर वह और दण्ड पायेगा। सरकार का दांव बरसों, उसकी आयु भर सफल होता रहने से वह प्रशंसा की पात्र है। इसे कल्लू अपना भाग्य और निर्बलता के अतिरिक्त और क्या समझ सकता है ?

जेल से बाहर पुलिस थी। पुलिस डण्डा, गोली बन्दूक और हथकड़ी ले तैयार थी कि कल्लू या कल्लू जैसे दूसरे आदमी दांव लगाने का यत्न करें तो दबोच लिये जाय। पुलिस का यों तैनात रहना इस बात का प्रमाण है कि इस प्रकार के आतताइयों से देश भरा है। निस्सन्देह ऐसे आततायी सैकड़ों नहीं हजारों हैं। उनकी संख्या लाखों तक पहुंच सकती है। दांव लगाकर समाज के शरीर को नोच खाने के लिये चोट करने वालों को समाज का शत्रु नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ?

समाज का शत्रु कौन है ? जो समाज को हानि पहुंचाये। समाज को कष्ट दे। समाज की हानि और लाभ क्या है ? यह बात हानि-लाभ का निर्णय करने वाली शक्ति के विचार और अपने हित पर निर्भर है। बन्दे साहू जिस प्रकार हुबेलियां खड़ी करते रहे उस ढंग को, इस महायुद्ध से पूर्व इस देश की शासन-शक्ति ने कभी बुरा नहीं बताया। व्यापारिक कौशल इसी बात में रहा कि सस्ता से सस्ता खरीद कर महंगे से महंगा बेचा जाय। आज युद्ध-काल में जब इस ढंग का परिणाम चरम सीमा पर पहुंच गया तो समाज, देश और सरकार के प्रति अभ्याय जंचने लगा।

समाज के हानि-लाभ का विचार छोड़ यदि केवल नैतिक दृष्टि से देखा जाय तो कल्लू के काम और बन्दे साह, वकील साहब, डाक्टर साहब के ढंग में कुछ अन्तर नहीं दिखाई देता। प्रत्येक अपनी आवश्यकतायें पूर्ण करने के लिये रुपये के रूप में साधन बटोरता है। उसके प्रकट उपाय भिन्न-भिन्न हैं या इन उपायों की स्वीकृति में अन्तर है। कोई व्यापारी, वकील, डाक्टर अपना पेशा जन-हित के लिये नहीं करता। यह सब अनेक प्रकार के दांव हैं, जिससे परिस्थिति विशेष में दूसरों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिये विवश किया जा सकता है। कल्लू और उस जैसे का उपाय हमारे वर्तमान समाज में व्यवस्था की दृष्टि से हेय समझा जाता है।

हमारे समाज में कल्लू और उन जैसे का दांव हेय समझा जाने पर भी वह सभी जगह सदा से हेय रहा हो सो बात नहीं। अफरीदियों के इलाके में लूट और डकैती आज भी जायज पेशा वैसे ही है जैसे कि हमारे समाज में मरणासन्न रोगी के सम्बन्धी से फ्रीस पाये बिना इलाज करने से इनकार कर देना या सर्दी से मरते व्यक्ति को बिना दाम पाये कपड़ा देने से इनकार कर देना है।

व्यक्तिगत उद्देश्य से जब हम कल्लू और उस जैसे समाज के इन शत्रुओं और समाज के सम्मानित पेशेवर लोगों में अन्तर नहीं पाते तो समाज के इन शत्रुओं का दुर्भाग्य केवल उनके दांव की कमजोरी में ही दिखाई देता है।

प्रश्न है कि लोगों की सामाजिक शत्रुता का कारण क्या है? समाज को हानि और कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से ही वे जोखिम झेलने जाते हों सो बात नहीं। यथार्थ है कि वे जीवन की उन सब सुविधाओं और अवसरों के लिये, जिनके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते बेढंगे प्रयत्न करते हैं। जीवन की इन आवश्यकताओं और अवसरों के बिना उनका जीवित न रह सकना उनका अपराध नहीं समझा जा सकता। उनका अपराध है बेढंगे उपायों का अवलम्बन और इन उपायों के अवलम्बन का कारण है—उनकी उपायहीनता या समाज का शत्रु बनने के

लिये उनकी मजबूरी ।

समाज के इन शत्रुओं के अपने जीवन की रक्षा के उपाय यदि समाज को ठेस पहुंचाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि समाज-रूपी रेलगाड़ी के डिब्बों में, जीवन निर्वाह के उपायों के रूप में बैठने का स्थान कम है । पहले आकर जिन लोगों ने बैठने का स्थान पा लिया है, समाज के शत्रु स्थान न होने पर भी गाड़ी में घुस उन्हें ठेलते और कष्ट पहुंचाते हैं । इस उपमा को नैतिक और दार्शनिक भाषा में कहा जाता है जीवन संघर्ष है—जीवन है संग्राम बन्दे, जीवन है संग्राम !

यदि जीवन संग्राम और संघर्ष ही है तो फिर जितना अधिकार हमें अपने लिये स्थान घेरने का, प्रयत्न करने का है उतना ही कल्लू और उस जैसे व्यक्तियों को है । हम उन्हें समाज का शत्रु कहते हैं । उनमें संस्कारों का इतना गर्व नहीं कि स्थान रिजर्व रखने वालों को समाज का शत्रु कह सकें । वे अपने आपको पीड़ित और आभागा कह कर केवल दांव लगाने का अधिकार मांगते हैं ।

समाज के सुखी और सम्पन्न अंश को समाज का हित-चिन्तक और समाज के साधनहीन अंश को समाज का शत्रु मान लेना हमारे समाज की आज दिन स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार तो ठीक है परन्तु इस व्यवस्था को प्राकृतिक नियमों के अनुसार सर्वकाल के लिये सत्य नहीं माना जा सकता ।

युद्धकाल के अनुभव के बाद सरकार ने गल्ले, दूध तथा जीवन के लिये दूसरी नितान्त उपयोगी वस्तुओं के व्यापार या वितरण को व्यवसायी के निर्णय पर, उसके मुनाफे की कसौटी पर क्यों नहीं चलने दिया ? इसलिये कि आज दिन की कठिन परिस्थिति में उस व्यवस्था की असंगति स्पष्ट हो गई । यह व्यवस्था मनुष्य-समाज की रक्षा का मार्ग नहीं उसके विनाश का मार्ग जान पड़ने लगी । उसी मार्ग (मुनाफा खोरी) पर अड़े रहने वालों को समाज का शत्रु करार दिया गया । हमें यह स्वीकार करना पड़ा कि व्यवस्था का उद्देश्य समाज की रक्षा या सर्व जन की रक्षा है ।

कल्लू जैसे और समाज के शत्रु कहलाने वाले प्राकृतिक रूप से मनुष्य समाज के शत्रु सांप, बिच्छू, प्लेग और हैजे के कीड़ों की भांति नहीं हैं। वे समाज के शत्रु उसी रूप में हैं जिस रूप में सस्ते मूल्य पर खरीद करने की इच्छा रखने वाला ग्राहक महंगा बेचने की इच्छा रखने वाले व्यापारी का शत्रु है या स्टेशन पर बहुत भीड़ की अवस्था में स्थान के लिये परस्पर झगड़ने वाले मुसाफिर। इस शत्रुता का कारण केवल आत्म-रक्षा और परस्पर हितों के विरोध की भावना है।

समाज में इस प्रकार प्रकट होने वाले विरोधों का उपाय हम समाज की चादर में सुघारों की छोटी-मोटी चिन्दियां लगाकर करना चाहते हैं। कारण यह कि हमारा दृष्टिकोण अब भी संस्कारों और श्रेणियों के अधिकार और हित के विचार से प्रभावित है। यदि हम मानवता के आधार पर कुछ तर्क करें तो व्यवस्था का केवल एक आधार दीखता है—सब मनुष्यों को अपने श्रम का पूरा फल पाने का अधिकार और अवसर हो। केवल इसी आधार पर समाज के सब लोग परस्पर मित्र हो सकते हैं।



चोरी मत कर

उपनिषद् में लिखा है—‘मागृधः कस्य स्विद्धनम्—किसी का धन लेने का यत्न मत करो। इतनी अमूल्य बात हमारे ऋषि हमें उत्तराधिकार में दे गये, इस बात का हमें अभिमान है। यह बात सोचकर अभिमान से मेरा सिर ऊंचा हो गया पर उसी समय खयाल आया उन नुक्ताचीनी करने वाले लोगों का जो हर बात में पख निकाल सकते हैं।

जानते हो वे क्या कहेंगे ? वे कहेंगे ऐसी अमूल्य बात तो दुनिया भर के सभी धर्म-ग्रन्थों में लिखी मिलेगी और यदि कल्लू धुनहे और जगन मोची भी—जिनके वंश में जहां तक इतिहास की पहुंच है कभी किसी ने काला अक्षर नहीं पढ़ा—इस बारे में यही राय देंगे।

किसी के धन को यदि कोई न ले तो इस संसार के सब संकट दूर हो जायें। संसार से झगड़े-झंझट दूर हो जायें। कचहरी, हाईकोर्ट, पुलिस, जेल न रहें और फौजें न रहें। राष्ट्रों को जंगी जहाज और बड़ी-बड़ी तोपें न बनानी पड़ें और शायद दुनिया के तीन चौथाई कामों की जरूरत नहीं होगी।

किसी के धन को कोई न ले ! संसार की शांति के इस सूक्ष्म और महामंत्र को कौन नहीं जानता ? संसार के प्रकाण्ड महा विद्वानों से लेकर मूढ़ नर तक सब इस सत्य को जानते हैं परन्तु उनका यह सत्य-ज्ञान व्यर्थ है। संसार अब छीना-झपटी और मार-काट में तबाह हो रहा है।

सूर्योदय की प्रथम लाली क्षितिज पर प्रकट हो रही थी और उस ओर देखकर मैं यह सोच रहा था कि सूर्य की किरणों के पृथ्वी पर फैलते ही सब ओर दूसरे के धन को हड़प लेने का कारोबार शुरू हो जायगा। पक्षी उठेंगे और वृक्षों के धन फलों पर टूट पड़ेंगे। मधुमक्खियां जागेंगी और फूलों के धन मधु पर धावा बोल देंगी। पशु घास के शरीर पर दांत मारेंगे और हिंसक पशुओं का तो कहना ही क्या ? लाला जी दूकान को बुहार कर ग्राहक की जेब में पड़े पैसों की प्रतीक्षा करेंगे। मजदूर मालिक की तिजोरी में पड़े पैसे को हथियाने के लिये उसकी इच्छा के मुताबिक मेहनत करने को तैयार होगा और मालिक मजदूर के शरीर की शक्ति को निचोड़कर, रुपये की शकल में बटोरने के लिये उसे मजदूरी के प्रलोभन में फंसाने की कोशिश करेगा। दुनिया में ऐसा कौन है जो केवल शौक से या दूसरों का भला करने के लिये ही सुबह उठकर अपनी हड्डियां घिसने को तैयार होगा ? कोई नहीं, कोई नहीं ! सब डाकू हैं, सब चोर हैं, सब ठग हैं। यह दुनिया स्पर्धा, लूट, चोरी और अन्याय से भरी है। क्या यह रहने लायक जगह है ? भगवान बुद्ध ने संसार में यह अन्याय देखा और उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने इस अन्याय को दूर करने के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया परन्तु क्या संसार के इस अन्याय में रत्ती भर कमी हुई ? वह तो वैसे ही चला जा रहा है इसलिये मैं वैराग्य लेना भी व्यर्थ ही समझता हूं परन्तु अन्याय—अर्थात् दूसरे के धन को कोई छीन ले यह कैसे गवारा किया जा सकता है।

नीम की हरी-हरी टहनी को देखकर दातून तोड़ लेने के लिये मन में लालच उठा और दातून तोड़ ली। तब खयाल आया कि यह भी तो पाप था। वृक्ष के शरीर का अंग तोड़ कर उसे दांतों में कुचलना। डा० बोस का कहना है कि वृक्षों में भी प्राण हैं, संज्ञा है फिर क्या यह पाप नहीं परन्तु शास्त्रों का मत है कि सम्पूर्ण संसार की सृष्टि मनुष्य के उपयोग के लिये है। इस सिद्धान्त को माने बिना मनुष्य का जीवित

रहना सम्भव नहीं इसलिये मैं भी इसे मानता हूँ और जो इसे नहीं मानता उसे मैं सभी विद्वानों की तरह मूर्ख मानता हूँ ।

वृक्ष, शाक, पात, फल विज्ञान ने इन सब में जीव सिद्ध कर दिया तो क्या ? हम यह जानते हैं कि इनकी संज्ञा और जीवन-शक्ति इतनी कम है कि वे हमारे उपयोग के सिवाय और किसी काम के नहीं । ठीक है, हमारे मुहल्ले के लाला जी का भी यही खयाल है कि शहर के मजदूर और गांव के किसान इतने निचले दर्जे के आदमी होते हैं कि जमींदारों और दूसरे बड़े आदमियों के उपयोग में आने के सिवा संसार में उनके अस्तित्व की कोई सार्थकता नहीं । यह लोग पशुओं और वनस्पति के समान ही ऊंचे दर्जे के मनुष्यों के उपयोग के लिये ही संसार में पैदा हुये हैं । लालाजी ने सफलता का पाठ अनुभव की पाठ्य पुस्तक से पढ़ा है; वे धोखा नहीं खा सकते ।

इतिहास भी तो यही बताता है । एक बहुत ऊंचे दर्जे का आदमी था राम और दूसरा रावण । उनके उपयोग के लिये लाखों आदमी निछावर हो गये । ऐसे ही कौरव-पांडव थे । सिकन्दर, चन्द्रगुप्त, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज, महमूद, बाबर, अकबर, नैपोलियन—सब इसी तरह के ऊंचे दर्जे के आदमी थे, जिन के उपयोग के लिये हमारे-तुम्हारे जैसे साधारण आदमी काम आये । हिटलर, मुसोलिनी और चेम्बरलेन भी उसी दर्जे के आदमी थे । उनसे नीचे दर्जे के आदमी हैं हमारे लालाजी, हमारे मिल के साहब और दूसरे बड़े कहे जाने वाले आदमी जमींदार या ताल्लुकेदार । इसके बाद हमारी गिनती है । हम त्रिशंकु की श्रेणी के आदमी हैं । बड़े आदमी हमें अपने उपयोग की चीज समझते हैं, छोटी श्रेणी के आदमियों को हम अपने उपयोग की चीज समझते हैं । छोटी श्रेणी के आदमी गाय, बैल, घोड़े, गदहे को अपने उपयोग की चीज समझते हैं । और यह जानवर ? क्या यही अन्तिम चीज हैं ? नहीं, यह वनस्पति-घास को अपने उपयोग की चीज समझते हैं । यह वनस्पति, वायु और मिट्टी में शामिल अणुओं, परमाणुओं को अपने उपयोग की चीज समझते होंगे और उसके

आगे मुझे कुछ मालूम नहीं। ऊपर की ओर परमात्मा से परे मेरी कल्पना नहीं पहुँचती और नीचे की ओर वायु और मिट्टी के अणुओं और परमाणुओं से परे हमारा साधारण विज्ञान नहीं पहुँचता। ऊपर से नीचे तक जहाँ भी देखता हूँ, शक्ति का अधिकार हमें अपने से कम शक्तिशाली को, अपने से कम ताकत के प्राणी या चीज को अपने उपयोग की चीज समझने का अधिकार दे देता है।

प्रभात की लाली और शहर के बाहर के एकान्त में बेमतलब खयाल आ जाने से समय का ध्यान नहीं रहता। अचानक ध्यान आया, रात पड़ोस में किसी के घर में पुत्र जन्म हुआ है, उसके यहाँ बधाई देने जाना है।

पुत्र-जन्म पर बधाई दी जाती है और पुत्र प्राप्त करने वाले जलसा करते हैं। कितनी बेवकूफ है दुनिया ?

अगर मैं अपना यह खयाल सब को सुनाऊँ तो लोग उलटे मुझे ही बेवकूफ बनाने लगेंगे परन्तु मैं यह सोचता हूँ कि इस दुनिया में जो कुछ भी है, जितने पदार्थ या सम्पत्ति हैं, उसके तो मालिक मौजूद हैं फिर ये जो नये पैदा होने दाले छलांगे मारते चले आते हैं, यह क्या करेंगे ? इनके पैदा होने के समय भगवान खेती के लायक ज़मीन और दूसरे उत्पत्ति के साधन उनके साथ एक बण्डल में बांधकर क्यों नहीं भेज देते ? यह लोग अगर मौजूद मनुष्य-संख्या की मिलिकयत में छीना-झपटी नहीं करेंगे तो गुजारा कहाँ से करेंगे ?

यह मैं मानना हूँ कि दुनिया में अगर आदमी पैदा होते हैं तो मरते भी हैं परन्तु मनुष्य-समाज के दुर्भाग्य से जितने आदमी मर कर जगह खाली कर के जाते हैं उससे कहीं अधिक बढ़े चले आते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, पैदा सब करना चाहते हैं, तभी तो संसार की मनुष्य-संख्या बढ़ती चली जाती है और किसी दूसरे के धन को छीनने का सवाल सामने आये बिना नहीं रही रह सकता।

पैदा होते समय कोई साथ तमस्सुख या चेक लेकर नहीं आता। बाप

अपनी कमाई से ही पुत्र को धनवान बनाकर खुद इच्छा न रहने पर भी चला जाता है। पुत्र बाप की मिलिकयत का मालिक बन जाता है। यह न्याय सीधा है, इस न्याय से हम इसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि अमीर के घर में पैदा हुये बच्चों को मालिक और गुलाम के घर में पैदा होने वाले बच्चों को गुलाम बनना चाहिये और पैदा हो जाने के बाद की हालत में किसी किसम की रद्दोबदल हो जाना अन्याय है क्योंकि बिना किसी का धन लिये कोई अमीर हो नहीं सकता।

खैर, भगवान की इच्छा से जो सम्पन्न घर में पैदा हो गये उन्हें अमीर बने रहने का हक है, इस न्याय संगत बात को मान कर भी एक शंका मन में पैदा हुये बिना नहीं रहती और वह यह कि किसी का बाप क्यों कर अमीर हो गया ?

कोई एक वंश सृष्टि के आदि से अब तक मालिक नहीं रहा। राजा रामचन्द्र और सिकन्दर के खानदान उत्तराधिकारी होकर मालिक बनने वालों का ढूंढने पर भी कहीं पता नहीं लगता और जिन खानदानों के नाम इतिहास में मिलिकयत के नाते कहीं दर्ज नहीं, वे अब अन्नदाता और छत्रपति का खिताब लिये बैठ हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान ने कर्मों के फल से सृष्टि के आदि में ही मालिक और नौकर का दर्जा अलग-अलग कर दिया हो। हम उन्हें यहीं बनता-बिगड़ता देखते हैं। उनका यह बनना-बिगड़ना भी एक कायदे से होता है और वह अधिकार या कायदा है शक्ति, ताकत, बल ! इस शक्ति को ही भलेमानसों के समाज में न्याय का नाम दिया जाता है। इसके विपरीत कमजोरी, निर्बलता और असहाय होना अपराध है।

अब तो शायद लोग भूल ही गये हैं। आज अमेरिका शान्ति और न्याय की रक्षा के सबसे बड़े दावेदार हैं परन्तु पांच सौ वर्ष पूर्व (१४९८) अमेरिका का अस्तित्व ही न था। स्पेन से कुछ लोग उस भूमि पर गये और आदिम निवासियों को खदेड़ कर वहां बसे। आदिम निवासियों ने अपने घर की रक्षा करनी चाही परन्तु सभ्य योरुपियनों के शस्त्रों के

सामने मारे गये । यदि आज अमेरिका के आदिम निवासी अपने अधिकार की मांग करें, अपने देश का शासन स्वयं करना चाहें तो क्या होगा ? उन्हें तो योरुप से आकर बस जाने वालों के समान भी अधिकार और अवसर नहीं क्योंकि उनमें शक्ति नहीं ! उनकी मांग न्याय नहीं, विद्रोह मानी जायगी ।

तोप, तलवार, बन्दूक और हवाई जहाज न्याय के हथियार हैं और वे ही न्याय का रूप हैं इसीलिये हमारे बुजुर्ग हमेशा हरबा-हथियार से लैस रहते थे लेकिन सब लोगों का यों बन्दूक-तलवार लिये फिरना ठीक नहीं । इससे गड़बड़ होती है, हरदम आशंका बनी रहती है । शस्त्रों से बड़ी दूसरी एक और ताकत है और वह ताकत अलादीन के चिराग से बढ़ कर है, वह खुद अल्लाह का चिराग है रुपया ! इस रुपये से तोप-तलवार और बम-बाज्र हवाई जहाज आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे । आप मसनद पर बैठकर हुक्का सटकिये, आप के हुक्म से जहां आप चाहेंगे खून की नदियां बह जायंगी और हड्डियों के पहाड़ खड़े हो जायंगे । रुपया ही वह डोरी है जो तोप, बन्दूक और तलवार को चलाती है ।

शक्ति मनुष्य के हाथ-पैर में है या धातु के टुकड़ों—रुपये में ? यह समझने के लिये ज्ञान दृष्टि की जरूरत है । आप यह बताइये, धन रुपये की थैली में है या नोट, हुण्डी या चेक के कागज में ? धन तो असल में है, मनुष्य की मेहनत में ही परन्तु रुपया उस मेहनत का चेक या हुण्डी है । मनुष्य के परिश्रम को या शक्ति को रुपये के रूप में जो जितनी अधिक मात्रा में संचय कर लेता है वह उतना ही शक्तिशाली है, उतना ही अधिक न्याय का स्वामी है । ऐसे शक्तिशालियों की बात ही न्याय है ।

यह शक्तिशाली लोग, जो तरीका दूसरे के धन को हथियाने का न्यायपूर्ण स्वीकार कर लें वह न्याय और जिसे वह अन्याय कह दें वह अन्याय । उदाहरण के तौर पर किसी के घर में घुस कर उसकी कमाई उठा लाना चोरी और पाप है परन्तु किसी व्यक्ति से दिन भर मेहनत कराकर, उसे सवा रुपया देना चोरी नहीं, अन्याय नहीं ! किसान और

मजदूर को घर में बटोर कर किसान और मजदूर से ही उसके दाम मांगना न्याय है और जब किसान-मजदूर कहें कि मेरी मेहनत के फल को तुम सब का सब मत हड़प जाओ, कुछ तो मुझे भी दो तो वह शांति भंग करना है।

यह न्याय कैसा है, यह लाठी का ही न्याय नहीं तो क्या है ? मेरा विश्वास है, सेठों की कृपा से थाली भर खीर खाकर ही परम तपस्वी ऋषियों ने यह उपदेश दिया था—“मागूधः कस्य स्वद्वनम्”—चोरी मत कर ! और इसी न्याय की स्थापना राजा और उसकी सरकार करते चले आये हैं।

राजा ने और राजा की बिरादरी के अमीर आदमियों ने ऋषि और धर्मात्मा विद्वान लोगों से कहा—हमारे पास जो धन और शक्ति है वह हमारे ही हाथों में रहनी चाहिये, इसे हमसे छीनने का प्रयत्न कोई न करे। ऋषियों ने कहा—अन्नदाता यही तो न्याय है। इस न्याय को कायम करने के लिये एक बड़ी लाठी—सेना की शकल में तैयार की गई और यह लाठी न्यायालय और सरकार की मुट्ठी में थमा दी गयी।

सरकार और न्यायालय अमीरों, जमींदारों और पूंजीपतियों की मुट्ठी में हैं; यह बात कहना क्या उचित है ? बुजुर्ग और विद्वान सदा से हमें सिखाते, समझाते आये हैं कि न्याय और सरकार के सामने गरीब और अमीर सब एक हैं; बल्कि ताकतवर आदमियों से गरीब की रक्षा करने के लिये ही राजा और सरकार की स्थापना हुई है। मनुष्य हिंसक पशुओं की तरह छीना-झपटी और लूट-खसोट न करे इसलिये सरकार की स्थापना हुई। अगर यह बात ठीक है तो सवाल यह है कि छीना-झपटी और लूट-खसोट से डर किसे है ? क्या गरीब को ?

आम तौर पर कहा जायगा गरीब को पर गरीब से कोई क्या छीने-झपटेगा ? और निर्बल या कमजोर कोई व्यवस्था चलाना चाहेगा तो किस बिरते और ताकत पर उसे चला पायगा ? इसलिये यही समझ में जाता है कि गरीब को शासन, सरकार और व्यवस्था कायम करने की

न तो जरूरत थी और न उसके पास उनके साधन ही थे । अगर छीना-झपटी का किसी को डर था तो उसे, जिसके पास इतना धन एकत्र हो गया कि उसे लुटेरों का डर होने लगा और जिसके हाथ में सरकार और व्यवस्था कायम करने का साधन भी मौजूद था, ऐसा आदमी या ऐसी श्रेणी कौन थी ? वह चाहे जो रही हो पर गरीबों की, साधनहीनों की श्रेणी नहीं थी ; यह बात दावे से कही जा सकती है ।

इतिहास के पन्ने पलटिये—राजा और उसके सामन्त कभी गरीब नहीं रहे । वे सदा सोने-चांदी के जेवर और रेशम के कपड़े पहन कर सिंहासन और रथ पर बैठते रहे हैं और उन्हें सदा इस बात का डर रहा है कि क्षुब्ध प्रजा हल्ला कर उनसे सब कुछ छीन न ले जाय । देखिये, इतिहास बताता है कि पुराने जमाने में स्वामी लोग दासों को नियंत्रण में रखते थे । उस समय शासन और व्यवस्था की जरूरत दास को नहीं बल्कि स्वामी को ही रही होगी । फिर सामन्तों के समय में शासन और सरकार की व्यवस्था सामन्त-सरदारों की इच्छा द्वारा सामन्त-सरदारों के हित की रक्षा करने के लिये ही रही और आज दिन भी जिनके हाथों में पूंजी है और जिनके हाथों में ज़मींदारी है, शासन और व्यवस्था उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं के हित के अनुकूल है ।


शासन और सरकार है क्या ? वह किस लिये है ? परम्परागत उत्तर है :—शासन और व्यवस्था है समाज की रक्षा के लिये । समाज की रक्षा का अर्थ है, समाज जिस ढंग-ढांचे से चल रहा है, उसी ढंग-ढांचे पर चलता जाय । उसमें परिवर्तन या उपद्रव खड़ा न किया जाय । समाज क्या है ? स्थूल रूप में समाज है—हमारे सम्मिलित जीवन का क्रम ! हमारे सम्मिलित जीवन के क्रम में जीवन के आधार, जीवन के लिये उपयोगी वस्तुओं की उत्पत्ति और बंटवारे का नियंत्रण ही सबसे बड़ी बात है । बाकी सब बातें इस मूल धुरी के चारों ओर घूमती रहती हैं । मूल धुरी है :—समाज में एक ऐसी श्रेणी का मौजूद होना जो सम्पत्ति के रूप में उत्पत्ति के सब साधनों को समेटे हुये है और दूसरी उस श्रेणी

का होना जो सम्पत्ति या उत्पत्ति के साधनों के अभाव में सम्पत्तिशाली या पूंजीपति श्रेणी के हाथों में पैदावार के साधन के रूप में काम करती है। जैसे घोड़ा एक जीव है और इक्केवाला भी एक जीव है और इक्का उत्पत्ति का साधन। इक्के वाला घोड़े को इक्के में जोत कमाई करता है। घोड़े को चारा-दाना खिलाकर बाकी पैसा जेब में रखता है। इसी प्रकार पूंजीपति श्रेणी, उत्पत्ति के साधनों और मजदूरों का सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध में जो धन है वह जायगा इक्केवाले यानि पूंजीपति के पास और उस धन की रक्षा के लिये पूंजीपति को एक सरकार खड़ी करनी पड़ेगी ताकि न्याय और शांति की रक्षा हो। इस न्याय और शांति की रक्षा का अर्थ होगा—कोई किसी का—पूंजीपति का धन न ले।

समाज में शांति और न्याय कायम रखने का सूत्र और नियम है—कोई किसी का धन न ले और हमारे वर्तमान समाज की व्यवस्था का उद्देश्य और आधार है, एक श्रेणी दूसरी श्रेणी का धन लेकर, अपने पास जमा कर शक्तिशाली बन सकती है। फिर उस धन की रक्षा के लिये—धन हीन श्रेणी का दमन करने के लिये सरकार कायम करे।

हमारे समाज की शांति और व्यवस्था की रक्षा का यह सब सरंजाम मुझे केवल एक खेल दिखाई देता है और यह खेल है, चोर-चोर का खेल ! इस खेल में कौन 'चोर' और कौन 'साह' है, यह कैसे बताया जा सकता है ? लेकिन सभी कहते हैं—चोरी मत करो !





यशपाल का उपन्यास साहित्य

- मेरी तेरी उसकी बात
- झूठा सच : वतन और देश
- झूठा सच : देश का भविष्य
- झूठा सच (दोनों भाग :: संक्षिप्त संस्करण)
- पक्का कदम
- देशद्रोही
- दिव्या
- गीता—पार्टी कामरेड
- दादा कामरेड
- अमिता
- जुलैखाँ
- बारह घंटे
- अप्सरा का शाप
- क्यों फैसे !

यशपाल का कथा-साहित्य

• •

- लैम्प शेड
- अभिशप्त
- वो दुनिया
- ज्ञानदान
- पिंजड़े की उड़ान
- तर्क का तूफान
- भस्मावृत चिनगारी
- फूलों का कुर्ता
- धर्मयुद्ध
- उत्तराधिकारी
- चित्र का शीर्षक
- बीबी जी कहती हैं मेरा चेहरा रोबीला है
- तुमने क्यों कहा था मैं सुन्दर हूँ ?
- उत्तमी की माँ
- ओ भैरवी !
- सच बोलने की भूल
- खच्चर और आदमी
- भूख के तीन दिन

लोकभारती प्रकाशन

१५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१